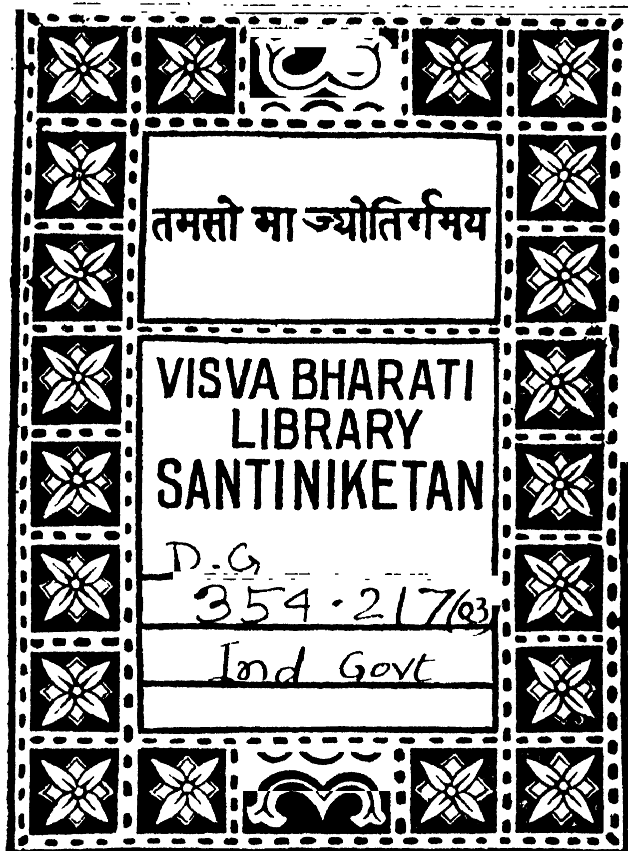

तमसो मा ज्योतिर्गमय
VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN
D.G
354.217(63)
Ind Govt

भारत का संविधान

भारत का संविधान

१९५०.

प्राक्कथन

भारतीय संविधान-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मुझे यह अधिकार दिया था कि मैं, अध्यक्ष की हैसियत से, संविधान का हिन्दी अनुवाद, २६ जनवरी १९५० ई० तक, तथा उस के बाद यथाशीघ्र अन्य भाषाओं में भी इस के अनुवाद प्रकाशित करा दूं। मुझे यह वांछनीय प्रतीत हुआ कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में संविधान के जो अनुवाद तैयार किये जायें उन सब में, अगर सम्भव हो तो, संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के लिये, जिन का कि विशेष संविधानिक या कानूनी अर्थ है, एक ही पर्याय प्रयोग में लाये जायें। इस लिये मैं ने भाषा-विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया कि वह, जहां तक सम्भव हो, ऐसे पारिभाषिक शब्द प्रस्तुत करे जो प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त होते हों और जिन को हम विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले संविधान के अनुवादों में प्रयुक्त कर सकें और अन्ततोगत्वा जिन को हम अन्य सरकारी, कानूनी, अदालती और शासन सम्बन्धी कामों में भी प्रयुक्त कर सकें। यह सम्मेलन मध्य प्रान्तीय विधान-सभा के अध्यक्ष श्री घनश्यामसिंह गुप्त के सभापतित्व में समवेत हुआ। इस में अनुसूची ८ में दी हुई सभी भाषाओं के प्रख्यात विद्वान् प्रतिनिधि स्वरूप सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन ने संविधान में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का एक कोष तैयार किया और अनुवाद-समिति ने, जिसे कि संविधान के हिन्दी रूपान्तर का काम सौंपा गया था, हिन्दी अनुवाद तैयार करने में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है।

संविधान के इस अनुवाद में प्रयुक्त कई शब्द, संभव है, कुछ लोगों को फिलहाल बिल्कुल नये से प्रतीत हों। पर इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि ये शब्द भारत की अधिकांश भाषाओं के प्रतिनिधियों को स्वीकार्य हैं और इस लिये देश के अधिकांश लोगों को या तो अभी या निकट भविष्य में अवश्य बोधगम्य हो जायेंगे। कुछ शब्द इस में ऐसे भी मिलेंगे जिन का प्रयोग उस से कुछ भिन्न अर्थ में हुआ है जिस में कि आम तौर पर इन का प्रयोग हिन्दी में हुआ करता है। मसलन 'जामिन' शब्द इस में 'bail' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है किन्तु हिन्दी में 'जामिन' से साधारणतः वह व्यक्ति समझा जाता है

जो किसी की जमानत के लिये खड़ा हो। किन्तु यहां इस शब्द को भिन्न अर्थ में रखना इस लिये जरूरी समझा गया कि अधिकांश भारतीय भाषाओं में 'जामिन' शब्द 'bail' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत अनुवाद में आने वाले नये शब्दों में से कुछ तो ऐसे हैं, जो भाषा-सम्मेलन के निर्णय के फल स्वरूप, जिस ने कि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के पर्याय निश्चित करने के लिये विभिन्न भाषाओं के शब्दों पर विचार किया, यहां लिये गये हैं। उदाहरण के लिये 'पंचाट' शब्द काश्मीरी जुबान में 'award' के लिये प्रयोग में आता है और चूंकि यह शब्द सम्मेलन के सदस्यों को मान्य हुआ इस लिये इस अनुवाद में 'award' का अनुवाद 'पंचाट' किया गया है। आशा है कि जब भारतीय संघ और उस के अंगभूत राज्यों में सरकारी कामों के लिये हिन्दी बरती जाने लगेगी तो ये शब्द, जिन का कि इस अनुवाद में प्रयोग हुआ है, सरकारी कामों के लिये प्रामाणिक हिन्दी शब्द माने जायेंगे।

नई दिल्ली,
२४ जनवरी १९५०.

राजेन्द्र प्रसाद

PREFACE

The Constituent Assembly of India had by resolution authorised me to publish under my authority a Hindi Translation of the Constitution by the 26th January 1950, and translations of the Constitution in other languages as soon afterwards as I could arrange. I felt it desirable that in the translations of the Constitution in the different languages of India the same equivalents, if possible, should be used for the English terms of legal and constitutional import that occur in that document. I, therefore, called a conference of language experts to evolve as far as possible a common terminology which could be used for the translations of the Constitution in the various languages and ultimately also in all official administrative, legal and judicial work of the country. It met under the Chairmanship of the Honourable Shri Ghanshyam Singh Gupta, Speaker, Central Provinces' Assembly. It had on it representatives of all the languages specified in the Eighth Schedule. The Conference prepared a glossary of the terms used in the Constitution and the Expert Translation Committee which had been entrusted with the work of translating the Constitution in Hindi has made use of these terms alone in preparing this translation.

Some of the terms used in this translation of the Constitution may appear at present to be rather new to some people. But it must be remembered that these terms have been found to be acceptable to the majority of the languages of India and as such will either command today or in the near future the greatest measure of intelligibility. Some words may also be found to be used in a sense in which they are not ordinarily used in Hindi. Thus the word '*jamin*' has been used to indicate 'bail' whereas its ordinary significance in Hindi is 'the person who offers bail'. But this difference in the meaning of the term has been found to be necessary because the term '*jamin*' is used for 'bail' in the majority of the Indian languages. Some of the new terms that may be found in the translation of the Constitution have come in as a result of the decision of the Language Conference which considered terms of different languages for the purpose of fixing equivalents of the English terms. The term '*pamcata*', for example, is used in Kashmiri language for 'award' and it was found to be acceptable to the members of the Conference and consequently the term 'award' has been translated in this translation as '*pamcata*'. It may be hoped that the terms used in this translation would become the standard Hindi terms for official use when Hindi begins to be used for official purposes in the Union and the States.

NEW DELHI,
24th January 1950.

RAJENDRA PRASAD

भारत का संविधान

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

अनुच्छेद — पृष्ठ संख्या

भाग ३

मूल अधिकार साधारण

साधारण

समता-अधिकार

स्वातन्त्र्य-अधिकार

शोषण के विरुद्ध अधिकार

धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार

अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

सम्पत्ति का अधिकार

सांविधानिक उपचारों के अधिकार

भाग ४

राज्य की नीति के निदेशक-तत्त्व

भाग ५

संघ

अध्याय १.—कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

मंत्रि-परिषद्

भारत का महान्यायवादी

सरकारी कार्य का संचालन

अध्याय २.—संसद

साधारण

संसद् के पदाधिकारी

कार्य-संचालन

सदस्यों की अनर्हताएं

संसद् और उस के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

विधान-प्रक्रिया

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

अध्याय ५.—भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य

अध्याय १—साधारण

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

अध्याय २.—कार्यपालिका

राज्यपाल

मंत्रि-परिषद्

राज्य का महाधिवक्ता

सरकारी कार्य का संचालन

अध्याय ३.—राज्य का विधान-मंडल

साधारण

राज्य के विधान-मंडल के पदाधिकारी

कार्य-संचालन

सदस्यों की अनर्हताएं

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

राज्य के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

विधान-प्रक्रिया

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

साधारणतया प्रक्रिया

अध्याय ४.—राज्यपाल की विधायिनी शक्तियां

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

अध्याय ५.—राज्यों के उच्चन्यायालय

अध्याय ६.—अधीन न्यायालय

भाग ७

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य

प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध

अध्याय २:—उधार लेना

अध्याय २.—लोकसेवा-आयोग

भाग १५

निर्वाचन

अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

भाग १६

कतिपय वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

भाग १७

राजभाषा

अध्याय १.—संघ की भाषा

अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या

भाग २२

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन

अनुसूचियां

अनुसूचियां

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उस के समस्त नागरिकों को : प्रस्तावना.

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता,

प्राप्त कराने के लिये,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता

बढ़ाने के लिये

दृढ़संकल्प हो कर अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छ विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अङ्गीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

भाग १

संघ और उस का राज्य-क्षेत्र

संघ का नाम और राज्य-क्षेत्र.

१. (१) भारत, अर्थात् इण्डिया, राज्यों का संघ होगा।

(२) उस के राज्य और राज्य-क्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य और उन के राज्य-क्षेत्र होंगे।

(३) भारत के राज्य-क्षेत्र में—

(क) राज्यों के राज्य-क्षेत्र;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्र; तथा

(ग) ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र जो अर्जित किये जायें, समाविष्ट होंगे।

नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना.

२. संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।

नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना.

३. संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी राज्य से उस का प्रदेश अलग कर के अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नया राज्य बना सकेगी;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी;

(ङ) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी :

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिपारिश बिना, तथा जहां विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव

भाग १--संघ और उस का राज्य-क्षेत्र--अनु० ३-४

प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य या राज्यों की सीमाओं पर अथवा किसी ऐसे राज्य या राज्यों के नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जब तक कि विधेयक की पुरःस्थापना की प्रस्थापना के तथा उस के उपबन्ध, इन दोनों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल अथवा राज्यों में से प्रत्येक के विधान-मंडल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से न जान लिये हों तब तक, किसी सदन में पुरःस्थापित न किया जायेगा ।

प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक विषयों के लिये अनुच्छेद २ और ३ के अधीन निर्मित विधियां.

४. (१) अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसची के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध अन्तर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध (जिन के अन्तर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के, संसद् या विधान-मंडल या विधान-मंडलों में, प्रतिनिधित्व के बारे में उपबन्ध भी हैं) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद् आवश्यक समझे ।

(२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी ।

भाग २

नागरिकता

इस संविधान
के प्रारम्भ
पर
नागरिकता.

इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस का भारत राज्य-क्षेत्र में अधिवास है, तथा—

(क) जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा

(ख) जिस के जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है;

भारत का नागरिक होगा।

पाकिस्तान
से भारत
को प्रव्रजन
कर आये
कुछ व्यक्तियों
के नागरिकता
के अधिकार.

६. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जायेगा—

(क) यदि वह अथवा उस के जनकों में से कोई अथवा उस के महाजनकों में से कोई भारत-शासन-अधिनियम १९३५ (यथा मूलत: अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था; तथा

(ख) (१) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन् १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन से पूर्व प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है; अथवा

(२) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन् १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन या उस के पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति

से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहिले ऐसे पदाधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया है, दिये जाने पर उस पदाधिकारी द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र की तारीख से ठीक पहिले कम से कम छ महीनें भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो तो वह इस प्रकार पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा।

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों में से कुछ के नागरिकता के अधिकार.

७. अनुछेद ५ और ६ में किसी बात के होते हुए भी, जो व्यक्ति १९४७ के मार्च के पहिले दिन के पश्चात् भारत राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा :

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन के पश्चात् भारत राज्य-क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने के लिये किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गई है, तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद ६ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये भारत राज्य-क्षेत्र को १९४८ की जुलाई के १९ वें दिन के पश्चात् प्रव्रजन करने वाला समझा जायेगा।

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार.

८. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिस के जनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई भारत-शासन-अधिनियम १९३५ (यथा मूलतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यतया इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, भारत का नागरिक समझा जायेगा, यदि वह भारत डोमीनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक

भाग २—नागरिकता—अनु० ८-११

प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या बाद, दिये जाने पर ऐसे राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है।

विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति नागरिक न होंगे.

९. यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक न होगा और न अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधार पर भारत का नागरिक समझा जायेगा।

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना.

१०. प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा निर्मित की जाये, भारत का वैसा नागरिक बना रहेगा।

संसद् विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन करेगी.

११. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।

भाग ३

मूल अधिकार

साधारण

परिभाषा.

१२. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद्, तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान-मंडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, भी हैं ;

मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां.

१३. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत हैं ;

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

(३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस अनुच्छेद में—

(क) भारत राज्य-क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि अथवा प्रथा "विधि" के अन्तर्गत होगी;

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य क्षमताशाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित अथवा निर्मित विधि, जो पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई विधि या उस का कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशेष क्षेत्रों में प्रवर्तन में न भी हो, "प्रवृत्त विधियों" के अन्तर्गत होगी।

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० १४-१६

समता-अधिकार

विधि के समक्ष समता.

१४. भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध.

१५. (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक—

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; अथवा

(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य-निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के

बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन अथवा शर्त के अधीन न होगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी।

राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता.

१६. (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा।

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० १६-१८

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के अथवा उस के राज्य-क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में वैसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के अन्दर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो।

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिन का प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।

(५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करती हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो।

१७. "अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता का अन्त.

१८. (१) सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा। खिताबों का अन्त.

(२) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा।

(३) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब राष्ट्रपति की सम्मति के विना स्वीकार न करेगा।

भाग ३--मूल अधिकार--अनु० १८-१९

(४) राज्य के अधीन लाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या के अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के विना स्वीकार न करेगा।

स्वातन्त्र्य-अधिकार

वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण.

१९. (१) सब नागरिकों को--

(क) वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का;

(ख) शान्ति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन का;

(ग) सन्था या संघ बनाने का;

(घ) भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का;

(ङ) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का;

(च) सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का; तथा

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का,

अधिकार होगा

(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात अपमान-लेख, अपमान-वचन, मानहानि, न्यायालय-अवमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले, अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती

भाग ३--मूल अधिकार--अनु० १९

हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिमजाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त खंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी; तथा विशेषत: उक्त उपखंड की कोई बात, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिये आवश्यक वृत्तिक या शिल्पिक अर्हताओं को जहां तक कोई वर्तमान विधि विहित करती है अथवा किसी प्राधिकारी को विहित करने की शक्ति देती है वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा विहित करने, या विहित करने की शक्ति किसी प्राधिकारी को देने, वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० २०-२२

अपराधों के लिये दोष-सिद्ध के विषय में संरक्षण.

२०. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उस से अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।

(२) कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित न किया जायेगा।

(३) किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य न किया जायेगा।

प्राण और दैहिक स्वाधीनता का संरक्षण.

२१. किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य प्रकार वंचित न किया जायेगा।

कुछ अवस्थाओं में बन्दीकरण और निरोध से संरक्षण.

२२. (१) कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध किया गया है, बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़ कर ऐसे बन्दीकरण से २४ घंटे की कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि से आगे दंडाधिकारी के प्राधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा।

(३) खंड (१) और (२) में की कोई बात—

(क) जो व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है उसको, अथवा

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० २२

(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है उसको,

लागू न होगी।

(४) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि—

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिल कर बनी मंत्रणा-मंडली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के लिये उस की राय में पर्याप्त कारण हैं :

परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम कालावधि से आगे, निरोध को प्राधिकृत न करेगी जो खड (७) के उपखंड (ख) के अधीन संसद्-निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई है; अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति खंड (७) के उपखंड (क) और (ख) के अधीन संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं है।

(५) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में जब काई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया है उन को बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा।

(६) खंड (५) की किसी बात से आदेश देने वाले प्राधिकारी के लिये ऐसे तथ्य को प्रकट करना आवश्यक नहीं

होगा जिन का कि प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है।

(७) संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि--

(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये खंड (४) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा-मंडली की राय प्राप्त किये विना निरुद्ध किया जा सकेगा;

(ख) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम कालावधि के लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; तथा

(ग) खंड (४) के उपखंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्या होगी।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

मानव के पण्य और बलात्श्रम का कतिषेध.

२३. (१) मानव का पण्य और बेट बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये बाध्य सेवा लागू करने में रुकावट न होगी। ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इन में से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा।

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० २४-२५

२४. चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाया जायेगा। कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध.

धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार

२५. (१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा। अन्तःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता.

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट, न डालेगी जो—

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो;

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हो, अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म-संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिये खोलती हो।

व्याख्या १.—कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग समझा जायेगा।

व्याख्या २.—खंड (२) के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तिओं का भी निर्देश अन्तर्गत है तथा हिन्दू धर्म-संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी तदनुकूल ही किया जायेगा।

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० २६-२८

धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता.

२६. सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उस के किसी विभाग को-

(क) धार्मिक और पूर्त-प्रयोजनों के लिय सस्थाओं की स्थापना और पोषण का;

(ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का;

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का; तथा

(घ) ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का;

अधिकार होगा।

किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिये करों के देने के बारे स्वतंत्रता.

२७. कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा जिन के आगम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये हों।

कुछ शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पासना में उपस्थित होने क विषय में स्वतंत्रता.

२८. (१) राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा-संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी।

(२) खंड (१) की कोई बात ऐसी शिक्षा-संस्था पर लागू न होगी जिस का प्रशासन राज्य करता हो किन्तु जो किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिस के अनुसार उस सस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(३) राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली, शिक्षा-संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उस से संलग्न स्थान में की

जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये बाध्य न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क हो तो उस के संरक्षक ने, इस के लिये अपनी सम्मति न दे दी हो।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण.

२९. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिस की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इन में से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा।

शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्प-संख्यकों का अधिकार.

३०. (१) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(२) शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबन्ध में है।

सम्पत्ति का अधिकार

सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन.

३१. (१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के विना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।

(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिस के अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उस की स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्जा या अर्जन करने का प्राधिकार देती है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये कब्जाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायेगी जब

भाग ३--मूल अधिकार--अनु० ३१

तक कि वह विधि कब्जाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत न कर दे या उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख न कर दे जिन से प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है।

(३) राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि, जैसी कि खंड (२) में निर्दिष्ट है, तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात्, उस की अनुमति न मिल गई हो।

(४) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के विधान-मंडल के सामने किसी लम्बित विधेयक को, ऐसे विधान-मंडल द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किया जाता है तथा उस को अनुमति मिल जाती है तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार अनुमत विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है।

(५) खंड (२) की किसी बात से--

(क) ऐसी किसी विधि को छोड़ कर जिस पर कि खंड (६) के उपबन्ध लागू होते हैं किसी अन्य वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, अथवा

(ख) एतत्पश्चात् राज्य जो कोई विधि--

(१) किसी कर या अर्थ-दण्ड के आरोपण या उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिये बनाये उस के उपबन्धों पर, अथवा

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा प्राण या सम्पत्ति के संकट-निवारण के लिये बनाये उस के उपबन्धों पर, अथवा

(३) भारत डोमीनियन की अथवा भारत की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच किये गये करार के अनुसरण में, अथवा अन्यथा, जो सम्पत्ति विधि द्वारा निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गई है उस सम्पत्ति के लिये बनाये उस के उपबन्धों पर,

प्रभाव नहीं होगा।

(६) राज्य की कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से अठारह महीने से अनधिक पहिले अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्भ से तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति के समक्ष उस के प्रमाणन के लिये रखी जा सकेगी, तथा ऐसा होने पर यदि लोक-अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ऐसा प्रमाणन देता है तो किसी न्यायालय में उस पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है अथवा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९९ की उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन कर चुकी है।

संविधानिक उपचारों के अधिकार

इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपचार.

३२. (१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को समुचित कार्य-वाहियों द्वारा प्रचालित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।

(२) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या लेख, जिन के अन्तर्गत वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।

(३) उच्चतमन्यायालय को खंड (१) और (२) द्वारा दी गई शक्तियों पर विना प्रतिकूल प्रभाव डाले, संसद्

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० ३२-३५

विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतमन्यायालय द्वारा खंड (२) के अधीन प्रयोग की जाने वाली सब अथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी।

(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलम्बित न किया जायेगा।

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों के लिये प्रयुक्ति की अवस्था में, रूपभेद करने की संसद् की शक्ति,

३३. संसद् विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों के सदस्यों के लिये प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाये ताकि उन के कर्तव्यों का उचित पालन तथा उन में अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

जब किसी क्षेत्र में सेना-विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों पर निर्बन्धन.

३४. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा में के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी जो उस ने भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र मे, जहां सेना-विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाये रखने या पुनःस्थापन के सम्बन्ध में किया है अथवा ऐसे क्षेत्र में सेना-विधि के अधीन किसी दिये गये दंडादेश, किये गये दंड, आदेश की हुई जब्ती, अथवा किये गये अन्य कार्य को मान्य कर सकेगी।

इस भाग के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिये विधान.

३५. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) संसद् को शक्ति होगी तथा किसी राज्य के विधान-मंडल को शक्ति न होगी कि वह—

(१) जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३), अनुच्छेद ३२ के खंड (३), अनुच्छेद ३३

और अनुच्छेद ३४ के अधीन संसद् विधि द्वारा उपबन्ध कर सकगी, उन में से किसी के लिये, तथा

(२) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के दंड विहित करने के लिये,

विधि बनाये तथा संसद् इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे कार्यों के लिये जो उपखंड (२) में निर्दिष्ट हैं दंड विहित करने के लिये विधि बनायेगी।

(ख) खंड (क) के उपखंड (१) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से सम्बन्ध रखने वाली, अथवा उस खंड के उपखंड (२) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिये दंड का उपबन्ध करने वाली, कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत राज्य-क्षेत्र में इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले लागू थी, उस में दिये हुए निबन्धनों के तथा अनुच्छेद ३७२ के अधीन उस में किये गये किन्हीं अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि वह संसद् द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित न की जाये।

व्याख्या.--"प्रवृत्त विधि" पदावलि का जो अर्थ इस संविधान के अनुच्छेद ३७२ में है वही इस अनुच्छेद में भी होगा।

भाग ४

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

परिभाषा.

३६. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है।

इस भाग में वर्णित तत्त्वों की प्रयुक्ति.

३७. इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुए तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।

लोक-कल्याण की उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा.

३८. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिस में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर के लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-तत्त्व.

३९. राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिस से सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो;

(ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उन की आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

भाग ४—राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व— अनु० ३९-४४

(च) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।

४०. राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन करने के लिये अग्रसर होगा, तथा उन को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों। ग्राम-पंचायतों का संघटन.

४१. राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा। कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पाने का अधिकार.

४२. राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये तथा प्रसूति-सहायता के लिये उपबन्ध करेगा। काम की न्याय्य तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति-सहायता का उपबन्ध.

४३. उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। श्रमिकों के लिये निर्वाह-मजूरी आदि.

४४. भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिये राज्य एक समान व्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। नागरिकों के लिये एक समान व्यवहार-संहिता.

भाग ४—राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व—अनु० ४५-४९

बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध.

४५. राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

अनुसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति.

४६. राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उन का संरक्षण करेगा।

आहारपुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य.

४७. राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया, स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और ओषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

कृषि और पशुपालन का संघटन.

४८. राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उन के वध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा।

राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों का संरक्षण.

४९. संसद् से, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्त्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या चीज का यथास्थिति लुंठन, विरूपन, विनाश, अपनयन, व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा।

भाग ४——राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व—— अनु० ५०-५१

कार्यपालिका से न्याय-पालिका का पृथक्करण.

५०. राज्य की लोक-सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिये राज्य अग्रसर होगा ।

अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति.

५१. राज्य——

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का ;

(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का;

(ग) संघटित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का; तथा

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये प्रोत्साहन देने का,

प्रयास करेगा ।

भाग ५

संघ

अध्याय १—कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

भारत का राष्ट्रपति.

५२. भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

संघ की कार्य-पालिका शक्ति.

५३. (१) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।

(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले संघ के रक्षा-बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उस का प्रयोग विधि से विनियमित होगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी राज्य की सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे; अथवा

(ख) राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य देने में संसद् को बाधा न होगी।

राष्ट्रपति का निर्वाचन.

५४. राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-गण के सदस्य करेंगे जिस में—

(क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा

(ख) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य,

होंगे

भाग ५—संघ—अनु० ५५

५५. (१) जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन भिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक से मापमान से होगा

राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति.

(२) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिये संसद् तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का हक्कदार है उन की संख्या नीचे लिखे प्रकार ऐसे निर्धारित की जायेगी—

(क) किसी राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित, उस भागफल में हों जो राज्य की जन-संख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से, भाग देने से आये;

(ख) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद यदि शेष पांच सौ से कम न हो तो उपखंड (क) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा;

(ग) संसद् के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी जो उपखंड (क) तथा (ख) के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों के लिये नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आये, जिस में आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी ।

(३) राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा ।

भाग ५—संघ—अनु० ५५-५८

व्याख्या—इस अनुच्छेद में "जनसंख्या" से, ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।

राष्ट्रपति की पदावधि.

५६. (१) राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख़ से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परन्तु—

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद ६१ में उपबन्धित रीति से किये गये महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ;

(ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा।

(२) खंड (१) के परन्तुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को सम्बोधित किसी त्यागपत्र की सूचना उस के द्वारा लोक-सभा के अध्यक्ष को अविलम्ब दी जायेगी।

पुनर्निर्वाचन लिये पात्रता.

५७. कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा है अथवा कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस पद के लिये पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अर्हताएं.

५८. (१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(क) भारत का नागरिक न हो,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा

भाग ५—संघ—अनु० ५८-५९

(ग) लोक-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता न रखता हो ।

(२) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख है अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है ।

५९. (१) राष्ट्रपति न तो संसद् के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है । राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें.

(२) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा ।

(३) राष्ट्रपति को, विना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का हक्क होगा तथा उस को उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा ।

(४) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उस के पद की अवधि में घटाये नहीं जायेंगे ।

भाग ५—संघ—अनु० ६०-६१

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.

६०. प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन करता है अपने पद-ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस की अनुपस्थिति में उच्चतमन्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—

"मैं, . . अमुक, . . $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता हूं}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं}}$ कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्य पालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।

राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया.

६१. (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद् का कोई सदन दोषारोप करेगा।

(२) ऐसा कोई दोषारोप तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि—

(क) ऐसे दोषारोप के करने की प्रस्थापना किसी संकल्प में न हो, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिये जाने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर कर के, उस संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रगट किया है, तथा

(ख) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित न किया गया हो।

भाग ५—संघ—अनु० ६१-६४

(३) जब दोषारोप संसद् के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया जा चुके तब दूसरा सदन उस दोषारोप का अनुसंधान करेगा या करायेगा तथा इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।

(४) यदि अनुसंधान के फलस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प दोषारोप के अनुसंधान करने या कराने वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उस की पारण तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद से हटाया जाना होगा

६२. (१) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि-समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

राष्ट्रपति-पद की रिक्तता-पूर्ति के लये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि.

(२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन, रिक्तता होने की तारीख के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र और हर अवस्था में छ मास बीतने के पहिले किया जायेगा, तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद धारण करने का हक्कदार होगा।

६३. भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

भारत का उपराष्ट्रपति.

६४. उपराष्ट्रपति, पदेन, राज्य-परिषद् का सभापति होगा तथा अन्य किसी लाभ का पद धारण न करेगा:

उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-परिषद् का सभापति होना.

परन्तु जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा अनुच्छेद ६५ के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तब वह राज्य-परिषद् के सभापति-पद

के कर्तव्यों को न करेगा तथा उसे अनुच्छेद ९७ के अधीन राज्य-परिषद् के सभापति को दिये जाने वाले किसी वेतन अथवा भत्ते का हक्क न होगा।

राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता अथवा उस की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन.

६५. (१) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से उस के पद में हुई रिक्तता की अवस्था में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को कि इस अध्याय के ऐसी रिक्तता-पूर्ति सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है।

(२) अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति उस के कृत्यों का निर्वहन उस तारीख तक करेगा जिस तारीख को कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभाले।

(३) उपराष्ट्रपति को उस कालावधि में और उस कालावधि के सम्बन्ध में, जब कि वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य करता है अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सब शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा उसे ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जिन्हें संसद् विधि द्वारा निश्चित करे, तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं हक्क होगा।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन.

६६. (१) संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा।

(२) उपराष्ट्रपति न तो संसद् के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो यह

भाग ५—संघ—अनु० ६६-६७

समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(क) भारत का नागरिक न हो;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो; तथा

(ग) राज्य-परिषद् के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता न रखता हो।

(४) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

व्याख्या.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

६७. उपराष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: उपराष्ट्रपति की पदावधि

परन्तु—

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य-परिषद् के ऐसे संकल्प द्वारा, अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो तथा जिसे लोक-सभा ने स्वीकृत किया हो;

किन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उसे प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व न दे दी गई हो;

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि-समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा।

उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि.

६८. (१) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

(२) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन रिक्तता होने की तारीख के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किया जायेगा तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद ६७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद धारण करने का हक्कदार होगा।

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.

६९. प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—

"मैं,···अमुक,··· ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उस के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।"

भाग ५—संघ—अनु० ७०-७२

७०. इस अध्याय में उपबन्धित न की हुई किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिये संसद् जैसा उचित समझे वैसा उपबन्ध बना सकेगी। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन.

७१. (१) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सब शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतमन्यायालय करेगा और उस का विनिश्चय अन्तिम होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित या संसक्त विषय.

(२) यदि उच्चतमन्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उस के द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतमन्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या से पूर्व किये गये कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य न हो जायेंगे।

(३) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी।

७२. (१) किसी अपराध के लिये सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलम्बन, परिहार या लघूकरण की राष्ट्रपति को— क्षमा, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति.

(क) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय ने दिया हो;

(ख) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषयसम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है;

(ग) उन सब अवस्थाओं में जिनमें कि दंडादेश मृत्यु का हो,

शक्ति होगी।

भाग ५—संघ—अनु० ७२-७३

(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी पदाधिकारी की सेना-न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की विधि द्वारा दी गई शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(३) खंड (१) के उपखंड (ग) की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रयोग की जाने वाली मृत्यु-दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार.

७३. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार—

(क) जिन विषयो के सम्बन्ध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उन तक; तथा

(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक,

होगा :

परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में, स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड (क) में उल्लिखित कार्यपालिका शक्ति का विस्तार प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में ऐसे विषयों तक न होगा जिन के बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

(२) जब तक संसद् अन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिन के सम्बन्ध में संसद् को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग करता रह सकता है जैसे कि वह राज्य या उस का पदाधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कर सकता था।

भाग ५—संघ—अनु० ७४-७६

मन्त्रि-परिषद्

७४. (१) राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिस का प्रधान प्रधान-मंत्री होगा। राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद्.

(२) क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी।

७५. (१) प्रधान-मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा पर करेगा। मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध.

(२) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे।

(३) मंत्रि-परिषद् लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(४) किसी मंत्री के अपने पद-ग्रहण करने से पहिले राष्ट्रपति उस से तृतीय अनुसूची में इस के लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार पद की तथा गोपनीयता की शपथें करायेगा।

(५) कोई मंत्री जो निरन्तर छ मास की किसी कालावधि तक संसद् के किसी सदन का सदस्य न रहे उस कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा।

(६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे, समय समय पर, संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक संसद् इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

भारत का महान्यायवादी

७६. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। भारत का महान्यायवादी.

भाग ५—संघ—अनु० ७६-७८

(२) महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर भेजे या सौंपे, तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों।

(३) अपने कर्तव्यों के पालन के लिये महान्यायवादी को भारत राज्य-क्षेत्र में के सब न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा .

(४) महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा ऐसा पारिश्रमिक पायेगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे।

सरकारी कार्य का संचालन

भारत सरकार के कार्य का संचालन.

७७. (१) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जायेगी।

(२) राष्ट्रपति के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उस रीति से किया जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

(३) भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने के लिये तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के बंटवारे के लिये राष्ट्रपति नियम बनायेगा।

राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विषयक प्रधान मंत्री के कर्तव्य.

७८. प्रधान मंत्री का—

(क) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के समस्त विनिश्चयों तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें राष्ट्रपति को पहुंचाने का;

भाग ५—संघ—अनु० ७८-८०

(ख) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मंगावे उस को देने का ; तथा

(ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का,

कर्तव्य होगा।

अध्याय २—संसद्

साधारण

संसद् का गठन.

७९. संघ के लिये एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी जिन के नाम क्रमशः राज्य-परिषद् और लोक-सभा होंगे।

राज्य-परिषद् की रचना.

८०. (१) राज्य-परिषद्—

(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (३) के उपबन्धों के अनुसार नामनिर्देशित किये जाने वाले बारह सदस्यों; तथा

(ख) राज्यों के दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों से,

मिल कर बनेगी।

(२) राज्य-परिषद् में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तर्विष्ट तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार होगा।

(३) खंड १ के उपखंड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्—

साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा।

भाग ५—संघ—अनु० ८०-८१

(४) राज्य-परिषद् के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(५) राज्य-परिषद् के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जैसी कि संसद् विधि द्वारा विहित करे।

लोक-सभा की रचना.

८१. (१) (क) [illegible] ( ) [illegible] के उ[illegible] द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित पांच सौ से अधिक सदस्यों से मिल कर लोक सभा बनेगी।

(ख) उपखण्ड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिस से कि यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न होगा।

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये गये सदस्यों की संख्या का अनुपात उस निर्वाचन-क्षेत्र की ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से, भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र यथासाध्य एक ही होगा।

भाग ५--सत्र--अनु० ८१-८३

(२) भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक-सभा में वैसा होगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे।

(३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे :

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक-सभा मे के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये।

भाग (ग) में के राज्यों तथा राज्यों से अन्य राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबन्ध.

८२. अनुच्छेद ८१ के खड (१) में किसी बात के होते हुए भी संसद्, विधि द्वारा, लोक-सभा में प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के, अथवा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले किन्हीं राज्य-क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस खंड में उपबन्धित आधार या रीति से भिन्न उपबन्ध कर सकेगी।

संसद् के सदनों की अवधि.

८३. (१) राज्य-परिषद् का विघटन न होगा, किन्तु उस के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई, संसद्-निर्मित विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे।

(२) लोक-सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम लोक-सभा का विघटन होगा :

भाग ५—संघ—अनु० ८३-८५

परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद्, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी ।

संसद् की सदस्यता के लिये अर्हता.

८४. कोई व्यक्ति संसद् में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिय अर्ह न होगा जब तक कि—

(क) वह भारत का नागरिक न हो ;

(ख) राज्य-परिषद् के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का, तथा लोक-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का, न हो; तथा

(ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें ।

संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन.

८५. (१) संसद् के सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायगा तथा उन के एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छ मास का अन्तर न होगा ।

(२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति समय समय पर—

(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा;

(ख) सदनों का सत्रावसान कर सकेगा;

(ग) लोक-सभा का विघटन कर सकेगा ।

भाग ५--संघ--अनु० ८६-८९

८६. (१) संसद् के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार.

(२) राष्ट्रपति संसद् में उस समय लम्बित किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश संसद् के किसी सदन को भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीघ्रता से विचार करेगा।

८७. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद् को उस के आह्वान का कारण बतायेगा। संसद् के प्रत्येक सत्रारम्भ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण.

(२) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिये, तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने के लिये, उपबन्ध किया जायेगा।

८८. भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में, तथा संसद् की किसी समिति में, जिस में उस का नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उस को मत देने का हक्क न होगा। सदनों विषयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार.

संसद् के पदाधिकारी

८९. (१) भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद् का सभापति होगा। राज्य-परिषद के सभापति और उप-सभापति

(२) राज्य-परिषद् यथासम्भव शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।

उपसभापति की पद-रिक्तता, पद-त्याग तथा पद से हटाया जाना.

९०. राज्य-परिषद् के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

(क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा; तथा

(ग) परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद् के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की, शक्ति.

९१. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो, अथवा किसी कालावधि में जब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब उपसभापति अथवा, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, राज्य-परिषद् का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) राज्य-परिषद् की किसी बैठक में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निर्धारित करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा।

भाग ५—संघ—अनु० ९२-९४

९२. (१) राज्य-परिषद् की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९१ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिस में कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा.

(२) जब कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प राज्य-परिषद् में विचाराधीन हो तब सभापति को परिषद् में बोलने तथा दूसरी प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, मत देने का बिल्कुल हक्क न होगा।

९३. लोक-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.

९४. लोक-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य— अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना.

(क) यदि लोक-सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा; तथा

भाग ५—संघ—अनु० ९४-९६

(ग) लोक-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो :

परन्तु यह और भी कि जब कभी लोक-सभा का विघटन किया जाये तो विघटन के पश्चात् होने वाले लोक-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा।

अध्यक्ष-पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति.

९५. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोक-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) लोक-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोक-सभा को बैठकों में पीठासीन न होगा.

९६. (१) लोक-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९५ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिस में कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।

भाग ५—संघ—अनु० ९६-९८

(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प लोक-सभा में विचाराधीन हो तब उस को लोक-सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु मतसाम्य होने की दशा में न होगा।

सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते.

९७. राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति को, तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे क्रमशः संसद् विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस के लिये उपबन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे।

संसद् का सचिवालय.

९८. (१) संसद् के प्रत्येक सदन का अपना पृथक् साचिविक कर्मचारी-वृन्द होगा :

परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह संसद् के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है।

(२) संसद्, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन के साचिविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगी

(३) खंड (२) के अधीन जब तक संसद् उपबन्ध नहीं करती तब तक राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक-सभा के अध्यक्ष से, या राज्य-परिषद् के सभापति से परामर्श कर के लोक-सभा के या राज्य-परिषद् के साचिविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

कार्य-संचालन

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.

९९. संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के अथवा राष्ट्रपति द्वारा उस के लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

सदनों में मत-दान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति.

१००. (१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर किसी सदन की किसी बैठक में अथवा सदनों की संयुक्त बैठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा ।

सभापति या अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, किन्तु मतसाम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उस का प्रयोग करेगा ।

(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी संसद् के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति, जिसे ऐसा करने का हक्क न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी संसद् में की कोई कार्यवाही मान्य होगी

(३) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे तब तक संसद् के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश होगी ।

(४) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये

भाग ५—संघ—अनु० १०१

सदस्यों की अनर्हतायें

१०१. (१) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये संसद् विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगी। स्थानों की रिक्तता.

(२) कोई व्यक्ति संसद् तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने राज्य के विधान-मंडल में के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो।

(३) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य—

(क) अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है; अथवा

(ख) यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(४) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उस के सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है।

सदस्यता के लिये अनर्हताएं.

१०२. (१) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा--

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किये हुए है;

(ङ) यदि वह संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है ।

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन.

१०३. (१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उस का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।

१०४. यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में अनुच्छेद ९९ की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि म उस की सदस्यता के लिये अर्ह नहीं हूं अथवा अनर्ह कर दिया गया हूं अथवा संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये, जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है पांच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा।

अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने, और मत देने के लिये दंड.

संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

१०५. (१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद् की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद् में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा।

संसद् के सदनों की तथा उस के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि.

(२) संसद् ने या उस की किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद् के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी।

(३) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी संसद्, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की हैं।

भाग ५--संघ--अनु० १०५-१०७

(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन अथवा उस की किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उन के सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं।

सदस्यों के वेतन और भत्ते.

१०६. संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें संसद्, विधि द्वारा, समय समय पर, निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता तब तक ऐसे भत्तों को, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले लागू थीं, पाने का हक्क होगा।

विधान प्रक्रिया

विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध.

१०७. (१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय-विधेयकों के विषय में अनुच्छेद १०९ और ११७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद् के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा।

(२) अनुच्छेद १०८ और १०९ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद् के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा जब तक कि, या तो विना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो।

(३) संसद् में लम्बित विधेयक सदनों के सत्तावसान के कारण व्यपगत न होगा।

(४) राज्य-परिषद् में लम्बित विधेयक, जिस को लोक-सभा ने पारित नहीं किया है, लोक-सभा के विघटन पर व्यपगत न होगा:

भाग ५—संघ—अनु० १०७-१०८

(५) कोई विधेयक, जो लोक-सभा में लम्बित है, अथवा जो लोक-सभा से पारित हो कर राज्य-परिषद् में लम्बित है, अनुच्छेद १०८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक-सभा के विघटन पर व्यपगत हो जायेगा।

किन्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक.

१०८. (१) यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने तथा दूसरे सदन को पहुंचाये जाने के पश्चात्—

(क) दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है ; अथवा

(ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो चुके हैं; अथवा

(ग) विधेयक-प्राप्ति की तारीख से, विना इस को पारित किये, दूसरे सदन को छ मास से अधिक बीत चुके हैं,

तो लोक-सभा के विघटन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर पर्यालोचन करने और मत देने के प्रयोजन के लिये संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत करने के अभिप्राय की अधिसूचना सदनों को, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, अथवा यदि बैठक में नहीं हैं तो लोक-अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति देगा :

परन्तु इस खंड में की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू न होगी।

(२) ऐसी किसी छ मास की कालावधि की संगणना में, जो कि खंड (१) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में उक्त खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहता है।

(३) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशन के लिये आहूत करने के अभिप्राय को जब राष्ट्रपति खंड (१) के अधीन अधिसूचित कर चुका हो, तो कोई सदन विधेयक पर आगे

भाग ५—संघ—अनु० १०८

कार्यवाही न करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अधिसूचना की तारीख के पश्चात् किसी समय सदनों को अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिये संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत कर सकेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे।

(४) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिन को संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से, पारित हो जाता है, तो इस संविधान प्रयोजनों के लिये वह दोनों सदनों से पारित समझा जायेगा :

परन्तु संयुक्त बैठक में—

(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित हो कर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया है तथा उस सदन को, जिस में वह आरम्भित हुआ था, लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों के सिवाय (यदि कोई हों), जो कि विधेयक के पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक पर कोई और संशोधन प्रस्थापित न किया जायेगा ;

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लौटाया जा चुका है तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन, जैसे कि ऊपर कथित हैं, तथा ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे;

और पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय, कि इस खंड के अधीन कौन से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा।

(५) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत करने के अभिप्राय की राष्ट्रपति की अधिसूचना

भाग ५--संघ--अनु० १०८-१०९

के पश्चात्, यद्यपि लोक-सभा का विघटन बीच में हो चुका है तो भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी तथा उस में विधेयक पारित हो सकेगा।

धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया.

१०९. (१) राज्य-परिषद् में धन-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा।

(२) लोक-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, धन-विधेयक, राज्य-परिषद् को, उस की सिपारिशों के लिये पहुंचाया जायेगा तथा राज्य-परिषद्, विधेयक की अपनी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर, विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित लोक-सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर लोक-सभा राज्य-परिषद् की सिपारिशों में से सब को या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(३) यदि राज्य-परिषद् की सिपारिशों में से किसी को लोक-सभा स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक राज्य-परिषद् द्वारा सिपारिश किये गये तथा लोक-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा।

(४) यदि राज्य-परिषद् की सिपारिशों में से किसी को भी लोक-सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, राज्य-परिषद् द्वारा सिपारिश किये गये संशोधनों में से किसी के विना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस में कि वह लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था।

(५) यदि लोक-सभा द्वारा पारित तथा राज्य-परिषद् को उस की सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धन-विधेयक उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर लोक-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर यह दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोक-सभा ने उस को पारित किया था।

धन-विधेयकों की परिभाषा.

११०. (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट ही हैं, अर्थात्--

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियमन;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत सरकार द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, विनियमन;

(ग) भारत की संचित-निधि अथवा आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उस में से धन निकालना ;

(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;

(ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना;

(च) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक-लेखे के मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओं का लेखा-परीक्षण; अथवा

(छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।

(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के

भाग ५—संघ—अनु० ११०-१११

लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा :

(४) अनुच्छेद १०९ के अधीन जब धन-विधेयक राज्य-परिषद् को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद १११ के अधीन अनुमति के लिये राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर लोक-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन-विधेयक है।

विधेयकों पर अनुमति.

१११. जब संसद् के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

परन्तु राष्ट्रपति अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदनों को संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे उस विधेयक पर अथवा उस के किसी उल्लिखित उपबन्धों पर पुनर्विचार करें तथा विशेषत. किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरः-स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उस ने अपने संदेश में सिपारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति न रोकेगा।

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

वार्षिक-वित्त-विवरण.

११२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक-वित्त-विवरण" नाम से निर्दिष्ट किया गया है।

(२) वार्षिक-वित्त-विवरण में दिये हुए व्यय की प्राक्कलनों में—

(क) जो व्यय इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित है उस की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां; तथा

(ख) भारत की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां,

पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी तथा राजस्व-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा।

(३) निम्नवर्ती व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा—

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय;

(ख) राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;

(ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व भारत सरकार पर है, जिन के अन्तर्गत व्याज, निक्षेप-निधि-भार और मोचन-भार तथा उधार लेने और ऋण-सेवा और ऋण-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं;

भाग ५--संघ--अनु० ११२-११३

(घ) (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति वेतन ;

(२) फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन ;

(३) जो उच्चन्यायालय भारत राज्य-क्षेत्र में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी प्रांत में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था उस के न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन;

(ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के, या के बारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन;

(च) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई राशियां;

(छ) इस संविधान द्वारा, अथवा संसद् से विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

संसद में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया।

११३. (१) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलनें संसद् में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह संसद् के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा को रोकती है।

(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे लोक-सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखी जायेंगी तथा लोक-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार

या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उल्लिखित राशि को कम कर के, स्वीकार करे।

(३) राष्ट्रपति की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी।

विनियोग-विधेयक.

११४. (१) लोक-सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र भारत की संचित निधि में से—

(क) लोक-सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की; तथा

(ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किन्तु संसद् के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक, व्यय की,

पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा :

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेर-फार करने, अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक पर, संसद् के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(३) अनुच्छेद ११५ और ११६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।

अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान.

११५. (१) यदि—

(क) अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष

के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक-वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है; अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये, अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में, तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग के बारे में, अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद ११२, ११३ और ११४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण तथा उस में वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान.

११६. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी लोक-सभा को—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, ऐसे अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद ११३

भाग ५—संघ—अनु० ११६-११७

में विहित प्रक्रिया की पूर्ति के लम्बित रहने तक, तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की;

(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग वैसे व्योरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जैसा कि वार्षिक-वित्त-विवरण में साधारणतया दिया जाता है तब भारत के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा कोई अपवादानुदान करने की,

शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उन के लिये भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति संसद् को होगी।

(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद ११३ और ११४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध.

११७. (१) अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (च) तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिपारिश के विना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्य-परिषद में पुरःस्थापित न किया जायेगा :

परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी।

(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद् के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिपारिश न की हो।

साधारणतया प्रक्रिया

११८. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने कार्य-संचालन के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगा। प्रक्रिया नियम।

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के विधान-मंडल के बारे में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों और अनुकूलनों के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य-परिषद् का सभापति या लोक-सभा का अध्यक्ष करे, संसद् के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे।

(३) राज्य-परिषद् के सभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त

भाग ५—संघ—अनु० ११८-१२०

बैठकों सम्बन्धी, तथा उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

(४) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा उस की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिस का खंड (३) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार निर्धारण हो।

संसद् में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन.

११९. वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से संसद्, विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से, अथवा भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले [illegible] प्रक्रिया और [illegible], और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का उपबन्ध अनुच्छेद ११८ के खंड (१) के अधीन संसद् के किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन संसद् के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा।

संसद् में प्रयोग होने वाली भाषा.

१२०. (१) भाग (१७) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा :

परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद् का सभापति या लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उस में से लुप्त कर दिये गये हैं।

१२१. उच्चतमन्यायालय या उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद् में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में न होगी। संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन.

१२२. (१) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमिता के आधार पर संसद् की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी। न्यायालय संसद् की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे.

(२) संसद् का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिस में इस संविधान के द्वारा या अधीन संसद् में प्रक्रिया को, या कार्य-संचालन को, विनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की, शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा।

अध्याय ३.—राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां

१२३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों। संसद् के विश्रान्ति-काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापन-शक्ति.

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश——

(क) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा, तथा संसद् के पुनः समवेत होने से छ सप्ताह

की समाप्ति पर, अथवा, यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उस के निरनुमोदन के संकल्प पार कर देते हैं तो, इन में से दूसरे संकल्प के पारण होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा; तथा

(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी समय लौटा लिया जा सकेगा।

व्याख्या.—जब संसद् के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिये आहूत किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायेगी।

(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिये संसद् इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो वह शून्य होगा।

अध्याय ४.—संघ की न्यायपालिका

उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

१२४. (१) भारत का एक उच्चतमन्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा, जब तक संसद् विधि द्वारा और अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती तब तक, अन्य सात से अनधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।

(२) उच्चतमन्यायालय के, तथा राज्यों के उच्चन्यायालयों के, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिन से कि इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले :

परन्तु मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से सर्वदा परामर्श किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि—

(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा;

(ख) खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(३) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा—

(क) किसी उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश न रह चुका हो; अथवा

(ख) किसी उच्चन्यायालय का, अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का, लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो; अथवा

(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता न हो।

व्याख्या १.— इस खण्ड में "उच्चन्यायालय" से वह उच्चन्यायालय अभिप्रेत है जो भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय भी, प्रयोग करता था।

व्याख्या २.— इस खंड के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की कालावधि की संगणना में वह कालावधि भी अन्तर्गत होगी जिस में कि उस व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ऐसे न्यायिक पद को जो जिला-न्यायाधीश के पद से छोटा नहीं है, धारण किया हो।

(४) उच्चतमन्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक हटाया न जायेगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा

असमर्थता के लिये ऐसे हटाये जाने के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो।

(५) खंड (४) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की, तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की, प्रक्रिया का संसद् विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी।

(६) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के, अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के, समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए, प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(७) कोई व्यक्ति, जो उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य न करेगा।

न्यायाधीशों के वेतन आदि.

१२५. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का, तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधि-

कारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा :

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो विशेषाधिकारों में और न भत्तों में और न अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा ।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति.

१२६. जब भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति.

१२७. (१) यदि किसी समय उच्चतमन्यायालय के सत्र को करन या चालू रखने के लिये उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्य न हो तो राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से तथा सम्बद्ध उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श कर के भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी उच्चन्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये यथारीति अर्ह है तथा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधिपति नामोद्दिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में इतनी कालावधि के लिये, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ-न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिये लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेगा ।

(२) इस प्रकार नामोद्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्ववर्तिता देकर उच्चतमन्यायालय की बैठकों में, उस समय, तथा उस कालावधि के लिये, जिस के लिये उस की उपस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो, तथा जब वह इस प्रकार उपस्थित हो तब उस को उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के, सब क्षेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

भाग ५—संघ—अनु० १२८-१३१

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतमन्यायालयों की बैठकों में उपस्थिति.

१२८. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतमन्यायालय के, या फेडरलन्यायालय के, न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतमन्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियों और विशेषाधिकारों का हक्क होगा किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा :

परन्तु जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी ।

उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा.

१२९. उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियां होंगी ।

उच्चतमन्यायालय का स्थान.

१३०. उच्चतमन्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे, बैठेगा ।

उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार.

१३१. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के; अथवा

(ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के; अथवा

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के,

किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस

भाग ५—संघ—अनु० १३१-१३२

पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है वहां तक, अन्य न्यायालयों का अपवर्जन कर के उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा :

परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जिस में :—

(१) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बंध, सनद या अन्य तत्सम लिखत के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की गई या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है या रख ली गई है, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ है।

(२) कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बंध, सनद या अन्य तत्सम लिखत के, जो उपबन्ध करती है कि वैसा क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ है।

किन्हीं मामलों में उच्च-न्यायालयों से अपील में उच्चतम-न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार.

१३२. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक चाहे दांडिक चाहे अन्य कार्यवाही में दिये निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में हो सकेगी यदि वह उच्चन्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

(२) जहां कि उच्चन्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर दिया हो वहां, यदि उच्चतमन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है तो, वह ऐसे निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा।

भाग ५--संघ--अनु० १३२-१३३

(३) जहां ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा ऐसी इजाजत दे दी गई हो वहां मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी पूर्वोक्त प्रश्न के अशुद्ध निर्णय हो जाने के आधार पर, तथा उच्चतम-न्यायालय की इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उच्चतम-न्यायालय में अपील कर सकेगा।

व्याख्या.--इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "अन्तिम आदेश" पदावली के अन्तर्गत ऐसे वाद-पद का विनिश्चयात्मक आदेश भी है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित हो तो, उस मामले के अन्तिम निबटारे के लिये पर्याप्त होगा।

उच्च-न्यायालयों से व्यवहार विषयों के बारे की अपीलों में उच्चतम-न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार.

१३३. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के उच्चन्यायालय की व्यवहार-कार्यवाही में के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में होगी यदि उच्च-न्यायालय प्रमाणित करे--

(क) कि विवाद-विषय की राशि या मूल्य प्रथम बार के न्यायालय में बीस हजार रुपये से या ऐसी अन्य राशि से, जो इस बारे में संसद् से विधि द्वारा उल्लिखित की जाये, कम न थी और अपील-गत विवाद में भी उस से कम नहीं है; अथवा

कि निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश में उतनी राशि या मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई दावा या प्रश्न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अन्तर्ग्रस्त है; अथवा

(ग) कि मामला उच्चतमन्यायालय में अपील के लायक है;

तथा, जहां कि अपीलकृत निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश उपखंड (ग) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न किसी मामले में विनान्तर नीचे के न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि करता है

भाग ५—संघ—अनु० १३३-१३४

वहां, यदि उच्चन्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि अपील में कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

(२) अनुच्छेद १३२ में किसी बात के होते हुए भी खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय में अपील करने वाला कोई पक्ष ऐसी अपील के कारणों में यह कारण भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के सारवान विधि-प्रश्न का अशुद्ध विनिश्चय किया गया है।

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति, या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में न होगी जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे।

दंड विषयों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार.

१३४. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, किसी दंड-कार्यवाही में दिये हुए निर्णय, अन्तिम आदेश या दंडादेश की उच्चतमन्यायालय में अपील होगी यदि—

(क) उस उच्चन्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उस को मृत्यु-दंडादेश दिया है; अथवा

(ख) उस उच्चन्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से किसी मामले को परीक्षण करने के हेतु अपने पास मंगा लिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराया है और मृत्यु-दंडादेश दिया है; अथवा

(ग) उच्चन्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतमन्यायालय में अपील किये जाने लायक है :

परन्तु उपखंड (ग) के अधीन होने वाली अपील ऐसे उपबन्धों के अधीन रह कर, जो अनुच्छेद १४५ के खंड (१) के

भाग ५—संघ—अनु० १३४-१३६

अधीन उस लिये बनाये जायें तथा ऐसी शर्तों के अधीन रह कर जो उच्चन्यायालय द्वारा स्थापित या अपेक्षित की जायें, ही होगी।

(२) संसद् विधि द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो ऐसी विधि में उल्लिखित की जायें, उच्चतमन्यायालय को भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के दंड-कार्यवाही में दिये गये किसी निर्णय, अन्तिम आदेश अथवा दंडादेश की अपील लेने और सुनने की और भी शक्ति दे सकेगी।

वर्तमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियों का उच्चतमन्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना.

१३५. जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक उच्चतमन्यायालय को भी किसी विषय के बारे में जिस पर अनुच्छेद १३३ या अनुच्छेद १३४ के उपबन्ध लागू नहीं होते, क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के सम्बन्ध में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी वर्तमान विधि के अधीन क्षेत्राधिकार और शक्तियां फेडरलन्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।

अपील के लिये उच्चतमन्यायालय की विशेष इजाजत.

१३६. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतमन्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिये हुए किसी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा।

(२) सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या [illegible] किसी निर्णय, निर्धारण, दंडादेश या आदेश को खंड (१) की कोई बात लागू न होगी। [illegible]

१३७. संसद् द्वारा बनाई गई किसी विध के उपबन्धों के, अथवा अनुच्छेद १४५ के अधीन बनाये गये किसी नियम के, अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय या दिये गये आदेश पर पुनर्विलोकन करने का अधिकार होगा। निर्णयों या आदेशों पर उच्चतम-न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन.

१३८. (१) संघ-सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जैसे संसद् विधि द्वारा प्रदान करे। उच्चतम-न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि.

(२) यदि संसद् न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग का विधि द्वारा उपबन्ध करे तो किसी विषय के बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे।

१३९. अनुच्छेद ३२ के खंड (२) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश, आदेश या लेख जिन के अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा इन में से किसी को, निकालने की शक्ति संसद् विधि द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान कर सकेगी। कुछ लेखों के निकालने की शक्ति का उच्चतम-न्यायालय को प्रदान.

१४०. ऐसी अनुपूरक शक्तियों को, जो इस संविधान के उपबन्धों में से किसी से असंगत न हों, संसद् विधि द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान करने के लिये उपबन्ध कर सकेगी, जैसी कि उस न्यायालय को इस संविधान के द्वारा या अधीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक कार्य-साधक रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों। उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियां.

भाग ५—संघ—अनु० १४१-१४३

उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी.

१४१. उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी।

उच्चतमन्यायालय की आज्ञप्तियों और आदेशों का प्रवृत्त कराना तथा प्रकटन आदि के आदेश.

१४२. (१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्चतमन्यायालय ऐसी आज्ञप्ति या ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि उस के समक्ष लम्बित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो तथा इस प्रकार दी हुई आज्ञप्ति या आदेश भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जैसी कि संसद् किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित करे, तथा, जब तक उस लिये उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक, ऐसी रीति से, जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।

(२) संसद् द्वारा इस बारे में बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के, अथवा अपने किसी अवमान का अनुसंधान कराने या दंड देने के, प्रयोजन के लिये कोई आदेश देने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी।

उच्चतमन्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति.

१४३. (१) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा श्न उत्पन्न हुआ है, अथवा उस के उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इस प्रकार का और ऐसे सार्वजनिक महत्त्व का है कि उस पर उच्चतमन्यायालय की राय प्राप्त करना इष्टकर है, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचारार्थ सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।

(२) राष्ट्रपति, अनुच्छेद १३१ के परन्तुक के खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त खंड में वर्णित प्रकार के विवाद

को उच्चतमन्यायालय को राय देने के लिये सौंप सकेगा तथा उच्चतमन्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।

असैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे.

१४४. भारत राज्य-क्षेत्र के सभी असैनिक और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

न्यायालय के नियम आदि.

१४५. (१) संसद् द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय, समय समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के साधारण विनियमन के लिये नियम बना सकेगा तथा जिन के अन्तर्गत—

(क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम;

(ख) अपीलें सुनने के लिये प्रक्रिया के बारे में, तथा अपीलों सम्बन्धी अन्य विषयों के, जिन के अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर अपीलें न्यायालय में दाखिल की जानी हैं, बारे में नियम;

(ग) भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी की पूर्ति कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम;

(घ) अनुच्छेद १३४ के खंड (१) के उपखंड (ग) के अधीन अपीलों के लिये जाने के बारे में नियम;

(ङ) उस न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय अथवा दिया गया आदेश जिन शर्तों के अधीन रह कर पुनर्विलोकित किया जा सकेगा उन के बारे में, तथा

ऐसे पुनर्विलोकन के लिये प्रक्रिया के बारे में, जिस के अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-पत्र न्यायालय में दाखिल किये जाने हैं, नियम;

(च) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों में के और तत्प्रासंगिक खर्चे के बारे में, तथा उसमें कार्यवाहियों के विषय में ली जाने वाली फीसों के बारे में, नियम;

(छ) जामिन की मंजूरी के बारे में नियम;

(ज) कार्यवाहियों के रोकने के बारे में नियम;

(झ) ऐसी अपील जो उस न्यायालय को तुच्छ या तंग करने वाली अथवा विलम्ब करने के प्रयोजन से की हुई प्रतीत होती है उस के संक्षेपतः निर्धारण के लिये उपबन्धन करने वाले नियम;

(ञ) अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) में निर्दिष्ट जांचों के लिये प्रक्रिया के बारे में नियम;

भी हैं।

(२) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अनुच्छेद के अधीन बने नियम, उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिये बैठेंगे तथा, अकेले न्यायाधीशों और खंड-न्यायालयों की शक्ति के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(३) इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न जिस मामले के अन्तर्ग्रस्त है उस का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये, अथवा इस संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन सौंपे गये प्रश्न सुनने के प्रयोजन के लिये, बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होगी :

परन्तु जहां इस अध्याय में के अनुच्छेद १३२ से भिन्न उपबन्धों के अधीन अपील सुनने वाला न्यायालय पांच न्याया-

भाग ५—संघ—अनु० १४५-१४६

धीशों से कम से मिल कर बना है तथा अपील सुनने के दौरान में उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में संविधान के निर्वचन का ऐसा सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जिस का निर्धारण अपील के निबटारे के लिये आवश्यक है, वहां वह न्यायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को, जो ऐसे प्रश्न को अन्तर्ग्रस्त रखने वाले किसी मामले के विनिश्चय के लिये इस खंड द्वारा अपेक्षित रूप में गठित किया जाये, उस की राय के लिये सौंपेगा तथा राय की प्राप्ति पर उस अपील को वैसी राय के अनुसार निबटायेगा।

(४) उच्चतमन्यायालय कोई निर्णय खुले न्यायालय में के सिवाय नहीं सुनायेगा तथा अनुच्छेद १४३ के अधीन कोई प्रतिवेदन खुले न्यायालय में ही सुनाई गई राय से अन्यथा न दिया जायेगा।

(५) कोई निर्णय और ऐसी कोई राय उच्चतमन्यायालय द्वारा, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों में के बहुसंख्यक की सहमति से अन्यथा, न दी जायेगी किन्तु इस खंड की कोई बात सहमत न होने वाले किसी न्यायाधीश को अपने विमत-निर्णय या राय देने से न रोकेगी।

१४६. (१) उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा निदेशित उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा : उच्चतम-न्यायलय के पदाधिकारी औरसेवक तथा व्यय।

परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से संसक्त किसी पद पर, संघ-लोकसेवा-आयोग से परामर्श किये बिना, नियुक्त न किया जायेगा।

भाग ५—संघ—अनु० १४६-१४७

(२) संसद् द्वारा निर्मित विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विहित करे :

परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से सम्बद्ध हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(३) उच्चतमन्यायालय के प्रशासन-व्यय, जिन के अन्तर्गत उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि का भाग होंगी।

निर्वचन.

१४७. इस अध्याय में तथा भाग ६ के अध्याय ५ में इस संविधान के निर्वचन के सारवान विधि-प्रश्न के बारे में जो निर्देश हैं उन का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो उन के अन्तर्गत भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के (जिस के अन्तर्गत उस अधिनियम को संशोधित या अनुपूरित करने वाली कोई अधिनियमिति भी है) अथवा उस के अधीन बनाये गये किसी परिषदादेश या आदेश के, अथवा भारतीय-स्वतंत्रता-अधिनियम १९४७ के अथवा उस के अधीन बनाये गये किसी आदेश के, निर्वचन के सारवान विधि-प्रश्न के निर्देश भी हैं।

भाग ५—संघ—अनु० १४८

अध्याय ५.—भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

१४८. (१) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिस को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जायेगा जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। भारत का नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक.

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है, अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(३) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक संसद् इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसी होंगी जैसी कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं :

परन्तु न तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और न उस की अनुपस्थिति-छुट्टी, निवृत्ति वेतन या निवृत्ति-वयस् सम्बन्धी अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।

(४) अपने पद पर न रह जाने के पश्चात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन और पद का पात्र न होगा।

(५) इस संविधान के तथा संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा-विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा-शर्तें तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनीय शक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे।

भाग ५—संघ—अनु० १४८-१५१

(६) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासन-व्यय, जिन के अन्तर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को, या क बारे में, देय सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां.

१४९. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य प्राधिकारों या निकायों के, लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित किये जायें तथा, जब तक उस बारे में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि इस सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः भारत डोमीनियन के और प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत के महालेखा-परीक्षक को प्रदत्त थीं या के द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।

लेखे के विषय में निदेश देने की नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की शक्ति.

१५०. संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में रखा जायेगा जैसा कि भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे।

लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन.

१५१. (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ-लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उन को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(२) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राजप्रमुख के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उन को उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा।

भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य

अध्याय १.—साधारण

१५२. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" पद का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य है । परिभाषा.

अध्याय २.—कार्यपालिका

राज्यपाल

१५३. प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा । राज्यों के राज्यपाल.

१५४. (१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा । राज्य की कार्यपालिका शक्ति.

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राज्य-पाल को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे, अथवा

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य देने में संसद् अथवा राज्य के विधान-मंडल को बाधा न होगी ।

१५५. राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा । राज्यपाल की नियुक्ति.

१५६. (१) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण करेगा । राज्यपाल की पदावधि.

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १५६-१५८

(२) राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(३) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परन्तु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्यपाल अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा ।

राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हताएं.

१५७. (१) कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो ।

राज्यपाल-पद के लिये शर्तें.

१५८. (१) राज्यपाल न तो संसद् के किसी सदन का, और न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का, अथवा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का, सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है ।

(२) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा ।

(३) राज्यपाल को, विना किराया दिये अपने पदावासों के उपयोग का हक्क होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा ।

(४) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद की अवधि में घटाये नहीं जायेंगे ।

भाग ६.—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १५९-१६१

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.

१५९. प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करता है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के, अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश के, समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—

> "मैं,...अमुक,... ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक...(राज्य का नाम) के राज्यपाल का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं...... ...(राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।"

कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन.

१६०. इस अध्याय में उपबन्ध न की हुई किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिये राष्ट्रपति, जैसा उचित समझे, वैसा उपबन्ध बना सकेगा।

क्षमा आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण करने की राज्यपाल की शक्ति.

१६१. जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा, प्रविलम्बन, विराम, या परिहार करने की, अथवा दंडादेश का निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने की, उस राज्य के राज्यपाल को शक्ति होगी।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १६२-१६३

राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार.

१६२. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है :

परन्तु जिस विषय के बारे में राज्य के विधान-मंडल और संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उस में राज्य की कोई कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, अथवा संसद् निर्मित किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को स्पष्टता पूर्वक प्रदत्त शक्ति के अधीन रह कर, और से परिसीमित हो कर, ही होवेगी।

मंत्रि-परिषद्

राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद्.

१६३. (१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उन में से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिस का प्रधान मुख्य मंत्री होगा।

(२) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिस के सम्बन्ध में, इस संविधान के द्वारा या अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह स्वविवेक से कार्य करे तो राज्यपाल का स्वविवेक से किया हुआ विनिश्चय अन्तिम होगा तथा राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण से कोई आपत्ति न की जायेगी कि उसे स्वविवेक से कार्य करना, या न करना, चाहिये था।

(३) क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य— अनु० १६४–१६५

१६४. (१) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे : मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध.

परन्तु उड़ीसा, बिहार और मध्यप्रदेश राज्यों में आदिमजातियों के कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का, अथवा किसी अन्य कार्य का भी, भार-साधक हो सकेगा।

(२) मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(३) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहिले राज्यपाल उस से, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार, पद की और गोपनीयता की शपथें करायेगा।

(४) कोई मंत्री, जो निरन्तर छ मासों की किसी कालावधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा।

(५) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय समय पर उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निर्धारित करे तथा, जब तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक, ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है।

राज्य का महाधिवक्ता

१६५. (१) उच्चन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य का महाधिवक्ता.

(२) महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य— अनु० १६५-१६७

विधि-रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसे, समय समय पर, भेजे या सौंपे तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसे इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन दिये गये हों।

(३) महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पायेगा।

सरकारी कार्य का संचालन

राज्य की सरकार के कार्य का संचालन.

१६६. (१) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी।

(२) राज्यपाल के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उसी रीति से किया जायेगा जो राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी कि वह राज्यपाल द्वारा दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

(३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने के लिये तथा जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिस के विषय में इस संविधान के द्वारा या अधीन अपेक्षित है कि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करे वहां तक उक्त कार्य के बंटवारे के लिये राज्यपाल नियम बनायेगा।

राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्तव्य.

१६७. प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री का—

(क) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के समस्त विनिश्चय तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें राज्यपाल को पहुंचाने का;

(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राज्यपाल मंगावे, उस को देने का; तथा

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १६७-१६९

(ग) किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का,

कर्तव्य होगा।

अध्याय ३—राज्य का विधान-मंडल

साधारण

राज्यों के विधान-मंडलों का गठन।

१६८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा जो राज्यपाल तथा—

(क) पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मुम्बई, और युक्त प्रदेश के राज्यों में दो सदनों से;

(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से,

मिल कर बनेगा।

(२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हों वहां एक विधान-परिषद् और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां केवल एक सदन हो वहां वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा।

राज्यों में विधान-परिषद् का उत्सादन या सृजन।

१६९. (१) अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा किसी विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-परिषद् के उत्सादन के लिये अथवा वैसी परिषद् से रहित राज्य में वैसी परिषद् के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी यदि राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर दिया हो।

भाग ६-प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १६९-१७०

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे।

(३) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

विधान-सभाओं की रचना.

१७०. (१) अनुच्छेद ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधान-सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से मिल कर बनेगी।

(२) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर होगा, तथा आसाम के स्वायत्त जिलों को, तथा शिलौंग के नगर-क्षेत्र व कटक से मिल कर बने निर्वाचन-क्षेत्र को, छोड़ कर जनसंख्या के प्रत्येक पचहत्तर हजार के लिये एक से अनधिक प्रतिनिधि के अनुपात से होगा :

परन्तु किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी अवस्था में पांच सौ से अधिक अथवा साठ से कम न होगी।

(३) राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या का उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से अनुपात सारे राज्य में सर्वत्र यथा-साध्य एक ही होगा।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १७०-१७१

(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे :

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से विधान-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब तक कि उस समय वर्तमान विधान-सभा का विघटन न हो जाये।

विधान-परिषदों की रचना.

१७१. (१) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या की एक चौथाई से अधिक न होगी :

परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या चालीस से कम न होगी।

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तब तक किसी राज्य की विधान-परिषद् की रचना खंड (३) में उपबन्धित रीति से होगी।

(३) किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या का—

(क) यथाशक्य तृतीयांश उस राज्य में की नगरपालिकाओं, जिला-मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जैसे कि संसद् विधि द्वारा उल्लिखित करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा;

(ख) यथाशक्य द्वादशांश उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बने हुए निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी विश्व-विद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १७१

ऐसी अर्हताओं को धारण किये हुए हैं जो संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन वैसे किसी विश्व-विद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के तुल्य विहित की गई हो ;

(ग) यथाशक्य द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं जैसी कि संसद् निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें ;

(घ) यथाशक्य तृतीयांश राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं हैं ;

(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उस रीति से नाम-निर्देशित होंगे जो कि इस अनुच्छेद के खंड (५) में उपबन्धि ।

(४) खंड (३) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जायेंगे, जैसे कि संसद्-निर्मित किसी विधि के अधीन या द्वारा विहित किये जायें तथा उक्त उपखंडों के, और उपखंड (घ) के, अधीन होने वाले निर्वाचन अनुपाती-प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे ।

(५) खंड (३) के उपखंड (ङ) के अधीन राज्यपाल द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्—

साहित्य विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १७२-१७३

१७२. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम विधान-सभा का विघटन होगा :

राज्यों के विधान मंडलों की अवधि.

परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद्, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी ।

(२) राज्य की विधान-परिषद् का विघटन न होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई संसद् निर्मित विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे ।

१७३. कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि—

राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अर्हता.

(क) वह भारत का नागरिक न हो ;

(ख) विधान-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का, तथा विधान-परिषद् के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का, न हो; तथा

(ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें ।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) के राज्य—अनु० १७४–१७६

राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन

१७४. (१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायेगा तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छ मास का अन्तर न होगा।

(२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल, समय समय पर—

(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा;

(ख) सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा;

(ग) विधान-सभा का विघटन कर सकेगा।

सदन या सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार.

१७५. (१) विधान-सभा को, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(२) राज्यपाल राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बित किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश उस राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों को भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीघ्रता से विचार करेगा।

प्रत्येक सत्रारम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण.

१७६. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में विधान-सभा को, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा आह्वान का कारण विधान-मंडल को बतायेगा।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १७६-१७९

(२) सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिये तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने के लिये उपबन्ध किया जायेगा।

सदनों विषयक मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार.

१७७. राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में दोनों सदनों में, बोले तथा दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग ले तथा विधान-मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का हक्क न होगा।

राज्य के विधान-मंडल के पदाधिकारी

विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.

१७८. राज्य की प्रत्येक विधान-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदरिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना.

१७९. विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य--

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा; तथा

(ग) विधान-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १७९-१८१

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो :

परन्तु यह और भी कि जब कभी विधान-सभा का विघटन किया जाये तो विघटन के पश्चात् होने वाले विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा ।

अध्यक्ष-पद के कर्तव्य-पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति.

१८०. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उपाध्यक्ष अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(२) विधान-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा.

१८१. (१) विधान-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा, तथा अनुच्छेद १८० के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है ।

(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-सभा में विचाराधीन हो तब उसको सभा में बोलने

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १८१-१८३

तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु मत साम्य होने की दशा में न होगा।

विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति.

१८२. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्, जहां ऐसी परिषद् हो, यथासम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी तथा जब जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब परिषद् किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति सभापति या उपसभापति, चुनेगी।

सभापति और उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना.

१८३. विधान-परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

(क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपसभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है तथा सभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद त्याग सकेगा; तथा

(ग) परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद् के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १८४-१८६

उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति.

१८४. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो तब उपसभापति अथवा, यदि उपसभापति का भी पद रिक्त हो तो, विधान-परिषद् का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) विधान-परिषद् की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निर्धारित करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा।

जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा.

१८५. (१) विधान-परिषद् की किसी बैठक में, जब सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद १८४ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में प्रत्येक ऐसी बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है।

(२) जब कि सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-परिषद् में विचाराधीन हो तब उस को परिषद् में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु मत साम्य की दशा में न होगा।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति

१८६. विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तथा विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे क्रमशः राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार

भाग ६ —प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य— अनु० १८६-१८८

न बनें तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे । के वेतन और भत्ते.

१८७. (१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् साचिविक कर्मचारी-वृन्द होगा : राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय.

परन्तु विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के बारे में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है ।

(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगा ।

(३) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान-मंडल उपबन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधान-सभा के अध्यक्ष से, या विधान-परिषद् के सभापति से, परामर्श करके सभा या परिषद् के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे ।

कार्य-संचालन

१८८. राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा । सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १८९-१९०

सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति.

१८९. (१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की किसी बैठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति या उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर, उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा ।

अध्यक्ष अथवा सभापति या उस के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, पर मत साम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उस का प्रयोग करेगा ।

(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का हक्क न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के विधान-मंडल में की कार्यवाही मान्य होगी ।

(३) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे तब तक राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश, इस में से जो भी अधिक हो, होगी ।

(४) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये ।

सदस्यों की अनर्हताएं

थानों की रिक्तता.

१९०. (१) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- अनु० १९०

हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगा।

(२) कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, ऐसे सब राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में के विधान-मंडलों के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो।

(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य—

(क) अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है; अथवा

(ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के विना उस के सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उस क स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—
अनु० १९१-१९२

सदस्यता लिये अनर्हतायें.

१९१. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है ;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किये हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है ।

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चय.

१९२. (१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान-मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १९२-१९४

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने और मत देने के लिये दण्ड.

१९३. यदि राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में, अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि मैं उस की सदस्यता के लिये अर्ह नहीं हूं अथवा अनर्ह कर दिया गया हूं अथवा संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये, जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पांच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा।

राज्य के विधान-मंडलों और उन के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

विधान-मंडलों के सदनों की तथा उन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि.

१९४. (१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा विधान-मंडल की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा।

(२) राज्य के विधान-मंडल में या उस की किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १९४-१९६

(३) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान-मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जैसी वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कॉमन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की हैं।

(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन अथवा उस की किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उस की कार्य-वाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उन के सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं।

सदस्यों के वेतन और भत्ते.

१९५. राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद् के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन, और भत्तों के, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हक्क होगा।

विधान प्रक्रिया

विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध.

१९६. (१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्त-विधेयकों के विषय में अनुच्छेद १९८ और २०७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा।

भाग ६——प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य——

अनु० १९६-१९७

(२) अनुच्छेद १९७ और १९८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा जब तक कि या तो बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो।

(३) किसी राज्य के विधान-मंडल में लम्बित-विधेयक उस के सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत न होगा।

(४) किसी राज्य की विधान-परिषद् में लम्बित-विधेयक, जिस को विधान-सभा ने पारित नहीं किया है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत न होगा।

(५) कोई विधयक जो किसी राज्य की विधान-सभा में लम्बित है, अथवा, जो विधान-सभा से पारित हो कर विधान-परिषद् में लम्बित है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत हो जायेगा।

धन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में विधान-परिषद् की शक्तियों का निर्बन्धन.

१९७. (१) यदि विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित हो जाने तथा विधान-परिषद् को पहुंचाये जाने के पश्चात्,——

(क) परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा

(ख) परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उस से विधेयक पारित हुए बिना तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा

(ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिन से सभा सहमत नहीं होती,

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—

अनु० १९७–१९८

तो विधान-सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रह कर, उसी या किसी आगे आने वाले सत्र में ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित या विना, यदि कोई हों, जो विधान-परिषद् ने किये हैं, सुझाये हैं या स्वीकार किये हैं, पुनः पारित कर सकेगी तथा तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान-परिषद् को पहुंचा सकेगी।

(२) यदि विधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दोबारा पारित हो जाने तथा विधान-परिषद् को पहुंचाये जाने के पश्चात्—

(क) परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा

(ख) परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, उस से विधेयक पारित हुए विना एक मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा

(ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिन्हें सभा स्वीकार नहीं करती,

तो विधेयक राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में कि वह विधान-सभा द्वारा ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जो कि विधान-परिषद् द्वारा किये या सुझाये गये हों तथा विधान-सभा ने स्वीकार कर लिये हों, दूसरी बार पारित किया गया था।

(३) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू नहीं होगी।

धन-विधयकों विषयक विशेष प्रक्रिया.

१९८. (१) विधान-परिषद् में धन-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १९८-१९९

(२) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, धन-विधेयक विधान-परिषद् को, उस की सिपारिशों के लिये, पहुंचाया जायेगा तथा विधान-परिषद् विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित विधान-सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर विधान-सभा, विधान-परिषद् की सिपारिशों में से सब को, या किसी को, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(३) यदि विधान-परिषद् की सिपारिशों में से किसी को विधान-सभा स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक विधान-परिषद् द्वारा सिपारिश किये गये तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा।

(४) यदि विधान-परिषद् की सिपारिशों में से किसी को भी विधान-सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, विधान-परिषद् द्वारा सिपारिश किये गये किसी संशोधन के विना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस में कि वह विधान-सभा द्वारा पारित किया गया था।

(५) यदि विधान-सभा [द्वा]रा पारित तथा विधान-परिषद् को उसकी सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धन-विधेयक उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया नहीं जाता तो [उक्]त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में विधान-सभा न उस को पारित किया था।

धन-विधेयकों की परिभाषा.

१९९. (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तर्विष्ट हैं, अर्थात्—

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार बदलना या विनियम ;

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—
अनु० १९९

(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, विनियमन ;

(ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उस में से धन निकालना;

(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग;

(ङ) किसी व्यय को राज्य की संचित नि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना ;

(च) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक-लेखे मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना; अथवा

(छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय ।

(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दंडों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, या की हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का उपबन्ध करता है अथवा, इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है ।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० १९९-२००

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(४) अनुच्छेद १९८ के अधीन जब धन-विधेयक विधान-परिषद् को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद २०० के अधीन अनुमति के लिये राज्य के राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर विधान-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन-विधेयक है।

विधेयकों पर अनुमति.

२००. जब राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लेता है :

परन्तु राज्यपाल अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर अथवा उस के किन्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर पुनर्विचार करें तथा विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उस ने अपने संदेश में सिपारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिये रखा जाता है तो राज्यपाल उस पर अनमति न रोकेगा :

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २००-२०२

परन्तु यह और भी कि जिस विधेयक से, यदि वह विधि हो गया तो, राज्यपाल की राय में उच्चन्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिस की पूर्ति के लिये वह न्यायालय इस संविधान द्वारा बनाया गया है, संकटापन्न हो जायेगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति न देगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखेगा।

विचारार्थ रक्षित विधेयक.

२०१. राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लिया जाये तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो सम्मति देता है या सम्मति रोक लेता है :

परन्तु, जहां विधेयक धन-विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथा-स्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन को या सदनों को ऐसे संदेश सहित, जैसा कि अनुच्छेद २०० के पहिले परन्तुक में वर्णित है, लौटा दे, तथा जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाये तब ऐसे संदेश के मिलने की तारीख से छ महीने की कालावधि के अन्दर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार फिर से विचार किया जायेगा तथा, यदि वह संशोधन के सहित या विना सदन या सदनों द्वारा फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष उस के विचार के लिये पुनः उपस्थित किया जायेगा।

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

वार्षिक-वित्त-विवरण.

२०२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष, राज्यपाल उस राज्य की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक-वित्त-विवरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।

(२) वार्षिक-वित्त-विवरण व्यय के प्राक्कलन में दिये हुए—

(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित है उस की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां; तथा

(ख). राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां,

पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी, तथा राजस्व-लेखे पर होन वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा।

(३) निम्नवर्ती व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा—

(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उस के पद से सम्बद्ध अन्य व्यय;

(ख) विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तथा किसी राज्य में विधान-परिषद् होने को अवस्था में विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति के भी, वेतन और भत्ते;

(ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व राज्य पर है जिन के अन्तर्गत व्याज, निक्षेप-निधि-भार, और मोचन भार, उधार लेने और ऋण-सेवा और ऋणमोचन सम्बन्धी अन्य व्यय, भी हैं;

(घ) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों विषयक व्यय;

(ङ) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई राशियां;

(च) इस संविधान से या राज्य के विधान-मडल से विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २०३-२०४

विधान-मंडल में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया.

२०३. (१) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलनें विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा को रोकती है।

(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे विधान-सभा के समक्ष अनुदान-मांग के रूप में रखी जायेंगी तथा विधान-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उल्लिखित राशि को कम कर के, स्वीकार करे।

(३) राज्यपाल की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी।

विनियोग-विधेयक.

२०४. (१) विधान-सभा द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से—

(क) सभा द्वारा इस प्रकार किय अनुदानों की; तथा

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की,

पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य के विधान-मंडल के सदन म या किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २०४-२०५

(३) अनुच्छेद २०५ और २०६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से, इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।

अनुपूरक, अपर या अतिरिक्त अनुदान.

२०५. (१) यदि—

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक-वित्त-विवरण में अवेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये माग उपस्थित करायेगा।

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में, तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद २०२, २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण तथा उस में वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिये धनों

का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान.

२०६. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान-सभा को—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में विहित प्रक्रिया की पूर्ति लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की;

(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्योरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जैसा कि वार्षिक-वित्त-विवरण में साधारणतया दिया जाता है, तब राज्य के सम्पत्ति-स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान करने की,

शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उनके लिये राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधान-मंडल को होगी।

(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा राज्य की संचित निधि में

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २०६-२०८

ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

२०७. (१) अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिपारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक विधान-परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायेगा : वित्त-विधेयकों के लिये उपबन्ध.

परन्तु किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी।

(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थ-दंड के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के लिये फीस की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल ने सिपारिश न की हो।

साधारणतया प्रक्रिया

२०८. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के प्रक्रिया के [illegible]

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २०८-२१०

तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा ।

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, तत्स्थानी राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे, ऐसे रूपभेदों और अनुकूलनों के साथ जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे ।

(३) विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् राज्यपाल, उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा ।

राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन.

२०९. वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से अथवा राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का कोई उपबन्ध अनुच्छेद २०८ के खंड (१) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, और वहां तक, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा ।

विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा.

२१०. (१) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा :

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २१०-२१३

परन्तु यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान-परिषद् का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(२) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उस में से लुप्त कर दिये गये हैं ।

विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बन्धन.

२११. उच्चतमन्यायालय या किसी उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा न होगी।

न्यायालय विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे.

२१२. (१) प्रक्रिया में, किसी कथित अनियमिता के आधार पर राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी ।

(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिस में इस संविधान के द्वारा या अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया को या कार्य-संचालन को विनियमन करने की अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हैं उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा ।

अध्याय ४.—राज्यपाल की विधायिनी शक्तियां

विधान-मंडल के विश्रान्ति-काल में राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापन-शक्ति.

२१३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान-सभा, तथा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों :

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—

अनु० २१३

परन्तु राष्ट्रपति के अनुदेशों के विना राज्यपाल कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित न करेगा यदि—

(क) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को विधान-मंडल में पुरःस्थापित किये जाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती; अथवा

(ख) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करना वह आवश्यक समझता; अथवा

(ग) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अमान्य होता जब तक कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो चुकी होती।

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, तथा जहां राज्य में विधान-परिषद् है वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छ सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व उस के निरनुमोदन का संकल्प विधान-सभा से पारित, और यदि विधान-परिषद् है तो उस से स्वीकृत, हो जाता है तो यथास्थिति संकल्प पारण होने पर, अथवा परिषद् द्वारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा; तथा

(ख) राज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा लिया जा सकेगा।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २१३-२१४

व्याख्या.—जब विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिये आहूत किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायेगी।

(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जो विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत अधिनियम के रूप में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा :

परन्तु राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद् के किसी अधिनियम अथवा किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव को दिखाने वाले इस संविधान के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये कोई अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया गया है, राज्य के विधान-मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया था तथा उस के द्वारा अनुमत हो चुका है।

अध्याय ५.—राज्यों के उच्चन्यायालय

२१४. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्चन्यायालय होगा। राज्यों के लिये उच्च-न्यायालय.

(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय को इस संविधान के प्रयोजन के लिये, तत्स्थानी राज्य के लिये होने वाला उच्चन्यायालय समझा जायेगा।

(३) इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय पर इस अध्याय के उपबन्ध लागू होंगे।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २१५-२१७

उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होंगे.

२१५. प्रत्येक उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियां होंगी।

उच्चन्यायालयों का गठन.

२१६. प्रत्येक उच्चन्यायालय मुख्य न्यायाधिपति तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे :

परन्तु इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश उस अधिकतम संख्या से अधिक न होंगे जिसे राष्ट्रपति, समय समय पर, उस न्यायालय के सम्बन्ध में आदेश द्वारा नियत करे।

उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उस के पद की शर्तें.

२१७. (१) भारत के मुख्य न्यायाधिपति से उस राज्य के राज्यपाल से तथा, मुख्य न्यायाधिपति को छोड़ कर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श कर के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले :

परन्तु—

(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा;

(ख) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के हेतु इस संविधान के अनुच्छेद १२४ के खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा;

(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत राज्य-

क्षेत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने पर, रिक्त कर दिया जायेगा।

(२) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, तथा——

(क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर चुका हो; अथवा

(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में के उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो।

व्याख्या.——इस खंड के प्रयोजनों के लिये——

(क) किसी उच्चन्यायालय के अधिवक्ता रहने की कालावधि की संगणना के अन्तर्गत वह कोई कालावधि भी होगी जिस में किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया हो;

(ख) उस कालावधि की संगणना के अन्तर्गत, जिस में कि कोई व्यक्ति भारत राज्य-क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुका है अथवा किसी उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व की वह कोई कालावधि भी होगी जिस में उस ने किसी क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ से पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम १९३५ में परिभाषित भारत में समाविष्ट था, यथास्थिति न्यायिक पद धारण किया हो अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २१८-२२१

उच्चतम-न्यायालय सम्बन्धी कुछ उपबन्धों का उच्चन्यायालय को लागू होना.

२१८. अनुच्छेद १२४ के खंड (४) और (५) के उपबन्ध, जहां जहां उन में उच्चतमन्यायालय के निर्देश हैं वहां वहां उच्चन्यायालय के निर्देश रख कर, उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उच्चतमन्यायालय के सम्बन्ध में लागू हैं।

उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.

२१९. किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के राज्यपाल के, अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के, समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

न्यायाधीशों द्वारा न्यायालयों में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि-वृत्ति करने का प्रतिषेध.

२२०. कोई व्यक्ति, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का पद इस संविधान के प्रारम्भ के बाद धारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य न करेगा।

न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि.

२२१. (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जैसे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा :

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उस की अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २२२-२२४

एक उच्चन्यायालय से दूसर को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण.

२२२. (१) राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके भारत राज्य-क्षेत्र में के एक उच्चन्यायालय से किसी दूसरे उच्चन्यायालय को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर सकेगा।

(२) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार स्थानान्तरित किया जाये तब उस कालावधि में, जिस में कि वह दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, उस को अपने वेतन के अतिरिक्त, ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जैसा संसद्, विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाये तब तक ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, पाने का हक्क होगा।

कायकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति.

२२३. (१) जब किसी उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यो के पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्चन्यायालयों की बैठकों उपस्थिति.

२२४. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, किसी व्यक्ति से, जो उस न्यायालय के या किसी अन्य उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों का, हक्क होगा, किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा :

परन्तु जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २२५-२२६

वर्तमान उच्च-न्यायालयों के क्षेत्राधिकार

२२५. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तथा इस संविधान द्वारा विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वर्तमान उच्चन्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, तथा उस न्यायालय में न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उस के न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिन के अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उस के सदस्यों के अकेले या खंड-न्यायालयों में बैठने के विनियमन करने की शक्ति भी है, वैसी ही रहेंगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थीं :

परन्तु राजस्व सम्बन्धी, अथवा उस के संगृहीत करने में आदेशित अथवा किये हुए किसी कार्य सम्बन्धी विषय में उच्चन्यायालयों में से किसी के आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, जिस किसी निर्बन्धन के अधीन इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले था, वह निर्बन्धन ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर आगे लागू न होगा ।

कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्च-न्यायालयों की शक्ति.

२२६. (१) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्चन्यायालय को, उन क्षेत्रों में सर्वत्र जिन के सम्बन्ध में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग (३) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उन राज्य-क्षेत्रों में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश या लेख जिन के अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं अथवा उन में से किसी को निकालने की शक्ति होगी ।

(२) खंड (१) द्वारा उच्चन्यायालय को प्रदत्त शक्ति से इस संविधान के अनुच्छेद ३२ के खंड (२) द्वारा उच्चतम-न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा ।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २२७-२२८

२२७. (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय उन राज्य-क्षेत्रों में सर्वत्र, जिन के सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करेगा। सब न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति.

(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव हुए उच्चन्यायालय—

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा;

(ख) ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन के हेतु साधारण नियम बना और निकाल सकेगा तथा प्रपत्रों को विहित कर सकेगा ; तथा

(ग) किन्हीं ऐसे न्यायालयों के पदाधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रपत्रों को विहित कर सकेगा।

(३) उच्चन्यायालय उन फीसों की सारिणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शेरीफ को तथा समस्त लिपिकों को और पदाधिकारियों को तथा इन में वृत्ति करने वाले न्यायवादियों, अधिवक्ताओं और वकीलों को मिल सकेंगी :

परन्तु खंड (२) या खंड (३) के अधीन बनाये गए कोई नियम अथवा विहित कोई प्रपत्र अथवा स्थिरीभूत कोई सारिणी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों से असंगत न होगी, तथा इन के लिये राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्चन्यायालय को सशस्त्र बलों सम्बन्धी किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली न समझी जायेगी।

२२८. यदि उच्चन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस के अधीन न्यायालय में लम्बित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जिस का विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--
अनु० २२८-२२९

निर्धारित होना मामले को निबटाने के लिये आवश्यक है तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा तथा--

(क) या तो मामले को स्वयं निबटा सकेगा; या

(ख) उक्त विधि-प्रश्न का निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे प्रश्न पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस मामले को उस न्यायालय को, जिस से मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा तथा उस के प्राप्त होने पर उक्त न्यायालय ऐसे निर्णय का अनुसरण करते हुए उस मामले को निबटाने के लिये आगे कार्यवाही करेगा ।

उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय.

२२९. (१) उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा निदिष्ट उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा :

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिस में न्यायालय का मुख्य स्थान है, नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर राज्य-लोकसेवा-आयोग से परामर्श किये बिना नियुक्त न किया जायेगा ।

(२) राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विहित करे :

परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से सम्बद्ध

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २२९-२३१

हैं, उस राज्य के राज्यपाल के जिस में उच्चन्यायालय का मुख्य स्थान है, अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

(३) उच्चन्यायालय के प्रशासनीय व्यय जिन के अन्तर्गत उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि का भाग होंगी ।

उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार और अपवर्जन.

२३०. संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जिस राज्य में उस का मुख्य स्थान है, उस से भिन्न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में, अथवा उस के भीतर न होने वाले किसी क्षेत्र में; अथवा

(ख) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन, जिस राज्य में उस का मुख्य स्थान है, उस से भिन्न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य से, अथवा उस के भीतर न होने वाले किसी क्षेत्र से,

कर सकेगी ।

राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, राज्यों के विधान-मंडलों की विधि बनाने की

२३१. जहां कोई उच्चन्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर, जिस में उस का मुख्य स्थान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, वहां इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह—

(क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, निर्बन्धन या उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल को, जिस में ऐसा कोई क्षेत्र अवस्थित है, उस क्षेत्राधिकार के उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है; अथवा

शक्तियों पर निर्बन्धन.

(ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये, तद्विषयक विधि बनाने की शक्ति रखने वाले विधान-मंडल को, उस न्यायालय को उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार विषयक, खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए, ऐसी विधियां पारित करने से रोकती है, जैसी कि वह, यदि उस न्यायालय का मुख्य स्थान उस क्षेत्र में होता तो, पारित करने के लिये सक्षम होता ।

निर्वचन.

२३२. जहां कोई उच्चन्यायालय प्रथम अनुसूची में उल्लिखित एक से अधिक राज्यों के सम्बन्ध में, अथवा किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, वहां--

(क) इस अध्याय में उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में राज्यपाल के प्रति जो निर्देश हैं उन से अभिप्रेत उस राज्य के राज्यपाल से होगा जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान है;

(ख) अधीन न्यायालय के लिये नियमों, प्रपत्रों और सारिणियों के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के प्रति जो निर्देश है वह उन का उस राज्य के, जिस में अधीन न्यायालय अवस्थित है, राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा अनुमोदन के प्रति अथवा यदि वह प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य का भाग न होने वाले क्षेत्र में अवस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के प्रति माना जायेगा, तथा

(ग) राज्य की संचित निधि के प्रति जो निर्देश हैं, वे उस राज्य की संचित निधि के प्रति माने जायेंगे जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान है ।

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—अनु० २३३-२३५

अध्याय ६.—अधीन न्यायालय

२३३. (१) किसी राज्य में जिला-न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उन की पद-स्थापना और पदोन्नति ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय से परामर्श कर के राज्य का राज्यपाल करेगा। — जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति.

(२) कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहिले से ही नहीं लगा हुआ है, जिला-न्यायाधीश होने के लिये केवल तभी पात्र होगा जब कि वह सात से अन्यून वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका है तथा उस की नियुक्ति के लिये उच्चन्यायालय ने सिपारिश की है।

२३४. जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों को राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य-लोकसेवा-आयोग तथा ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय से परामर्श के पश्चात् उस के द्वारा इस लिये बनाये गये नियमों के अनुसार की जायेगी। — न्यायिक सेवा में जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की भर्ती.

२३५. जिला-न्यायाधीश के पद से निचले किसी पद को धारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पद-स्थापना, पदोन्नति और उन को छुट्टी देने के सहित जिला-न्यायालयों तथा उन के अधीन न्यायालयों का नियंत्रण उच्च-न्यायालयों में निहित होगा, किन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि मानो वह ऐसे किसी व्यक्ति से उस अपील के अधिकार को छीनती है जो कि उस की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे प्राप्त है अथवा उच्चन्यायालय को अधिकार देती है कि वह उस की सेवा की ऐसी विधि के अधीन विहित शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उस से व्यवहार करे। — अधीन न्यायालयों पर नियंत्रण.

भाग ६ --प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- अनु० २३६-२३७

निर्वचन.

२३६. (१) इस अध्याय में--

(क) "जिला-न्यायाधीश" पदावलि के अन्तर्गत नगर-व्यवहार-न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला-न्यायाधीश, संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सहायक जिला-न्यायाधीश, लघुवाद-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, सत्र-न्यायाधीश, अपर सत्र-न्यायाधीश और सहायक सत्र-न्यायाधीश भी हैं।

(ख) "न्यायिक सेवा" पदावलि से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनी है, जो जिला-न्यायाधीश के पद तथा जिला-न्यायाधीश-पद से निचले अन्य व्यवहार न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्दिष्ट है।

कुछ प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना.

२३७. राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्ध तथा उन के अधीन बनाये गये कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह उस बारे में नियत करे, राज्य के किसी प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों के सम्बन्ध में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे कि अधिसूचना में उल्लिखित हों, वैसे ही लागू होंगे जसे कि वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

भाग ७

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य

२३८. भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूपभेदों और लुप्तियों के अधीन रह कर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उस अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, अर्थात्—

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों को भाग ६ के उपबन्धों का लागू होना.

(१) "राज्यपाल" पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड (ख) में जहां वह दूसरी बार आता है वहां को छोड़ कर, जहां भी वह उस भाग में आता है, "राजप्रमुख" शब्द रख दिया जायेगा।

(२) अनुच्छेद १५२ में "भाग (क)" शब्द और अक्षर के लिये "भाग (ख)" शब्द और अक्षर रख दिये जायेंगे।

(३) अनुच्छेद १५५, १५६ और १५७ लुप्त कर दिये जायेंगे।

(४) अनुच्छेद १५८ में—

(१) खंड (१) में "नियुक्त होने" शब्दों के लिये "होता है" शब्द रख दिये जायेंगे।

(२) खंड (३) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(३) राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उस का अपना निवासगृह न हो, तब विना किराया दिये पदावास के उपयोग का हक्क होगा तथा उस को ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसे कि राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।"

(३) खंड (४) में से "और उपलब्धियां" शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे ;

भाग ७—प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य— अनु० २३८

(५) अनुच्छेद १५० में "न्यायालय का प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश" शब्दों के बाद में "अथवा ऐसी अन्य रीति से जैसी कि राष्ट्रपति द्वारा उस बारे में निर्धारित की जाये" शब्द जोड़ दिये जायेंगे।

(६) अनुच्छेद १६४ में खंड (१) के परन्तुक के स्थान में निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा :

"परन्तु मध्यभारत राज्य में आदिमजातियों के कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का अथवा किसी अन्य कार्य का भार-साधक भी हो सकेगा।"

(७) अनुच्छेद १६८ में खंड (१) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"१. प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा जो राजप्रमुख तथा

(क) मैसूर राज्य में दो सदनों से;

(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से;

मिल कर बनेगा।"

(८) अनुच्छेद १८६ में "जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है" शब्दों के स्थान में "जो राजप्रमुख निर्धारित करे" शब्द रख दिये जायेंगे।

(९) अनुच्छेद १९५ में "जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त की विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थे" शब्दों के स्थान में "जैसे कि राजप्रमुख निर्धारित करे" शब्द रख दिये जायेंगे।

(१०) अनुच्छेद २०२ के खंड (३) में —

(१) उपखंड (क) के स्थान में निम्नलिखित उपखंड रख दिया जायेगा, अर्थात

भाग ७—प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य—अनु० २३८

"(क) राजप्रमुख के भत्ते तथा उस के पद सम्बन्धी अन्य व्यय जो राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे;"

(२) उपखंड (च) के स्थान में निम्नलिखित उपखंड रख दिये जायेंगे, अर्थात् —

"(च) तिरुवांकुर-कोचीन-राज्य के बारे में ५१ लाख की राशि जिस का तिरुवांकुर और कोचीन के देशी राज्यों के शासकों द्वारा तिरुवांकुर और कोचीन संयुक्त-राज्य के निर्माण के लिये, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की गई प्रसंविदा के अधीन प्रति वर्ष देवस्वम् निधि को दिया जाना अपेक्षित है;

(छ) इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल से विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।"

(११) अनुच्छेद २०८ में खंड (२) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में जो, प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे अथवा जहां राज्य में विधान-मंडल का कोई सदन न था वहां ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे प्रान्त की, जिस को कि उस लिये उस राज्य का राजप्रमुख उल्लिखित करे, विधान-सभा के बारे में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों

भाग ७—प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य—
अनु० २३८

और अनुकूलनों के अधीन रह कर, जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे।"

(१२) अनुच्छेद २१४ के खंड (२) में "प्रान्त" शब्द के स्थान में "देशी राज्य" शब्द रख दिये जायेंगे।

(१३) अनुच्छेद २२१ के स्थान में निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि.

२२१. (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जैसे कि राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति निर्धारित करे।

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों के, तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतनों के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का जैसे संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जैसें कि राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति निर्धारित करे, हक्क होगा :

परन्तु न तो न्यायाधीश के भत्ते और न उस के अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।"

भाग ८

प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य

२३९. (१) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के अथवा पड़ौसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य करेगा :

अनुसूची में के भाग (ग) में के राज्यों का प्रशासन.

परन्तु राष्ट्रपति—

(क) सम्बन्धित सरकार से परामर्श किये विना, तथा

(ख) इस प्रकार प्रशासित किये जाने वाले राज्य की जनता के विचारों को उस रीति से, जिसे राष्ट्रपति अत्यन्त समुचित समझता है, निश्चय पूर्वक जाने विना,

पड़ौसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य नहीं करेगा।

(२) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत राज्य के भाग के निर्देश भी है।

२४०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित तथा मुख्य आयुक्त या राज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये संसद् विधि द्वारा—

स्थानीय विधान-मंडलों अथवा मंत्रणा-दाताओं या मंत्रियों की परिषद् का सृजन करना या बनाये रखना.

(क) राज्य के विधान-मंडल के रूप में कृत्य करने के लिये नाम-निर्देशित या निर्वाचित अथवा अंशतः नाम-निर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय को, अथवा

(ख) मंत्रणा-दाताओं की, या मंत्रियों की, परिषद् को या दोनों को ऐसे गठन, शक्तियों तथा कृत्यों सहित, जो कि प्रत्येक के बारे में विधि द्वारा उल्लिखित की जाये, सृजित कर सकेगी या बनाये रख सकेगी।

भाग ८—प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य—अनु० २४०-२४१

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी चाहे फिर उस में कोई ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट क्यों न हो, जो इस संविधान का संशोधन करता है, या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।

प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्यों के लिये उच्च-न्यायालय.

२४१. (१) संसद् विधि द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के लिये उच्चन्यायालय गठित कर सकेगी अथवा ऐसे किसी राज्य में के किसी न्यायालय को इस संविधान के प्रयोजनों में से सब या किसी के लिय उच्चन्यायालय घोषित कर सकेगी।

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में भाग (६) के अध्याय (५) के उपबन्ध, ऐसे रूपभेदों और अपवादों के अधीन रह कर, जैसे कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे इस संविधान के अनुच्छेद २१४ में निर्दिष्ट किसी उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(३) इस संविधान के उपबन्धों के, तथा इस संविधान के द्वारा या अधीन समुचित विधान-मंडल को दी गई शक्तियों के आधार पर उस विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्चन्यायालय, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के या उस के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था, वह न्यायालय ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस राज्य या क्षेत्र के सम्बन्ध में वैसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा।

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार को उस अनुसूची के भाग (ग)

भाग ८—प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य—अनु० २४१–२४२

में उल्लिखित किसी राज्य पर अथवा उस राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र पर विस्तृत करने की, या उस से अपवर्जित करने की, संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करती।

२४२. (१) जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करती तब तक कोड़गू की विधान-परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य वैसे ही होंगे जैसे कि वे इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थे।

(२) कोड़गू में संगृहीत राजस्व के, तथा कोड़गू के सम्बन्ध में व्ययों के, विषय में प्रवन्ध तब तक अपरिवर्तित रहेंगे जब तक कि इस बारे में राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अन्य उपबन्ध नहीं करता।

भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य राज्य-क्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का और उस में अनुल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन.

२४३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र का तथा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में अनुल्लिखित किसी अन्य राज्य-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा।

(२) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना हुआ कोई विनियम, संसद्-निर्मित किसी विधि का अथवा किसी वर्तमान विधि का, जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर उस का उस राज्य-क्षेत्र पर लागू संसद्-अधिनियम के जैसा ही बल और प्रभाव होगा।

भाग १०

अनुसूचित और आदिमजाति-क्षेत्र

२४४. (१) आसाम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित क्षत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये पंचम अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे। अनुसूचित और आदिम-जाति-क्षेत्रों का प्रशासन.

(२) आसाम राज्य में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

भाग ११

संघ और राज्यों के सम्बन्ध

अध्याय १.—विधायी सम्बन्ध

विधायिनी शक्तियों का वितरण

संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार.

२४५. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान-मंडल उस सम्पूर्ण राज्य के, अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।

(२) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, इस कारण से कि उस का राज्य-क्षेत्रातीत प्रवतन होगा, अमान्य नहीं समझी जायेगी।

संसद् द्वारा, तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा, निर्मित विधियों के विषय.

२४६. (१) खंड (२) और (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संविधान में "संघ-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(२) खंड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, तथा खंड (१) के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (३) में (जो इस संविधान में "समवर्ती सूची' के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।

(३) खंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (जो इस संविधान में "राज्य-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध—अनु० २४६-२४९

राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(४) संसद् को भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये, जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) के अन्तगत नहीं है, किसी भी विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति है चाहे फिर वह विषय "राज्य-सूची" में प्रगणित विषय क्यों न हो।

किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद् की शक्ति.

२४७. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद्-निर्मित विधियों के, अथवा किसी वर्तमान विधि के, जो संघ-सूची में प्रगणित विषय के बारे में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिये संसद् किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी।

अवशिष्ट विधान-शक्ति.

२४८. (१) संसद् को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो "समवर्ती सूची" अथवा "राज्य-सूची" में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(२) ऐसी शक्ति के अन्तर्गत ऐसे करों के, जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, आरोपण करने के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति भी है।

राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची में के विषय के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति.

२४९. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य-परिषद् ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि संसद् राज्य-सूची में प्रगणित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के बारे में विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद् के लिये उस विषय के बारे में भारत के सम्पूण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाना विधि-संगत होगा।

(२) खंड (१) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जैसी कि उस में उल्लिखित हो :

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध—अनु० २४९-२५१

परन्तु यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (१) में उपबन्धित रीति से पारित हो जाये तो ऐसा संकल्प उस तारीख से आगे, जिस को कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त न रहता, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा।

(३) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद् खंड (१) के अधीन संकल्प के पारण के अभाव में बनानें में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने से छ मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त प्रभावी न होगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई है।

यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य-सूची में के विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति.

२५०. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उस के किसी भाग के लिये राज्य-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी।

(२) संसद् द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद् आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के पश्चात् छ मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन सब बातों के अतिरिक्त प्रवर्तनहीन होगी जो उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई है।

अनुच्छेद २४९ और २५० के अधीन संसद् द्वारा निर्मित विधियों तथा राज्यों के विधान-मंडलों

२५१. इस संविधान के अनुच्छेद २४९ और २५० की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल की कोई विधि बनाने की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसे है, निर्बन्धित न करेगी किन्तु यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपबन्ध, संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् उक्त दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध—अनु० २५१-२५३

बनाने की शक्ति रखती है, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो, संसद् द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो तथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक प्रवर्तन-शून्य होगी किन्तु तभी तक जब तक कि संसद् द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे ।

द्वारा निर्मित विधियों में असंगति.

दो या अधिक राज्यों के लिये उन की सम्मति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति तथा ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना.

२५२. (१) यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिन के बारे में संसद् को, अनुच्छेद २४९ और २५० में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सब सदनों ने उस लिये संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि-संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो तत्पश्चात् अपने विधान-मंडल के सदन अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक से उस लिये पारित संकल्प द्वारा उस को अंगीकार करे, लागू होगा ।

(२) संसद् द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद् के अधिनियम से संशोधित या निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के सम्बन्ध में, जहां कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम से संशोधित या निरसित न किया जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ विधान.

२५३. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सन्था या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के परिपालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उस के किसी भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है ।

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध—अनु० २५४-२५५

संसद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति.

२५४. (१) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपबन्ध संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् अधिनियमित करने के लिये सक्षम है, किसी उपबन्ध, अथवा समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान विधि के, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद् द्वारा निर्मित विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि अभिभावी होगी, तथा उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी।

(२) जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में है, कोई ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो जो संसद् द्वारा पहिले निर्मित की गई विधि के, अथवा उस विषय के बारे में किसी वर्तमान विधि के, विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि उस राज्य में अभिभावी होगी यदि उस को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया है और उस पर उस की अनुमति मिल चुकी है :

परन्तु इस खंड की कोई बात संसद् को, किसी समय उसी विषय के सम्बन्ध में कोई विधि, जिस के अन्तर्गत ऐसी विधि भी है जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, अधिनियमित करने से न रोकेगी।

सिपारिशों और पूर्व मंजूरी की अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना.

२५५. यदि संसद् के, अथवा पहिली अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम का—

(क) जहां राज्यपाल की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने ;

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध—अनु० २५५–२५७

(ख) जहां राजप्रमुख की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने ;

(ग) जहां राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने,

अनुमति दी है तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम का कोई उपबन्ध केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिपारिश न की गई या पूर्व मंजूरी न दी गई थी।

अध्याय २.—प्रशासन-सम्बन्ध

साधारण

संघ और राज्यों के आभार.

२५६. प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होगा, कि जिस से संसद् द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे।

किन्हीं अवस्थाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण.

२५७. (१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिस से संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे।

(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को किसी ऐसे संचार-साधनों के निर्माण करने और बनाये रखने के लिये निदेश देने तक भी विस्तृत होगा जिन का राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो :

परन्तु इस खंड की कोई बात राज-पथों या जल-पथों को राष्ट्रीय राज-पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करने की संसद् की शक्तियों, अथवा इस प्रकार घोषित राज-पथ या जल-पथ के

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध—अनु० २५७-२५८

बारे में संघ की शक्ति को, अथवा नौ-बल, स्थल-बल, और विमान-बल कर्मशालाओं विषयक अपने कृत्यों का भाग मान कर संचार-साधनों के निर्माण और बनाये रखने की संघ की शक्ति को निर्बन्धित करने वाली न मानी जायेगी।

(३) किसी राज्य में की रेलों की रक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निदेश देने तक भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा।

(४) जहां खंड (२) के अधीन संचार-साधनों के निर्माण अथवा उन को बनाये रखने के बारे में, अथवा खंड (३) के अधीन किसी रेल की रक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निदेश के पालन में उस से अधिक खर्च होता है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया होता तो, राज्य के मामूली कर्तव्यों के पालन में खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

कतिपय अवस्थाओं में राज्यों को शक्ति आदि देने की संघ की शक्ति.

२५८. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति, उस सरकार को या उस के पदाधिकारियों को ऐसे किसी विषय सम्बन्धी कृत्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्तों के साथ या विना शर्त सौंप सकेगा।

(२) ऐसे विषय से, जिस के बारे में राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, सम्बद्ध होने पर भी संसद्-निर्मित विधि, जो किसी राज्य में लागू है, उस राज्य अथवा उस के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति दे सकेगी और कर्तव्य आरोपित कर सकेगी अथवा शक्तियां दिया जाना और कर्तव्य आरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी।

भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध--अनु० २५८-२६१

(३) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उस के पदाधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं, अथवा कर्तव्य आरोपित कर दिये गये हैं वहां उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के बारे में राज्य द्वारा प्रशासन में किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों में के सशस्त्र बल.

२५९. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य, जो कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले सशस्त्र बलों को रखता था, उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रह कर, जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर इस बारे में निकाले, तब तक बनाये रख सकेगा जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे।

(२) कोई ऐसे सशस्त्र बल, जैसे कि खंड (१) में निर्दिष्ट हैं, संघ के सशस्त्र बलों का भाग होंगे।

भारत के बाहर के राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में संघ का क्षेत्राधिकार.

२६०. भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, जो भारत राज्य-क्षेत्र का भाग नहीं है, करार कर के ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों को ग्रहण कर सकेगी किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी क्षेत्राधिकार के प्रयोग से सम्बद्ध किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रहेगा और उस से शासित होगा।

सार्वजनिक क्रिया, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां.

२६१. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र, संघ की और प्रत्येक राज्य की, सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जायेगी।

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट क्रियाओं, अभिलेखों और कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और शर्तें तथा उन के प्रभाव

का निर्धारण संसद्-निर्मित विधि द्वारा उपबन्धित रीति के अनुसार होगा।

(३) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में के व्यवहार न्यायालयों द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय या आदेश उस राज्य-क्षेत्र के अन्दर कहीं भी विधि अनुसार निष्पादन-योग्य होंगे।

जल सम्बन्धी विवाद

अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल सम्बन्धी वादों का न्याय-निर्णयन.

२६२. (१) संसद् विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी-दून के, या में, जलों के प्रयोग, वितरण, या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय-निर्णयन के लिये उपबन्ध कर सकेगी।

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी कि न तो उच्चतम-न्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

राज्यों के बीच समन्वय

अन्तराज्य-परिषद् विषयक उपबन्ध.

२६३. यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक-हितों की सिद्धि होगी, जिस पर —

(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उन की जांच करने और उन पर मन्त्रणा देने;

(ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के, पारस्परिक हित से सम्बद्ध विषयों के अनुसधान और चर्चा करने; अथवा

(ग) ऐसे किसी विषय पर सिपारिश करने, और विशेषतः उस विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु सिपारिश करने,

का भार हो तो राष्ट्रपति के लिये यह विधि-संगत होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे तथा उस परिषद् के द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को और उस के संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे।

भाग १२

वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद

अध्याय १.—वित्त साधारण

निर्वचन.

२६४. इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "वित्त-आयोग" से इस संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त-आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "राज्य" के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित कोई राज्य नहीं है;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के निर्देशों के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र के, तथा किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के जो भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट तो हो किन्तु उस अनुसूची में उल्लिखित न हो, निर्देश भी होंगे ।

विधि-प्राधिकार के सिवाय करों का आरोपण न करना.

२६५. विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित और न संगृहीत किया जायेगा ।

भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक-लेखे.

२६६. (१) अनुच्छेद २६७ के उपबन्धों के, तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के राज्यों को पूर्णतः या अंशतः सौंपे जाने के बारे में इस अध्याय के उपबन्धों के, अधीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—अनु० २६६-२६७

"भारत की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये, सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी।

(२) भारत की सरकार या राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर से, प्राप्त अन्य सब सार्वजनिक धन यथास्थिति भारत के या राज्य के लोक-लेखे में जमा किये जायेंगे।

(३) भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन विधि की अनुकूलता से, तथा इस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों और रीति से, अन्यथा विनियुक्त नहीं किये जायेंगे।

आकस्मिकता-निधि.

२६७. (१) संसद्, विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में "भारत की आकस्मिकता-निधि" के नाम से ज्ञात आकस्मिकता-निधि की स्थापना कर सकेगी जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां, समय-समय, पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद ११५ या अनुच्छेद ११६ के अधीन संसद् द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये राष्ट्रपति को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी जायेगी।

(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में "राज्य की आकस्मिकता-निधि" के नाम से ज्ञात आकस्मिकता-निधि की स्थापना कर सकेगा जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय समय पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद २०५ या अनुच्छेद २०६ के अधीन राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये उस को योग्य बनाने के हेतु ऐसी निधि राज्य के राज्यपाल *या* राजप्रमुख के हाथ में रखी जायेगी।

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—अनु० २६८-२६९

संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण

संघ द्वारा आरोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क.

२६८. (१) ऐसे मुद्रांक-शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री पर ऐसे उत्पादन-शुल्क जो संघ-सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा आरोपित किये जायेंगे, किन्तु—

(क) उस अवस्था में जिस में कि ये शुल्क प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य के भीतर उद्गृहीत किये जाने वाले हों, भारत सरकार द्वारा, तथा

(ख) अन्य अवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्गृहीत किये जाने वाले हों, उन उन राज्यों द्वारा,

संगृहीत किये जायेंगे।

(२) जो शुल्क किसी राज्य के भीतर उद्गृहीत किये जाने वाले हैं उन में से किसी के, किसी वित्तीय वर्ष के आगम, भारत की संचित निधि के भाग न होंगे किन्तु उस राज्य को सौंप दिये जायेंगे।

संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंपे जाने वाले कर.

२६९. (१) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात्—

(क) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क;

(ख) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क;

(ग) रेल, समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर;

(घ) रेल भाड़ों और वस्तु-भाड़ों पर कर;

(ङ) श्रेष्ठि-चत्वरों और वायदा बाजारों के सौदों पर मुद्रांक-शुल्क से अन्य कर;

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—अनु० २६९-२७०

(च) समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उन में प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।

(२) किसी वित्तीय वर्ष में के ऐसे किसी शुल्क या कर के शुद्ध आगम, वहां तक भारत की संचित निधि के भाग न होंगे, जहां तक कि वे आगम प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों से मिलने वाले माने जायें, किन्तु उन राज्यों को सौंप दिये जायेंगे जिन में वह शुल्क या कर उस वर्ष में उद्गृहीत होना है तथा उन राज्यों में ऐसे वितरण-सिद्धान्तों के अनुकूल वितरित किये जायेंगे जैसे कि संसद् विधि द्वारा सूत्रित करे ।

संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित कर.

२७०. (१) कृषि-आय से अतिरिक्त अन्य आय पर करों को भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा तथा खंड (२) में उपबन्धित रीति के अनुसार संघ और राज्यों के बीच में वितरित किया जायेगा ।

(२) किसी वित्तीय वर्ष में के किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम का, जहां तक वह आगम प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों में से अथवा संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों से मिला हुआ आगम माना जाये वहां तक के सिवाय, ऐसा प्रतिशत भाग, जैसा विहित किया जाये, भारत की संचित निधि का भाग न होगा किन्तु उन राज्यों को सौंपा जायेगा जिन के भीतर वह कर उद्गृहीत होना है तथा वह उन राज्यों को उस रीति और उस समय से, जो विहित किया जाये, वितरित होगा ।

(३) खंड (२) के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय पर करों के उतने शुद्ध आगम का, जितना कि संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों का शुद्ध आगम नहीं है, वह प्रतिशत भाग, जो विहित किया जाये, प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों में से मिला हुआ आगम समझा जायेगा ।

(४) इस अनुच्छेद में—

(क) "आय पर करों" के अन्तर्गत निगम-कर नहीं हैं ;

(ख) "विहित" का अर्थ है कि—

(१) जब तक वित्त-आयोग गठित न हो जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित ; तथा

(२) वित्त-आयोग के गठित हो जाने के पश्चात् वित्त-आयोग की सिपारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित ;

(ग) "संघ-उपलब्धियों" के अन्तर्गत भारत संचित निधि में से दी जाने वाली सब उपलब्धियां और निवृत्ति-वेतन, जिन के सम्बन्ध में आय-कर आरोपित किया जा सकता है, भी हैं ।

संघ के प्रयोजनों के लिये शुल्क और करों पर अधिभार.

२७१. अनुच्छेद २६९ और २७० में किसी बात के होते हुए भी संसद् उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिये अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अधिभार के समस्त आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे ।

कर जो संघ द्वारा उदगृहीत और संगृहीत हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जा सकेंगे.

२७२. संघ सूची में वर्णित औषधीय तथा प्रसाधन-सामग्री पर उत्पादन-शुल्क से अन्य संघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु यदि संसद् विधि द्वारा यह उपबन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत की संचित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध आगमों के पूर्ण अथवा किसी भाग के बराबर राशि दी जायेगी और वे राशियां उन राज्यों के बीच विधि द्वारा सूत्र-बद्ध वितरण-सिद्धान्तों के अनुसार वितरित की जायेंगी ।

भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु० २७३-२७४

२७३. (१) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम के किसी भाग को आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों को सौंपने के स्थान में उन राज्यों के राजस्व में सहायक अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जायेंगी जैसी कि विहित की जायें। पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के स्थान में अनुदान.

(२) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यात-शुल्क उद्गृहीत करती रहे अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहिले हो उस के होने तक, इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी।

(३) इस अनुच्छेद में "विहित" पद का वही अर्थ है जो इस संविधान के अनुच्छेद २७० में है।

२७४. (१) कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उस को आरोपित या परिवर्तित करता है, अथवा जो भारत आय-कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित "कृषि-आय" पदावलि के अर्थ को परिवर्तित करता है, अथवा जो उन सिद्धान्तों को प्रभावित करता है जिन से कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को धन वितरणीय हैं या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के लिये ऐसा कोई अधिभार आरोपित करता है जैसा कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में वर्णित है, राष्ट्रपति की सिपारिश के विना संसद् के किसी सदन में न तो पुरःस्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा। राज्यों के हितों से सम्बद्ध करों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सिपारिश की अपेक्षा.

(२) इस अनुच्छेद में "जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है" पदावलि से अभिप्रेत है--

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—अनु० २७४-२७५

(क) कोई कर या शुल्क जिस का शुद्ध आगम पूर्णतः या अंशतः किसी राज्य को सौंप दिया जाता है, अथवा

(ख) कोई कर या शुल्क जिस के शुद्ध आगम के निर्देश से भारत संचित निधि में से तत्समय किसी राज्य को राशियां दी जानी ह ।

कतिपय राज्यों को संघ अनदान.

२७५. ऐसी राशियां, जो संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद् यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तथा भिन्न भिन्न राज्यों के लिये भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी :

परन्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से वैसी मूल तथा आवर्तक राशियां दी जायेंगी जैसी कि उस राज्य को उन विकास-योजनाओं के खर्चों के उठाने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों, जो उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिय अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिये उस राज्य ने भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली हों :

परन्तु यह और भी कि आसाम राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से वैसी मूल तथा आवर्तक राशियां दी जायेंगी—

(क) जो षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारिणी के भाग (क) में उल्लिखित आदिम-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—अनु० २७५-२७६

के प्रारम्भ से ठीक पहिले दो वर्ष में राजस्वों से औसतन अधिक व्यय के बराबर हों; तथा

(ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिय उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली गई योजनाओं के खर्चों के बराबर हों।

(२) जब तक खंड (१) के अधीन संसद् द्वारा उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक उस खंड के अधीन संसद् को प्रदत्त शक्तियां राष्ट्रपति से आदेश द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी तथा इस खंड के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिया कोई आदेश संसद् द्वारा इस प्रकार निर्मित किसी उपबन्ध के अधीन रह कर ही प्रभावी होगा :

परन्तु वित्त-आयोग गठित हो जाने के पश्चात् वित्त-आयोग की सिपारिशों पर विचार किये विना इस खंड के अधीन कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया जायेगा।

वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर.

२७६. (१) अनुच्छेद २४६ में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई विधि, जो उस राज्य या किसी नगर-पालिका, जिला-मंडली, स्थानीय मंडली अथवा उस में अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हित साधन के लिये वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नौकरियों के बारे में लागू होती है, इस आधार पर अमान्य न होगी कि वह आय पर कर है।

(२) राज्य को अथवा उस में की किसी एक नगर-पालिका, जिला-मंडली, स्थानीय मंडली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर करों द्वारा देय समस्त राशि दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी :

परन्तु यदि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में अथवा किसी ऐसी नगर-पालिका, मंडली या प्राधिकारी में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नौकरियों पर ऐसा कर लागू था जिस की दर या जिस की अधिकतम दर दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक थी तो ऐसा कर उस समय तक उद्गृहीत होता रहेगा जब तक कि संसद् विधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपबन्ध न करे तथा संसद् द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतया या किन्हीं उल्लिखित राज्यों, नगर-पालिकाओं, मंडलियों या प्राधिकारियों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी।

(३) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर के विषय में उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का यह अर्थ न किया जायेगा कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोद्भूत या उत्पन्न आय पर करों के विषय में विधियां बनाने की संसद् की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई है।

व्यावृत्ति.

२७७. जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संविधान से ठीक पहिले किसी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा किसी नगर-पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिये विधिवत् उद्गृहीत किये जा रहे थे, वे कर, शुल्क, उपकर या फीस संघ-सूची में वर्णित होने पर भी उद्गृहीत किये जाते रहेंगे तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाये जा सकेंगे जब तक कि संसद् विधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपबन्ध न करे।

कतिपय वित्तीय विषयों के बारे में प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के राज्यों से करार.

२७८. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार, खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य की सरकार से——

(क) ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किये जाने वाले किसी कर या शुल्क के उद्ग्रहण और

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—अनु० २७८-२७९

संग्रह करने तथा उस के आगम के, इस अध्याय के उपबन्धों से अन्यथा, वितरण करने के;

(ख) भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन उद्गृहीत किये जाने वाले किसी कर या शुल्क से अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से जो राजस्व वह राज्य पाता था उस की हानि के लिये ऐसे राज्य को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान करने के;

(ग) अनुच्छेद २९१ के खंड (१) के अधीन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले किसी देय धन के विषय में ऐसे राज्य द्वारा अंशदान करने के,

विषय में करार कर सकेगी, तथा जब ऐसा करार किया जाय तब इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे राज्य के सम्बन्ध में ऐसे करार के निबन्धनों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

(२) खंड (१) के अधीन किया गया कोई करार इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक काल के लिये प्रवृत्त रहेगा :

परन्तु राष्ट्रपति ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय भी, यदि वह वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने क पश्चात् ऐसा करना आवश्यक समझे तो, ऐसे किसी करार की समाप्ति या रूपभेद कर सकेगा।

शुद्ध आगम की गणना.

२७९. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में "शुद्ध आगम" से किसी कर या शुल्क के सम्बन्ध में उस आगम से अभिप्राय है जो उस के संग्रह के खर्चों को घटाने के पश्चात् बचे, तथा उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये किसी क्षेत्र के भीतर, अथवा उस से, मिले हुए माने जाने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेगा, जिस का प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा।

(२) किसी अवस्था में जहां इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को विनियोजित किया जाता है या किया जाये वहां उपरोक्त उपबन्ध के तथा इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुए संसद्-निर्मित कोई विधि अथवा राष्ट्रपति का कोई आदेश, उस रीति का जिस से कि आगम की गणना की जानी है, उस समय का जिस से या जिस में तथा उस रीति का जिस से कोई शोधन किये जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का तथा अन्य किसी प्रासंगिक और सहायक बातों का उपबन्ध कर सकेगा।

वित्त-आयोग. २८०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर, अथवा उस से पहिले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग गठित करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सभापति और चार अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा।

(२) संसद् विधि द्वारा उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिस के अनुसार उन का संवरण किया जायेगा, निर्धारण कर सकेगी।

(३) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगम का, जो इस अध्याय के अधीन उन में विभाजित होता है या होवे, वितरण के बारे में, तथा राज्यों के बीच ऐसे आगम के तत्सम्बन्धी अंशों के बंटवारे के बारे में;

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान देने में पालनीय सिद्धान्तों के बारे में;

(ग) अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन या अनुच्छेद ३०६ के अधीन भारत सरकार और प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के बीच किये गये किसी करार के उपबन्धों के चालू रखने अथवा रूपभेद करने के बारे में; तथा

(घ) सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में;

राष्ट्रपति को सिपारिश करे।

(४) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद् विधि द्वारा उसे प्रदान करे।

वित्त-आयोग की सिपारिशें.

२८१. राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त-आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिपारिश को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध

संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय.

२८२. संघ या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान दे सकेगा, चाहे फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिस के विषय में यथास्थिति संसद् या उस राज्य का विधान-मंडल, विधि बना सकता है।

संचित निधियों की, आकस्मिकता-निधियों की तथा लोक-लेखों जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि.

२८३. (१) भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना उन से धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये जाने वाले धन से अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, उन का भारत के लोक-लेखों में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनियमन संसद् द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार न किया जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों से होगा।

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—अनु० २८३-२८५

(२) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना, उन से धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये धन से अतिरिक्त राज्य की सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, उन का राज्य के लोक-लेखे में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनियमन राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध उस प्रकार नहीं किया जाये तब तक राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा निर्मित नियमों से होगा ।

लोक-सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और अन्य धन की अभिरक्षा.

२८४. यथास्थिति भारत के लोक-लेखे में या राज्य के लोक-लेखे में—

(क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा वसूल किये गये या प्राप्त राजस्व या लोक-धन को छोड़ कर, संघ या राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नौकरी में लगे हुए किसी पदाधिकारी को उस की उस हैसियत में; अथवा

(ख) किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा किये गये भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्दर किसी न्यायालय को

प्राप्त या निक्षिप्त सब धन डाले जायेंगे ।

संघ की सम्पत्ति की राज्य के करों से विमुक्ति.

२८५. (१) जहां तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक किसी राज्य द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित सब करों से संघ की सम्पत्ति विमुक्त होगी ।

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक खंड (१) की कोई बात किसी राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी को संघ की किसी सम्पत्ति पर कोई ऐसा कर उद्गृहीत करने में बाधा नहीं डालेगी जिस का

दायित्व, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, ऐसी सम्पत्ति पर था या समझा जाता था जब तक कि वह कर उस राज्य में लगा रहे।

२८६. (१) राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय-- वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोप के बारे में निर्बन्धन

(क) राज्य के बाहर, अथवा

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उस के बाहर निर्यात के दौरान में,

होता है वहां कोई करारोपण, न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी।

व्याख्या.--उपखंड (१) के प्रयोजनों के लिये कोई क्रय या विक्रय उस राज्य में हुआ समझा जायेगा जिस में ऐसे क्रय या विक्रय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया गया है चाहे फिर वस्तु-विक्रय सम्बन्धी साधारण विधि के अधीन उन वस्तुओं का स्वत्व हस्तान्तरण ऐसे क्रय या विक्रय के कारण किसी दूसरे राज्य में क्यों न हो चुका हो।

(२) जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे उस के अतिरिक्त राज्य की कोई विधि किन्हीं वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर वहां कोई करारोपण न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी जहां ऐसा क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान में होता है :

परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कोई कर, जो किसी राज्य की सरकार द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले विधि-वत् उद्गृहीत किया जा रहा था, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे कर का आरोपण इस खंड के उपबन्धों के प्रतिकूल है, १९५१ के मार्च के ३१वें दिन तक उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- अनु० २८६-२८७

(३) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि, ऐसी वस्तुओं के, जो संसद् द्वारा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई हैं, क्रय या विक्रय पर करारोपण करती या करना प्राधिकृत करती है, तब तक प्रभावी न होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने पर उसे उस की अनुमति प्राप्त न हो गई हो।

विद्युत पर करों से विमुक्ति.

२८७. जहां तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे उस को छोड़ कर (सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्युत के उपभोग या क्रय पर, जो--

(क) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त है अथवा भारत सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये उस सरकार को बेची गई है; अथवा

(ख) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में भारत सरकार या रेलवे समवाय द्वारा जो उस रेलवे को चलाती है उपभुक्त है, अथवा किसी रेल के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये उस सरकार अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को बेची गई है;

राज्य की कोई विधि कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी; तथा विद्युत के क्रय पर कर-आरोपण करने, या कर आरोपित करना प्राधिकृत करने, वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये, अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को, जैसा कि उपर्युक्त है, किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये, बेची गई विद्युत का मूल्य उस मूल्य से, जो कि विद्युत की प्रचुर-मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से लिया जाता है, इतना कम होगा, जितनी कि कर की राशि है।

भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु० २८८-२८९

२८८. (१) जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे, उस को छोड़ कर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि, किसी पानी या विद्युत के बारे में जो अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के विनियमन या विकास के लिये किसी वर्तमान विधि से, अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि से, स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा जमा की गई, पैदा की गई, उपभुक्त, वितरित या बेची गई है, कोई कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी ।

पानी या विद्युत के विषय में राज्य द्वारा लिये जाने वाले करों से कुछ अवस्थाओं में विमुक्ति.

व्याख्या.--इस अनुच्छेद में "राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि" के अन्तर्गत राज्य की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित या निर्मित हो तथा पहिले ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब पूर्णतः, अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हों ।

(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा खंड (१) में वर्णित कोई कर आरोपित, या आरोपित करना प्राधिकृत, कर सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित रखे जाने के पश्चात् उस की अनुमति न मिल गई हो, तथा यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रासंगिक बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या आदेशों के द्वारा, नियत करने का उपबन्ध करती है, तो विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के बनाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति लिये जाने का उपबन्ध करेगी ।

२८९. (१) राज्य की सम्पत्ति और आय संघ के कराधान से विमुक्त होंगी ।

संघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति और आय की विमुक्ति.

(२) खंड (१) की किसी बात से संघ को राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर से, किये जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारबार के बारे में, अथवा उन से सम्बन्धित

किन्हीं क्रियाओं के बारे में, अथवा उन के प्रयोजनों के लि उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई, किसी सम्पत्ति के बारे में, अथवा उन से प्रोद्भूत या उत्पन्न किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक, यदि कोई हो, जिसे कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, आरोपित करने या आरोपित करना प्राधिकृत करने में रुकावट नहीं होगी।

(३) खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारबार अथवा व्यापार या कारबार के किसी ऐसे प्रकार को लागू न होगी जिसे कि संसद् विधि द्वारा घोषित करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यों से प्रासंगिक है।

कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन.

२९०. जहां इस संविधान के उपबन्धों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत में सम्राट् के अधीन, अथवा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् संघ के या किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में, सेवा की है उस को या उस के बारे में देय निवृत्ति-वेतन भारत की संचित निधि अथवा राज्यों की संचित निधि पर भारित हैं, वहां यदि—

(क) भारत की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था में वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की किन्हीं पृथक् आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता हो अथवा उस व्यक्ति नें राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या अंशतः सेवा की हो; अथवा

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था में न्यायालय या आयोग संघ की या अन्य राज्य की पृथक् आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता हो अथवा उस व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या अंशतः सेवा की हो,

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद— अनु० २९०-२९२

हो, तो उस राज्य की संचित निधि पर अथवा यथास्थिति भारत की संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि पर, व्यय विषयक या निवृत्ति-वेतन विषयक उतना अंशदान भारित होगा और उस निधि से दिया जायेगा जितना कि करार हो, अथवा करार के अभाव में उतना अंशदान जितना कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

२९१. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई किसी प्रसंविदा या करार के अधीन ऐसे राज्य के शासक को निजी थैली के रूप में किन्हीं राशियों की कर मुक्त देनगी भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित की गई है वहां— **शासकों की निजी थैली की राशि.**

(क) वैसी राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी तथा उस में से दी जायेंगी; तथा

(ख) किसी शासक को दी गई वैसी राशियां, सभी आय पर करों से विमुक्त होंगी।

(२) उपर्युक्त जैसे किसी देशी राज्य के राज्य-क्षेत्र जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में समाविष्ट हैं वहां खंड (१) के अधीन भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली देनगियों के विषय में ऐसा अंशदान, यदि कोई हो, उस राज्य की संचित निधि पर भारित होगा और उस से दिया जायेगा और ऐसी कालावधि के लिये जैसी कि अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन उस बारे में किये गये किसी करार के अधीन रह कर राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।

अध्याय २.—उधार लेना

२९२. भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद् समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक तथा ऐसी **भारत सरकार द्वारा उधार लेना.**

सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक, संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है ।

राज्यों द्वारा उधार लेना.

२९३. (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक विस्तृत है ।

(२) भारत सरकार ऐसी शर्तों के साथ, जैसी कि संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन रखी जायें, किसी राज्य को उधार दे सकेगी, अथवा जहां तक इस संविधान के अनुच्छेद २९२ के अनुसार नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन न होता हो वहां तक ऐसे किसी राज्य के द्वारा लिये गये उधारों के बारे में प्रत्याभूति दे सकेगी तथा, जो राशियां ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, वे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी ।

(३) यदि किसी ऐसे उधार का, जिसे भारत सरकार ने या उस की पूर्वाधिकारी सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिस के विषय में भारत सरकार ने अथवा उस की पूर्वाधिकारी सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग देना शेष है तो वह राज्य भारत सरकार की सम्मति के विना कोई उधार न ले सकेगा ।

(४) खंड (३) के अनुसार सम्मति उन शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार आरोपित करना उचित समझे ।

अध्याय ३. --सम्पत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व आभार और व्यवहार-वाद

२९४. इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर--

कतिपय अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभार का उत्तराधिकार.

(क) जो सम्पत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट् में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं तथा जो सम्पत्ति और आस्तियां प्रत्येक राज्यपाल-प्रान्त की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट् में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रान्तों के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमशः संघ और तत्स्थानी राज्य में निहित होंगी ; तथा

(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार भारत डोमीनियन की सरकार के तथा प्रत्येक राज्यपाल-प्रान्त की सरकार के थे, चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रान्तों के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमशः भारत सरकार तथा प्रत्येक तत्स्थानी राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे ।

अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार.

२९५. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर—

(क) जो सम्पत्तियां और आस्तियां प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं वे सब, ऐसे करार के अधीन रह कर जैसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करे, संघ में निहित होंगी यदि जिन प्रयोजनों के लिये ऐसी सम्पत्तियां और आस्तियां ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले संधृत थीं, वे तत्पश्चात् संघ-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध संघ के प्रयोजन हों, तथा

(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थे चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब ऐसे करार क अधीन रह कर जैसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे यदि जिन प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रारम्भ स ठीक पहिले ऐसे अधिकार अर्जित किये गये थे अथवा दायित्व या आभार लिये गये थे, वे संघ-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध भारत सरकार के प्रयोजन हों।

(२) उपरोक्त के अधीन रह कर, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सब सम्पत्ति और आस्तियों, तथा संविदा से या अन्यथा उद्भूत सब अधिकारों, दायित्वों और आभारों के बारे में, जो खंड (१) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं, तत्स्थानी देशी राज्य की इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर उत्तराधिकारिणी होगी।

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति संविदाएं और व्यवहार-वाद—अनु० २९६-२९८

२९६. एतत्पश्चात् उपबन्धित के अधीन रह कर यदि यह संविधान प्रवर्तन में न आया होता तो जो कोई सम्पत्ति भारत राज्य-क्षेत्र में राजगामी या व्यपगत होने से, या अधिकारयुक्त स्वामी के अभाव में स्वामिहीनत्व-रिक्थ के रूप में यथास्थिति सम्राट् को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, वह सम्पत्ति यदि राज्य में स्थित हो तो ऐसे राज्य में और किसी अन्य अवस्था में संघ में निहित होगी : **राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से प्रोद्भूत सम्पत्ति.**

परन्तु कोई सम्पत्ति, जो उस तारीख को, जब कि वह इस प्रकार सम्राट् को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी, तब यदि उस का जिन प्रयोजनों के लिये उस समय उपयोग या धारण था, वे प्रयोजन संघ के थे तो वह संघ में और यदि वे प्रयोजन किसी राज्य के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी।

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में "शासक" और "देशी राज्य" पदों का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद ३६३ में है।

२९७. भारत के जल-प्रांगण में, समुद्र के नीचे की सब भूमियां, खनिज तथा अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी तथा संघ के प्रयोजनों के लिये धारण की जायेंगी। **जल-प्रांगण में स्थित मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी.**

२९८. (१) संघ की, और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, समुचित विधान-मंडल की किसी विधि के अधीन रहते हुए, यथास्थिति संघ के अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनों के लिये धारण की हुई किसी सम्पत्ति के अनुदान, विक्रय, व्ययन या बंधक तक विस्तृत होगी, तथा क्रमशः उन प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के क्रय या अर्जन तक, तथा संविदाकरण तक, विस्तृत होगी। **सम्पत्ति के अर्जन की शक्ति.**

(२) संघ के, अथवा राज्य के प्रयोजनों के लिये अर्जित सब सम्पत्ति, यथास्थिति, संघ में या ऐसे किसी राज्य में निहित होगी।

भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु० २९९-३००

संविदाएं.

२९९. (१) संघ की, अथवा राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई सब संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की गई कही जायेंगी तथा वे सब संविदाएं और सम्पत्ति-सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र, जो उस शक्ति के पालन में किये जायें राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख की ओर से उस के द्वारा निदेशित या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा और रीति के अनुसार लिखे जायेंगे ।

(२) न तो राष्ट्रपति और न किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख इस संविधान के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत सरकार विषयक इस से पूर्व प्रवर्तित किसी अधिनियमिति के प्रयोजनों के हेतु, की गई अथवा लिखी गई किसी संविदा या हस्तान्तरण-पत्र के बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा, और न वैसा कोई व्यक्ति ही इस के बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा जिस ने उन में से किसी की ओर से ऐसी संविदा या हस्तान्तरण-पत्र किया या लिखा हो ।

व्यवहार-वाद और कार्यवाहियां.

३००. (१) भारत संघ के नाम से, भारत सरकार व्यवहार-वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा तथा किसी राज्य के नाम से, उस राज्य की सरकार व्यवहार-वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा, तथा इस संविधान से दी हुई शक्तियों के आधार पर, संसद् द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, जो अधिनियम बनाया जाये, उस के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे अपने अपने कार्यों के बारे में उसी प्रकार व्यवहार-वाद ला सकेंगे, अथवा उन के विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत डोमीनियन और तत्स्थानी प्रान्त अथवा तत्स्थानी देशी राज्य-व्यवहार-वाद ला सकते अथवा उन के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकता, यदि इस विधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता ।

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—
अनु० ३००

(२) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर—

(क) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लम्बित हैं जिस में भारत डोमीनियन एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त डोमीनियन के स्थान में भारत संघ समझा जायेगा, तथा

(ख) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लम्बित हैं जिन में कोई प्रान्त या कोई देशी राज्य एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त या देशी राज्य के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझा जायेगा।

भाग १३

भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता.

३०१. इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा।

व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन लगाने की संसद् की शक्ति.

३०२. संसद् विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बन्धन आरोपित कर सकेगी जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों।

व्यापार और वाणिज्य के विषय में संघ और राज्यों की विधायिनी शक्तियों पर निर्बन्धन.

३०३. (१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुए भी सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी किसी प्रविष्टि के आधार पर न तो संसद् को, और न राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है।

(२) खंड (१) में की कोई बात संसद् को ऐसी कोई विधि बनाने से न रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

भाग १३—भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम—अनु० ३०४-३०६

राज्यों के पारस्परिक व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन.

३०४. अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के होते हुए भी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा—

(क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर आरोपित कर सकेगा जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु इस प्रकार कि उस से इस तरह आयात की गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो; तथा

(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों :

परन्तु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विना राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

वर्तमान विधियों पर अनुच्छेद ३०१ और ३०३ का प्रभाव.

३०५. अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, जिस मात्रा तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे, उस के अतिरिक्त, कोई प्रभाव न डालेगी।

प्रथम अनुसूची के भाग (ख में उल्लिखित कतिपय राज्यों की

३०६. इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में, अथवा इस संविधान के अन्य उपबन्धों में, किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले दूसरे राज्यों से उस राज्य में वस्तुओं के आयात पर अथवा उस राज्य से दूसरे राज्यों

व्यापार और वाणिज्य पर निर्बन्धनों के आरोपण की शक्ति.

को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या शुल्क उद्गृहीत करता था, ऐसे कर या शुल्क को, यदि भारत सरकार और उस राज्य की सरकार में उस लिये करार हो जाये तो, ऐसे करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुए तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि करार में उल्लिखित हो, उद्गृहीत और संगृहीत करता रहेगा :

परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय भी यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे किसी करार का अन्त या रूपभेद करना आवश्यक समझे तो वह ऐसा कर सकेगा ।

अनुच्छेद ३०१ से ३०४ तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति.

३०७. संसद् विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि वह अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ और ३०४ के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समुचित समझे, तथा इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे ।

भाग १४

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय १.— सेवाएं

निर्वचन.

३०८. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" पद से प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य अभिप्रेत है।

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें.

३०९. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेंगे :

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होंगे।

संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि.

३१०. (१) इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी पद को अथवा किसी असैनिक पद को धारण करता है,

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं—अनु० ३१०-३११

राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता है, यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।

(२) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है कोई संविदा, जिस के अधीन कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा-सेवा या अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के अधीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक समझता है तो, यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता है अथवा उस के द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बद्ध कारणों के लिये उस से पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो, उसे प्रतिकर दिया जायेगा।

संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना.

३११. (१) जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जायेगा।

(२) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा, अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा, अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस के बारे में

भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं--अनु० ३११-३१२

प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो :

परन्तु यह खंड वहां लागू न होगा--

(क) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है जिस के लिये दंड-दोषारोप पर वह सिद्ध-दोष हुआ है;

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाये; अथवा

(ग) जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये।

(३) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खंड (२) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

अखिल भारतीय सेवाएं.

३१२. (१) भाग ११ में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य-परिषद् ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर दिया है कि राष्ट्र-हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो संसद् विधि द्वारा संघ और राज्यों के

लिये सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी तथा इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगी।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत प्रशासन सेवा और भारत आरक्षी सेवा नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद् द्वारा सृजित सेवाएं समझी जायेंगी।

अन्तर्वर्ती उपबन्ध.

३१३. जब तक इस संवधिान के अधीन इस लिये अन्य उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले सब प्रवृत्त विधियां, जो किसी ऐसी लोक-सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते हैं, लागू हों, वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां तक कि वे इस संविधान के उपबन्धों से संगत हों।

कतिपय सेवाओं के वर्तमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिये उपबन्ध.

३१४. इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति को, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में सम्राट् की किसी असैनिक सेवा में नियुक्त होने के पश्चात् इस संविधान के प्रारम्भ पर और पश्चात् भारत की या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा में बना रहता है, भारत सरकार या राज्य की सरकार से, जिस की सेवा वह समय समय पर करता रहता है, पारिश्रमिक, छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में उन्ही सेवा-शर्तों का, तथा अनुशासनीय विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उन के तुल्य ऐसे अधिकारों का, जैसे कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव हों, हक्क होगा जिन का कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले हक्क था।

अध्याय २.—लोकसेवा-आयोग

संघ और राज्यों के लिये लोक-सेवा-आयोग.

३१५. (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ के लिये एक लोकसेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोकसेवा-आयोग होगा।

(२) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिये एक ही लोकसेवा-आयोग होगा तथा, यदि उस उद्देश्य का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक के विधान-मंडल के सदन द्वारा अथवा जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो, संसद् उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विधि द्वारा संयुक्त लोकसेवा-आयोग (जो इस अध्याय में "संयुक्त आयोग" के नाम से निर्दिष्ट है) की नियुक्ति का उपबन्ध कर सकेगी।

(३) उपरोक्त विधि में ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जैसे कि उस विधि के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये आवश्यक या वांछनीय हों।

(४) यदि किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, संघ के लोकसेवा-आयोग से ऐसा करने की प्रार्थना करे तो, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, वह उस राज्य की सब या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्य करना स्वीकार कर सकेगा।

(५) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इस संविधान में संघ के लोकसेवा-आयोग अथवा किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के निर्देशों को ऐसे आयोग के प्रति निर्देश समझा जायेगा जो प्रश्नास्पद किसी विशेष विषय के बारे म यथास्थिति संघ की अथवा राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं—अनु० ३१६

सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि.

३१६. (१) लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की जायेगी :

परन्तु प्रत्येक लोकसेवा-आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं, तथा उक्त दस वर्ष की कालावधि की संगणना में ऐसी कालावधि भी सम्मिलित होगी, जिस में इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी व्यक्ति ने भारत के सम्राट् के अधीन या देशी राज्य के अधीन पद धारण किया है।

(२) लोकसेवा-आयोग का सदस्य, अपने पद-ग्रहण की तारीख से छ वर्ष की अवधि तक, अथवा यदि वह संघ-आयोग है तो, पैंसठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, तथा यदि वह राज्य-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, साठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, जो भी इन में से पहिले हो, अपना पद धारण करेगा :

परन्तु—

(क) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति को, तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा;

(ख) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य अपने पद से अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) या खंड (३) में उपबन्धित रीति से हटाया जा सकेगा।

(३) कोई व्यक्ति, जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं—अनु० ३१७

३१७. (१) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक-सेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर दिये गये उस आदेश पर ही हटाया जायेगा, जो कि उच्चतमन्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा पृच्छा किये जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद १४५ के अधीन उस लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गये इस प्रतिवेदन के पश्चात्, कि यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाये, दिया गया है। लोकसेवा-आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलम्बित किया जाना.

(२) आयोग के सभापति या अन्य किसी सदस्य को, जिस के सम्बन्ध में खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय से पृच्छा की गई है, राष्ट्रपति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है, तथा राज्यपाल या राजप्रमुख, यदि वह राज्य-आयोग है, उस को पद से तब तक के लिये निलम्बित कर सकेगा जब तक कि ऐसी पृच्छा की गई बात पर उच्चतमन्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति अपना आदेश न दे।

(३) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि यथा-स्थिति लोकसेवा-आयोग का सभापति या कोई दूसरा सदस्य—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है; अथवा

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर कोई वैतनिक नौकरी करता है; अथवा

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दौर्बल्य के कारण अपने पद पर रहे आने के लिये अयोग्य है;

तो सभापति या ऐसे अन्य सदस्य को राष्ट्रपति आदेश द्वारा अपने पद से हटा सकेगा।

(४) यदि लोकसेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य भारत सरकार के या राज्य की सरकार के द्वारा, या ओर से, की गई किसी संविदा या करार में, निगमित समवाय के सदस्य के नाते तथा उस के अन्य सदस्यों के साथ साथ के सिवाय, किसी प्रकार से भी संपृक्त या हित-सम्बद्ध है या हो जाता है अथवा किसी प्रकार से उस के लाभ में अथवा तदुत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड (१) के प्रयोजनों के लिये कदाचार का अपराधी समझा जायेगा।

आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-वृन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति.

३१८. संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख विनियमों द्वारा--

(क) आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उन की सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा; तथा

(ख) आयोग के कर्मचारी-वृन्द के सदस्यों की संख्या के तथा उन की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा:

परन्तु लोकसेवा-आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी परिवर्तन न किया जायेगा।

आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण के सम्बन्ध में प्रतिषेध.

३१९. पद पर न रहने पर--

(क) संघ-लोकसेवा-आयोग का सभापति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नौकरी के लिये अपात्र होगा;

(ख) राज्य के लोकसेवा-आयोग का सभापति संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा;

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं—
अनु० ३१९-३२०

(ग) संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति से अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में अथवा राज्य-लोकसेवा आयोग के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा ;

(घ) किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापति से अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी, या किसी अन्य, राज्य-लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा ।

लोकसेवा-आयोगों के कृत्य.

३२०. (१) संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोगों का कर्तव्य होगा कि क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे ।

(२) यदि संघ-लोकसेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उस का यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिये, जिन के लिये विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, मिली जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तन में लाने के लिये उन राज्यों की सहायता करें ।

(३) यथास्थिति संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोक सेवा-आयोग से—

(क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिये भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर;

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली करने के, तथा अभ्यर्थियों की ऐसी

भाग १२—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं—अनु० ३२०

नियुक्ति, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार की असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन-विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं सम्बद्ध हैं उन के सहित समस्त ऐसे अनुशासन-विषयों पर;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत-सम्राट् के अधीन या देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, अथवा वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत, जो कोई दावा है कि अपने कर्तव्य पालन में किये गये, या कर्तुमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध में उस के विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि-कार्यवाहियों में जो खर्चा उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है वह यथास्थिति भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर;

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या सम्राट् के अधीन अथवा किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति-वेतन दिये जाने के लिये किसी दावे पर तथा ऐसी दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर,

परामर्श किया जायेगा, तथा इस प्रकार उन से पृच्छा किये हुए किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथा-

भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवायें-- अनु० ३२०-३२१

स्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, उन से पृच्छा करे, परामर्श देने का लोकसेवा-आयोग का कर्तव्य होगा :

परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ-कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख, उन विषयों का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकेगा, जिन में साधारणतया अथवा किसी विशेष वर्ग के मामले में, अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, लोकसेवा-आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।

(४) खड (३) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोकसेवा-अयोग से उस रीति के बारे में परामर्श किया जाये जिस से कि अनुच्छेद १६ के खंड (४) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद २३५ के उपबन्धों को प्रभाव दिया जाना है ।

(५) खंड (३) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा बनाये गये सब विनियम उन के बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र यथा-स्थिति संसद् के प्रत्येक सदन, अथवा राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन से अन्यून समय के लिये रखे जायेंगे, तथा निरसन या संशोधन द्वारा किये गये ऐसे रूपभेदों के अधीन होंगे जैसे कि संसद् के दोनों सदन अथवा उस राज्य के विधान-मंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिस में कि वे इस प्रकार रखे गये हों।

लोकसेवा आयोगों के कृत्यों के विस्तार की शक्ति.

३२१. यथास्थिति संसद् द्वारा निर्मित अथवा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित, कोई अधिनियम संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोकसेवा-आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के बारे में, तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवायें—अनु० ३२१-३२३

विधि द्वारा गठित अन्य निगम-निकाय अथवा किसी सार्वजनिक संस्था की सेवाओं के बारे में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिये उपबन्ध कर सकेगा।

लोकसेवा-आयोगों के व्यय.

३२२. संघ के, या राज्य के, लोकसेवा-आयोग के व्यय, जिन के अन्तर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी-वृन्द को, या के विषय में, दिये जाने वाले कोई वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं यथास्थिति भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन.

३२३. (१) संघ-आयोग का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(२) राज्य-आयोग का कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिन की आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राजप्रमुख को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा इन में से प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा।

भाग १५

निर्वाचन

३२४. (१) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामावलि तैयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, जिस के अन्तर्गत संसद् के तथा राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त सन्देहों और विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है, एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान में "निर्वाचन-आयोग" के नाम से निर्दिष्ट है)।

निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होंगे.

(२) निर्वाचन-आयोग मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा, यदि कोई हों तो, अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन-आयुक्त और अन्य निर्वाचन-आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा उस लिये बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

(३) जब कोई अन्य-निर्वाचन-आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन-आयुक्त निर्वाचन-आयोग के सभापति के रूप में कार्य करेगा।

(४) लोक-सभा, तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व, तथा विधान-परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् के लिये पहिले साधारण निर्वाचन तथा तत्पश्चात् प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पूर्व, राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग से परामर्श कर के खंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिये ऐसे प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे।

भाग १५—निर्वाचन—अनु० ३२४-३२५

(५) संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्वाचन-आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जैसी कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे :

परन्तु मुख्य निर्वाचन-आयुक्त अपने पद से वैसे कारणों और वैसी रीति के बिना न हटाया जायेगा जैसे कारणों और रीति से उच्चतम-न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है तथा मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस की सेवा की शर्तों में उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन न किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि किसी अन्य निर्वाचन-आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की सिपारिश के बिना पद से हटाया न जायेगा ।

(६) जब निर्वाचन-आयोग ऐसी प्रार्थना करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख निर्वाचन-आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को ऐसे कर्मचारी-वृन्द प्राप्य करायेगा जैसे कि खंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो ।

धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा.

३२५. संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचन के हेतु प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये एक साधारण निर्वाचक-नामावलि होगी तथा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इन में से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा अथवा, ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि मे सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा ।

भाग १५—निर्वाचन—अनु० ३२६-३२९

लोक-सभा और राज्यों की विधान-सभाओं के लिये निर्वाचन का वयस्क-मताधिकार के आधार पर होना.

३२६. लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के लिये निर्वाचन वयस्क-मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी कि समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस लिये नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त-विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अनर्ह नहीं कर दिया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हक्कदार होगा।

विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों के विषय में उपबन्ध बनाने की संसद् की शक्ति.

३२७. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद्, समय समय पर, विधि द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में जिन के अन्तर्गत निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना तथा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं, उपबन्ध कर सकेगी।

किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति.

३२८. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा जहां तक संसद् इस लिये उपबन्ध नहीं बनाती वहां तक, किसी राज्य का विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में, जिन के अन्तर्गत निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं, उपबन्ध कर सकेगा।

निर्वाचन-विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक.

३२९. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) अनुच्छेद ३२७ या अनुच्छेद ३२८ के अधीन निर्मित या निर्मातुमभिप्रेत किसी विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को

भाग १५--निर्वाचन--अनु० ३२९

स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, मान्यता पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी ;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के किसी निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन-याचिका के बिना कोई आपत्ति न की जायेगी जो ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गई है जो समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित है :

भाग १६

*कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध

३३०. (१) लोक-सभा में— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये लोक-सभा में स्थानों का रक्षण.

(क) अनुसूचित जातियों के लिये,

(ख) आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर आदिमजातियों के लिये,

(ग) आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में की अनुसूचित आदिमजातियों के लिये,

स्थान रक्षित रहेंगे।

(२) खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का अनुपात लोक-सभा में उस राज्य को बांट में दिये गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

३३१. अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक-सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा। लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.

३३२. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिय तथा आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर अन्य आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे। राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्षण.

(२) आसाम राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान रक्षित रहेंगे।

(३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(४) आसाम राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(५) शिलौंग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिल कर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्त-शासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा।

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले में की अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान-सभा के लिये शिलौंग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिल कर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

राज्यों की विधान-सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.

३३३. अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की राय हो कि उस राज्य की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित समझे नाम-निर्देशित कर सकेगा।

भाग १६—कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध—अनु० ३३४-३३६

३३४. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये स्थानों के रक्षण सम्बन्धी; तथा

(ख) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में नाम-निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी,

इस संविधान के उपबन्ध, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे :

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक-सभा के या राज्य की विधान-सभा के किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि यथास्थिति उस समय विद्यमान लोक-सभा या विधान-सभा का विघटन न हो जाये।

स्थानों का रक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के पश्चात न रहेगा.

३३५. संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।

सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के दावे.

३३६. (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम दो वर्षों में संघ की रेल, बहिःशुल्क, डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओं के पदों के लिये आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियां १५ अगस्त १९४७ ई० के तुरन्त पूर्व वाले आधार पर की जायेंगी।

कतिपय सेवाओं में आंग्लभारतीय समुदाय के लिये विशेष उपबन्ध.

प्रत्येक अनुवर्ती दो वर्षों की कालावधि में उक्त समुदाय के जनों के लिये, उक्त सेवाओं में, रक्षित पदों की संख्या निकट पूर्ववर्ती दो वर्षों की कालावधि में इस प्रकार रक्षित संख्या से यथासम्भव दस प्रतिशत कम होगी :

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सब रक्षणों का अन्त हो जायेगा।

(२) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के जन अन्य समुदायों के जनों की तुलना में कुशलता के कारण नियुक्ति के लिये अर्ह पाये जायें तो खंड (१) के अधीन उस समुदाय के लिये रक्षित पदो से अन्य, अथवा उन से अधिक, पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्ति में उस खंड की किसी बात से रुकावट न होगी।

आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण अनुदान के लिये विशेष उपबन्ध.

३३७. इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् पहिले तीन वित्तीय वर्षों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई अनुदान रहे हों तो वही अनुदान संघ तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १९४८ ई० को अन्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिये गये थे।

प्रत्येक अनुवर्ती तीन वर्ष की कालावधि में, अनुदान निकट पूर्ववर्ती तीन वर्ष की कालावधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे :

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष रियायत हैं, उस मात्रा तक अन्त हो जायेंगे :

परन्तु यह और भी कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी शिक्षा-संस्था को अनुदान पाने का तब तक हक्क न होगा जब तक कि उस के वार्षिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य न किये गये हों।

भाग १६——कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध—— अनु० ३३८-३३९

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी.

३३८. (१) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा

(२) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निदिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(३) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश जिन को कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद ३४० के खंड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्ल-भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याणार्थ संघ का नियंत्रण.

३३९. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के बारे मे प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर सकेगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

आयोग की रचना, शक्तियों और प्रक्रिया की परिभाषा आदेश में की जा सकेगी तथा उस में वे प्रासंगिक और सहायक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे किसी राज्य को उस प्रकार के निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये निदेश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित से सम्बन्ध रखते हों।

भाग १६--कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध--अनु० ३४०-३४१

पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अनुसंधान के लिये आयोग की नियुक्ति.

३४०. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुये वर्गों की दशाओं के तथा जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उन के अनुसंधान के लिये तथा संघ या किसी राज्य द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने और उन की दशा को सुधारने के लिये करने योग्य उपायों के बारे में, तथा उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिये जाने चाहियें तथा जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिये जाने चाहियें उन के बारे में, सिपारिश करने के लिये राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को मिला कर, जैसे वह उचित समझे, आयोग बना सकेगा तथा आयोग नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी।

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए विषयों का अनुसन्धान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिस में पाये गये तथ्यों का समावेश होगा तथा जिस में ऐसी सिपारिशें की जायेंगी जिन्हें आयोग उचित समझे।

(३) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिये गये प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

अनुसूचित जातियां.

३४१. (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्, लोक-अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी।

(२) संसद् विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति के भाग या उस में के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा

भाग १६—कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध—अनु० ३४१-३४२

उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

अनुसूचित आदिम-जातियां

३४२. (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात् लोक-अधिसूचना द्वारा उन आदिमजातियों या आदिमजाति-समुदायों अथवा आदिमजातियों या आदिमजाति-समुदायो के भागों या उन में के यथों का उल्लेख कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिमजातियां समझी जायेंगी ।

(२) संसद् विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय को, अथवा आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय के भाग या उस में के यूथ को, खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित, कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

भाग १७

राजभाषा

अध्याय १.—संघ की भाषा

संघ की राजभाषा.

३४३. (१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा ।

(२) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का; अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों ।

राजभाषा के लिये संसद् का आयोग और समिति.

३४४. (१) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा

भाग १७-- राजभाषा--अनु० ३४४

जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिभाषित करेगा।

(२) राष्ट्रपति को--

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के;

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के;

(ग) अनुच्छेद ३४८ में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के;

(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों के रूप के;

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उन के प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किये हुए किसी अन्य विषय के,

बारे में सिपारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा।

(३) खंड (२) के अधीन अपनी सिपारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(४) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जिन में से बीस लोक-सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य-परिषद् के सदस्य होंगे जो कि क्रमशः लोक-सभा के सदस्यों तथा राज्य-परिषद् के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

भाग १७—राजभाषा—अनु० ३४४-३४७

(५) खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करना समिति का कर्तव्य होगा।

(६) अनुच्छेद ३४३ में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड (५) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सारे प्रतिवेदन के या उस के किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

अध्याय २.—प्रादेशिक भाषाएं

राज्य की राजभाषा या राजभाषायें.

३४५. अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा :

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा इस से अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी।

एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राज-भाषा.

३४६. संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा होगी :

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली

३४७. तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उस के द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी

भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उस के किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये । जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध.

अध्याय ३.--उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायालयों आदि की भाषा

उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा.

३४८. (१) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक--

(क) उच्चतमन्यायालय में तथा प्रत्येक उच्चन्यायालय में सब कार्यवाहियां;

(ख) जो--

(१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन, संसद् के प्रत्येक सदन में पुरः-स्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ,

(२) अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा

(३) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन, अथवा संसद् या राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ,

अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

(२) खंड (१) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्चन्यायालय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर सकेगा :

भाग १७—राजभाषा—अनु० ३४८-३५०

परन्तु इस खंड की कोई बात वैसे उच्चन्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी।

(३) खंड (१) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उस के द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका (३) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उस का अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिये उस का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के विशेष प्रक्रिया।

३४९. इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विना न तो पुरःस्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुरःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किये जाने की मंजूरी अनुच्छेद ३४४ के खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशों पर, तथा उस अनुच्छेद के खंड (४) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करन के पश्चात् ही राष्ट्रपति देगा।

अध्याय ४.—विशेष निदेश

व्यथा के नवारण के

३५०. किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में

भाग १७—राजभाषा—अनु० ३५०-३५१

या राज्य प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्यक व्यक्ति को हक्क होगा।

लिये अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा.

हिन्दी भाषा के विकास के लिये निदेश.

३५१. हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उस का विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उस की आत्मीयता में हस्तक्षेप किये विना हिन्दुस्थानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उस के शब्द-भंडार के लिये मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उस की समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

भाग १८

आपात-उपबन्ध

आपात की उद्घोषणा.

३५२. (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिस से कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति से भारत या उस के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।

(२) खंड (१) के अधीन की गई उद्घोषणा—

(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी ;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी;

(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह उस कालावधि की समाप्ति से पहिले अनुमोदित न कर दी जाये :

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई है जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन इस खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है, तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालावधि की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता।

(३) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति का संकट सन्निकट है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा ऐसा कोई आक्रमण या अशान्ति नहीं हुई हो तो भी भारत की अथवा भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा इस प्रकार से संकट में है ऐसा घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी।

३५३. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब— आपात की उद्घोषणा का भाव.

(क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस विषय में निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे;

(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति के अन्तर्गत ऐसी विधियां बनाने की शक्ति भी होगी जो उस विषय के बारे में संघ अथवा संघ के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां देती तथा कर्तव्य सौंपती हो अथवा शक्तियों का दिया जाना और कर्तव्यों का सौंपा जाना प्राधिकृत करती हो चाहे फिर वह विषय ऐसा हो जो संघ-सूची में प्रगणित नहीं है।

३५४. (१) जब कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद २६८ से २७९ तक के सब या कोई उपबन्ध ऐसी किसी कालावधि में, जैसी कि उस आदेश में उल्लिखित की जाये और जो किसी अवस्था में भी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे विस्तृत न होगी, जिस में कि उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती, ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन प्रभावी होंगे जैसे कि वह उचित समझे। आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्धों की प्रयुक्ति.

भाग १८--आपात-उपबन्ध-- अनु० ३५४-३५६

(२) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दिये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

बाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अशान्ति से राज्य का संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य.

३५५. बाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबन्ध

३५६. (१) यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—

(क) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य, तथा यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख में, अथवा राज्य के विधान-मंडल को छोड़ कर राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में, निहित, या तत्तद्द्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा;

(ख) घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी;

(ग) राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बद्ध इस संविधान के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने के लिये उपबन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध बना सकेगा जैसे कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वांछनीय दिखाई दें:

भाग १८—आपात-उपबन्ध—अनु० ३५६

परन्तु इस खंड की किसी बात से राष्ट्रपति को यह प्राधिकार न होगा कि वह उच्चन्यायालय में निहित या तद्द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले अथवा इस संविधान के उच्चन्यायालयों से सम्बद्ध किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित कर दे।

(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकेगी।

(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी, तथा जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह दो महीने की समाप्ति पर, यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह अनुमोदित नहीं हो जाती तो, प्रवर्तन में नहीं रहेगी :

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पहिले की उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली नहीं है) उस समय निकाली गई है जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालावधि की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता।

(४) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि प्रतिसंहृत नहीं हो गई हो तो, इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे के पारित हो जाने की

तारीख से छ महीने की कालावधि की समाप्ति पर वह प्रवर्तन नहीं रहेगी :

परन्तु ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त रखने के लिये अनुमोदन करने वाला संकल्प, यदि और जितनी बार, संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो, और उतनी बार, वह उद्घोषणा, जब तक कि प्रतिसंहृत न हो जाये, उस तारीख से जिस से कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, छ महीने की और कालावधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु कोई ऐसी उद्घोषणा किसी अवस्था में भी तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी :

परन्तु यह और भी कि यदि लोक-सभा का विघटन छ मास की किसी ऐसी कालावधि के भीतर हो जाता है तथा ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने के बारे में कोई संकल्प लोक-सभा द्वारा उक्त कालावधि में पारित नहीं हुआ है तो उद्घोषणा उस तारीख से जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को प्रवर्तन में बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता ।

अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के अधीन विधायिनी.

३५७. (१) जहां अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के अधीन निकाली गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी वहां—

(क) राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने के लिये तथा

ऐसी दी हुई शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति उस लिये उल्लिखित करे, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रत्यायोजन करने के लिये राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद् की; शक्तियों का प्रयोग.

(ख) संघ अथवा उस के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति ने या कर्तव्य आरोपित करने के लिये, अथवा शक्तियों का दिया जाना या कर्तव्यों का आरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिये, विधि बनाने की संसद् की अथवा राष्ट्रपति की या ऐसी विधि बनाने की शक्ति जिस अन्य प्राधिकारी में उपखंड (क) के अधीन निहित है उस की ;

(ग) जब लोक-सभा सत्र में न हो तब व्यय के लिये संसद् की मंजूरी लम्बित रहने तक राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की,

क्षमता होगी ।

(२) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति के प्रयोग में संसद् द्वारा अथवा राष्ट्रपति अथवा खड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे अनच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में संसद् या राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के लिये सक्षम न होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक सिवाय उन बातों के प्रभाव में न रहेगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई थीं जब तक कि वे उपबन्ध, जो इस प्रकार प्रभावी न रहेंगे, समुचित विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा उस से पहिले ही या तो निरसित और या रूपभेदों के सहित या विना पुनः अधिनियमित न कर दिये गये हों ।

भाग १८—आपात-उपबन्ध—अनु० ३५८-३६०

आपातों मे अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का विलम्बन.

३५८. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद १९ की किसी बात से राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की अथवा कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही करने की भाग ३ में परिभाषित शक्ति, जिसे वह राज्य उस भाग में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अभाव में बनाने अथवा करने के लिये सक्षम होता, निर्वन्धित नहीं होगी, किन्तु इस प्रकार निर्मित कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक तुरन्त प्रभावशून्य हो जायेगी सिवाय उन बातों के जो विधि के इस प्रकार प्रभावशून्य होने से पहिले की गई या की जाने से छोड़ दी गई थीं।

आपात में भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन.

३५९. (१) जहां कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से ऐसों को प्रवर्तित कराने के लिये, जैसे कि इस आदेश में वर्णित हों, किसी न्यायालय के प्रचालन का अधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये किसी न्यायालय में लम्बित सब कार्यवाहियां उस कालावधि के लिये जिस में कि उद्घोषणा लागू रहती है अथवा उस से छोटी ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाये, निलम्बित रहेगी।

(२) उपरोक्त प्रकार दिया हुआ आदेश भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में अथवा उस के किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा।

(३) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दिये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

वित्तीय आपात के बारे में उपबन्ध.

३६०. (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस से भारत अथवा उस के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस बात की घोषणा कर सकेगा।

भाग १८—आपात-उपबन्ध—अनु० ३६०

(२) अनुच्छेद ३५२ के खंड (२) के उपबन्ध इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे अनुच्छेद ३५२ के अधीन निकाली गई आपात की उद्घोषणा के लिये लागू होते हैं।

(३) उस कालावधि में जिस मे कि खंड (१) में वर्णित कोई उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने के लिये निदेश देने तक, जैसे कि निदेशों में उल्लिखित हों तथा ऐसे अन्य निदेश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगी।

(४) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ऐसे किसी निदेश के अन्तर्गत—

(१) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किन्हीं वर्गों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाले उपबन्ध,

(२) धन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, जिन को अनुच्छेद २०७ के उपबन्ध लागू हैं, राज्य के विधान-मंडल के द्वारा उन के पारित किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित करने के लिये उपबन्ध, भी हो सकेंगे ;

(ख) उस कालावधि में, जिस में कि इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गई उद्घोषणा प्रवर्तन में है, उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित, संघ के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिये निदेश निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा।

भाग १९

प्रकीर्ण

राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण.

३६१. (१) राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किये गये अथवा कर्तुमभिप्रेत किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय को उत्तरदायी न होगा :

परन्तु अनुच्छेद ६१ के अधीन दोषारोप के अनुसंधान के लिये संसद् के किसी सदन द्वारा नियुक्त या नामोद्दिष्ट किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा मानो कि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ समुचित कार्यवाहियों के चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बन्धित करती है ।

(२) राष्ट्रपति के अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के खिलाफ उस की पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जायेगी और न चालू रखी जायगी ।

(३) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की पदावधि में उसे बन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकलेगी ।

(४) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात्, अपने वैयक्तिक रूप में किये गये अथवा कर्तुमभिप्रेत किसी कार्य के बारे में राष्ट्रपति अथवा ऐसे राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के खिलाफ अनुतोष की मांग करने वाली कोई व्यवहार-कार्यवाहियां

उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में तब तक संस्थित न की जायेंगी, जब तक कि कार्यवाहियों के स्वरूप, उन के लिये वाद का कारण ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, निवासस्थान तथा उस से मांग किये जाने वाले अनुतोष का वर्णन करने वाली लिखित सूचना को यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख*को दिये जाने अथवा उस के कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास का समय व्यतीत न हो गया हो।

देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार.

३६२. संसद् की या किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति के प्रयोग में, अथवा संघ या किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, देशी राज्य के शासक के वैयक्तिक अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के विषय में ऐसी प्रसंविदा या करार के अधीन, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है, दी गई प्रत्याभूति या आश्वासन का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

कतिपय सन्धियों, करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन.

३६३. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद १४३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतमन्यायालय और न किसी अन्य न्यायालय को किसी सन्धि, करार, प्रसंविदा वचन-बन्ध सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य लिखत से, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई या निष्पादित की गई थी तथा जिस में भारत डोमीनियन की सरकार या इस की पूर्वाधिकारी कोई भी सरकार एक पक्ष थी तथा जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है या बनी रही है, उद्भूत किसी विवाद में अथवा ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बन्ध, सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य लिखत से सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्धों में से किसी से प्रोद्भूत किसी अधिकार, या उद्भुत किसी दायित्व या आभार, के विषय में किसी विवाद में क्षेत्राधिकार होगा।

(२) इस अनुच्छेद मे—

(क) "देशी राज्य" से अभिप्रेत है कोई राज्य-क्षेत्र जो सम्राट् या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले, ऐसा राज्य अभिज्ञात था; [तथा]

(ख) "शासक" के अन्तर्गत है, राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जो सम्राट् या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, ऐसे प्रारम्भ से पहिले किसी देशी राज्य का शासक अभिज्ञात था ।

महापत्तनों और विमान-क्षेत्रों के लिये विशेष उपबन्ध.

३६४. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख से ले कर जैसी कि अधिसूचना में उल्लिखित हो—

(क) संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि किसी महापत्तन या विमान-क्षेत्र को लागू न होगी अथवा ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसे कि लोक-अधिसूचना में उल्लिखित हों, लागू होगी; अथवा

(ख) कोई वर्तमान विधि किसी महापत्तन या विमान-क्षेत्र में उक्त तारीख से पहिले की हुई या किये जाने से छोड़ दी गई बातों के सम्बन्ध से अतिरिक्त अन्य बातों के लिये प्रभावी न होगी, अथवा ऐसे पत्तन या विमान-क्षेत्र में ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसे कि लोक-अधिसूचना में उल्लिखित हों, प्रभावी होगी ।

(२) इस अनुच्छेद में—

(क) "महापत्तन" से अभिप्रेत है कोई पत्तन जो संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि या किसी वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महापत्तन घोषित किया गया है तथा उस के अन्तर्गत वे सब क्षेत्र हैं जो तत्समय ऐसे पत्तन की सीमाओं के अन्तर्गत हैं ;

(ख) "विमान-क्षेत्र" से अभिप्रेत है वायु-पथों, विमानों और विमान-परिवहन से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित विमान-क्षेत्र ।

भाग १९—प्रकीर्ण—अनु० ३६५-३६६

३६५. जहां इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिये गये किन्हीं निदेशों का अनुवर्तन करने में या उन को प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है वहां राष्ट्रपति के लिये यह मानना विधि-संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है जिस में राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता। संघ द्वारा दिये गये निदेशों का अनुवर्तन करने या उन को प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव.

३६६. जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस संविधान में निम्नलिखित पदों के वे अर्थ हैं जो क्रमशः उन को यहां दिये गये हैं; अर्थात्— परिभाषाएं.

(१) "कृषि-आय" से अभिप्रेत है भारतीय आय-कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित कृषि-आय ;

(२) "आंग्ल-भारतीय" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिस का पिता अथवा पितृ-परम्परा में कोई अन्य पुरुष-जनक योरोपीय उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासी है और जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में ऐसे जनकों से जन्मा है जो वहां साधारणतया निवास करते रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे है ;

(३) "अनुच्छेद" से अभिप्रेत है इस संविधान का अनुच्छेद ;

(४) "उधार लेना" में अन्तर्गत है वार्षिकियों के अनुदान द्वारा धन लेना तथा "उधार" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा ;

(५) "खंड" से अभिप्रेत है उस अनुच्छेद का खंड जिस में कि वह पद आता है ;

(६) "निगम-कर" से अभिप्रेत है कोई आय पर कर, जहां तक कि वह कर समवायों द्वारा देय है, तथा ऐसा कर है जिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं—

(क) कि वह कृषि-आय के विषय में आदेय नहीं है;

भाग १९--प्रकीर्ण--अनु० ३६६

(ख) कि उस कर पर लागू होने वाली किन्हीं अधिनियमितियों से समवायों द्वारा दिये जाने वाले कर के बारे में कोई कटौती उन लाभांशों में से जो समवायों द्वारा व्यक्तियों को देय हैं प्राधिकृत नहीं है ;

(ग) कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने वाले व्यक्तियों की पूर्ण आय की गणना में, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय अथवा उन को लौटाये जाने वाली भारतीय आय-कर की गणना में, इस प्रकार दिये गये कर को सम्मिलित करने का कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है ;

(७) "तत्स्थानी प्रान्त", "तत्स्थानी देशी राज्य" अथवा "तत्स्थानी राज्य" से संशयात्मक दशाओं में अभिप्रेत है ऐसा प्रांत, देशी राज्य, या राज्य जिसे प्रश्नास्पद विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त, तत्स्थानी देशी राज्य अथवा तत्स्थानी राज्य निर्धारित करे;

(८) "ऋण" के अन्तर्गत है वार्षिकियों के रूप में मूलधन राशियों के लौटाने के किसी आभार के विषय में कोई दायित्व, तथा किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व तथा "ऋणभारों" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा;

(९) "सम्पत्ति-शुल्क" से अभिप्रेत है कोई शुल्क जो मृत्यु पर रिक्थ हुई, अथवा संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस शुल्क के सम्बन्ध में निर्मित विधियों के उपबन्धों के अधीन वैसी रिक्थ हुई समझी जाने वाली, सारी सम्पत्ति के, उक्त विधियों के द्वारा या अधीन विहित नियमों के अनुसार अभिनिश्चित, मूल मूल्य पर या के निर्देश से परिगणित की जानी हो;

भाग १९--प्रकीर्ण--अनु० ३६६

(१०) "वर्तमान विधि" से अभिप्रेत है कोई विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम को बनाने की शक्ति रखने वाले किसी विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित या निर्मित है ;

(११) "फेडरलन्यायालय" से अभिप्रेत है भारत शासन-अधिनियम १९३५ के अधीन गठित फेडरल-न्यायालय ;

(१२) "वस्तुओं" के अन्तर्गत है सब सामग्री पण्य और पदार्थ ;

(१३) "प्रत्याभूति" के अन्तर्गत है कोई ऐसा आभार जो इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी उपक्रम के लाभों के किसी उल्लिखित राशि से कम होने की अवस्था में देने के लिये उठाया गया हो;

(१४) "उच्चन्यायालय" से अभिप्रेत है कोई न्यायालय जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये किसी राज्य के लिये उच्चन्यायालय समझा जाता है, तथा इस के अन्तर्गत है--

(क) इस संविधान के अधीन उच्चन्यायालय रूप में गठित या पुनर्गठित भारत राज्य-क्षेत्र में का कोई न्यायालय; तथा

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में का कोई अन्य न्यायालय जो इस संविधान के सब या किन्हीं प्रयोजनों के लिय संसद् से विधि द्वारा उच्चन्यायालय घोषित किया जाये;

(१५) "देशी राज्य" से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य-क्षेत्र जिसे भारत डोमीनियन की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती थी;

(१६) "भाग" से अभिप्रेत है इस संविधान का भाग;

(१७) "निवृत्ति-वेतन" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को, या के बारे में, देय किसी प्रकार का निवृत्ति-वेतन चाहे फिर वह अंशदायी हो या न हो तथा इस के अन्तर्गत है उस प्रकार देय सेवा-निवृत्ति-वेतन, उस प्रकार देय, उपदान तथा किसी भविष्य निधि के चन्दों को ब्याज सहित या रहित तथा उन के अन्य जोड़ सहित या रहित लौटाने के लिये देय कोई राशि या राशियां;

(१८) "आपात की उद्घोषणा" से अभिप्रेत है वह उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अधीन निकाली गई हो;

(१९) "लोक-अधिसूचना" से अभिप्रेत है भारत के सूचना-पत्र में अथवा जैसी कि स्थिति हो, राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में अधिसूचना;

(२०) "रेल" के अन्तर्गत नहीं है--

(क) किसी नगर-क्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामवे, अथवा

(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे संसद् ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित किया हो;

(२१) "राजप्रमुख" से अभिप्रेत है।

(क) हैदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के निजाम के रूप में तत्समय अभिज्ञात ह ;

जम्मू और काश्मीर राज्य मैसूर राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में तत्समय अभिज्ञात है ; तथा

भाग १९—प्रकीर्ण—अनु० ३६६

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात है,

तथा उस में उक्त राज्यों में से किसी के सम्बन्ध में, वह कोई व्यक्ति भी अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सम्बन्ध में राजप्रमुख की शक्तियां प्रयोग करने के लिये सक्षम तत्समय अभिज्ञात है;

(२२) "शासक" से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है कोई राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिस ने ऐसी कोई प्रसंविदा या करार, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है, किया था तथा जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्समय अभिज्ञात है तथा उस के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है ;

(२३) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस संविधान की अनुसूची ;

(२४) "अनुसूचित जातियां" से अभिप्रेत हैं ऐसी जातियां, मूलवंश या आदिमजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भाग या उन में के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं ;

(२५) "अनुसूचित आदिमजातियां" से अभिप्रेत हैं ऐसी आदिमजातियां या आदिमजाति-समुदाय

अथवा ऐसी आदिम-जातियों या आदिमजाति-समुदायों के भाग या उन में के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित आदिमजातियां समझी जाती हैं ;

(२६) "प्रतिभूतियों" के अन्तर्गत निधि पत्र भी है ;

(२७) "उपखंड" से अभिप्रेत है उस खंड का उपखंड जिस में कि यह पद आता है;

(२८) "कराधान" के अन्तर्गत है किसी कर या लाभ-कर का लगाना चाहे फिर वह साधारण या स्थानीय या विशेष हो, और "कर" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा ;

(२९) "आय पर कर" के अन्तर्गत है अतिरिक्त लाभ-कर के प्रकार का कर ।

(३०) "उपराजप्रमुख" से प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात है ।

निर्वचन. ३६७. (१) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस संविधान के निर्वचन के हेतु साधारण परिभाषा-अधिनियम १८९७, किन्हीं ऐसे अनुकूलनों और रूपभेदों के साथ जैसे कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन उस में किये जायें वैसे ही लागू होगा जैसे कि वह भारत डोमीनियन के विधान-मंडल के अधिनियम के निर्वचन के लिये लागू है ।

(२) इस संविधान में संसद् के या द्वारा निर्मित अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश में अथवा प्रथम अनसूची के भाग

भाग १९——प्रकीर्ण——अनु० ३६७

(क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के या द्वारा निर्मित अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश के अन्तर्गत यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा अध्यादेश का निर्देश भी समझा जायेगा।

(३) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये "विदेशी राज्य" से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई राज्य :

परन्तु संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसे कि आदेश में उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा।

भाग २०

संविधान का संशोधन

संविधान के संशोधन के लिये प्रक्रिया

३६८. इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित कर के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उस की अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक को एसी अनुमति दी जाने के पश्चात् विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा .

परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन—

(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १६२, या अनुच्छेद २४१ में; अथवा

(ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ में; अथवा

(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में; अथवा

(घ) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; अथवा

(ङ) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में,

कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मंडलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।

भाग २१

अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध

राज्य-सूची में के कुछ विषयों के में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानों कि वे विषय समवर्ती सूची के हैं.

३६९. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालावधि में निम्नलिखित विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् को इस प्रकार शक्ति होगी मानो कि ये समवर्ती सूची में प्रगणित हैं; अर्थात्—

(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची रुई (जिस के अन्तर्गत धुनी हुई रुई और विना धुनी रुई या कपास हैं), बिनौले, कागज (जिस के अन्तर्गत समाचार-पत्र का कागज है), खाद्य पदार्थ (जिस के अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं), ढोरों के चारे (जिस के अ ंत खली और अन्य सारकृत चारे हैं) कोयले (जिस के अन्तर्गत कोक और पथर-कोयला-जन्य पदार्थ हैं), लोहे, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उन का उत्पादन, सम्भरण और वितरण;

(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चतम-न्यायालय से भिन्न सब न्यायालयों का उन विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तथा उन विषयों से किसी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों से अन्य फीसें,

किन्तु संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अभाव में बनाने के लिये संसद् सक्षम न होती, उक्त कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उस की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ी गई बातों से अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जायेगी ।

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७०

जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध.

३७०. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) अनुच्छेद २३८ के उपबन्ध जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू न होंगे;

(ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति--

(१) संघ-सूची और समवर्ती सूची में के जिन विषयों को राज्य की सरकार से परामर्श कर के राष्ट्रपति उन विषयों का तत्स्थानी विषय घोषित कर दे जो भारत डोमीनियन में उस राज्य के प्रवेश को शासित करने वाली प्रवेश-लिखत में उल्लिखित ऐसे विषय हैं जिन के बारे में डोमीनियन विधान-मंडल विधि बना सकता है उन विषयों तक ; तथा

(२) उक्त सूचियों में के जिन अन्य विषयों को उस राज्य की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक सीमित होगी ।

व्याख्या.--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति १९४८ की मार्च के पांचवें दिन निकाली गई महाराजा की उद्घोषणा के अधीन तत्समय पदस्थ मंत्रि-परिषद् की मंत्रणा के अनुसार कार्य करने वाला जम्मू और काश्मीर का महाराजा तत्समय अभिज्ञात करता है ;

(ग) अनुच्छेद १ के और इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस राज्य के सम्बन्ध में लागू होंगे ;

(घ) इस संविधान के उपबन्धों में से ऐसे अन्य उपबन्ध ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ उस राज्य के बारे में लागू होंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) की कंडिका (१) में निर्दिष्ट राज्य के प्रवेश-लिखत में उल्लिखित विषयों से सम्बद्ध हो राज्य की सरकार से परामर्श किये विना न निकाला जायेगा:

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई आदेश, जो अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से सम्बद्ध हो, उस सरकार की सहमति के विना न निकाला जायेगा।

(२) यदि उस राज्य की सरकार द्वारा खंड (१) के उपखंड (ख) की कंडिका (२) में अथवा उस खड के उपखंड (घ) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट सहमति, उस राज्य के लिये संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के बुलाये जाने से पहिले, दी जाये तो उसे ऐसी सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिये रखा जायेगा जैसा कि वह उस पर ले।

(३) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा कि यह अनुच्छेद ऐसी तारीख से प्रवर्तनहीन, अथवा ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित ही प्रवर्तन में, होगा जैसे कि वह उल्लिखित करे:

परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से पहिले खंड (२) में निर्दिष्ट उस राज्य की मविधान-सभा की सिपारिश आवश्यक होगी।

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के विषय में अस्थायी उपबन्ध.

३७१. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर अथवा किसी ऐसी दीर्घतर या अल्पतर कालावधि के भीतर, जिसे किसी राज्य के बारे में संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार राष्ट्रपति के साधारण नियंत्रण के अधीन होगी, तथा ऐसे विशिष्ट निदेशों का, यदि कोई हों, अनुवर्तन करेगी जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर दे:

परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३७१-३७२

के उपबन्ध उस आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को लागू न होंगे।

वर्तमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना तथा उन का अनुकूलन.

३७२. (१) अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधि उस में तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित न की जाये।

(२) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबन्धों को इस संविधान के उपबन्धों से संगत करने के प्रयोजन से राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे अनुकूलन और रूपभेद चाहे निरसन या चाहे संशोधन द्वारा, कर सकेगा जैसे कि आवश्यक या इष्टकर हों तथा उपबन्ध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से ले कर जैसी कि आदेश में उल्लिखित हो, ऐसे किये गये अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही प्रभावी होगी तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी।

(३) खंड (२) की कोई बात—

(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विधि का कोई अनुकूलन या रूपभेद करने की शक्ति देने वाली; अथवा

(ख) किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलन या रूपभेद की गई किसी विधि को निरसित या संशोधित करने से रोकने वाली,

न समझी जायेगी।

व्याख्या १.—इस अनुच्छेद में "प्रवृत्त विधि" पदावलि के अन्तर्गत है कोई विधि जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३७२-३७३

राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित हुई हो तथा पहिले ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब पूर्णतः अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हों।

व्याख्या २.—भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित किसी ऐसी विधि का, जिस का इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव तथा भारत राज्य-क्षेत्र में भी प्रभाव था, उपरोक्त किन्हीं अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा।

व्याख्या ३.—इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को, उस की समाप्ति के लिये नियत तारीख से, अथवा उस तारीख से, जिस को कि, यदि यह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता, तो वह समाप्त हो जाती, आगे प्रवृत्त बनाये रखती है।

व्याख्या ४.—किसी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा ८८ के अधीन प्रख्यापित तथा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवृत्त अध्यादेश, यदि तत्स्थानी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहिले ही वापिस न ले लिया गया हो तो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अनुच्छेद ३८२ के खंड (१) के अधीन कृत्यकारिणी उस राज्य की विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन से छ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तनहीन होगा, तथा इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह ऐसे किसी अध्यादेश को उक्त कालावधि से आगे प्रवृत्त बनाये रखती है।

निवारक नरोध में रखे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अवस्थाओं

३७३. जब तक अनुच्छेद २२ के खंड ७ के अधीन संसद् उपबन्ध न करे, अथवा जब तक इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् एक वर्ष समाप्त न हो, जो भी इन में से पहिले हो, तब तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि उस के खंड (४) और (७) में संसद् के प्रति किसी निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति के

...के आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति.

प्रति निर्देश, तथा उन उपखंडों म संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रति निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये आदेश का निर्देश, रख दिया गया हो ।

फेडरलन्याया-लयके न्याया-धीशों के तथा फेडरलन्याया-लय में अथवा सपरिषद् सम्राट् के, समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के बारे में उपबन्ध.

३७४. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरल-न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेंगे जैसे कि उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अनुच्छेद १२५ के अधीन उपबन्धित हैं ।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर फेडरलन्यायालय में लम्बित सभी व्यवहार-वाद, अपीलें और कार्यवाहियां, चाहे व्यवहार सम्बन्धी चाहे दाण्डिक, उच्चतमन्यायालय को चली गई रहेंगी, तथा उच्चतमन्यायालय को उन के सुनने तथा निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा तथा फेडरलन्यायालय के, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले सुनाये या दिये गये निर्णयों और आदेशों का, ऐसा बल और प्रभाव होगा मानो कि वे उच्चतमन्यायालय द्वारा सुनाये या दिये गयें हों ।

(३) इस संविधान की कोई बात भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की, या के विषय में, अपीलों या याचिकाओं को निबटाने के लिये सपरिषद् सम्राट् के क्षेत्राधिकार के प्रयोग को वहां तक अमान्य न करेगी जहां तक कि ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है तथा ऐसी किसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् दिया गया सपरिषद् सम्राट् का कोई आदेश सब प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानो कि वह उच्चतमन्यायालय द्वारा उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान द्वारा दिया गया है, दिया गया कोई आदेश या आज्ञप्ति हो ।

(४) इस संविधान के प्रारम्भ पर, और से, प्रथम अनुसूची

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७४-३७६

क भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में अन्तःपरिषद् के रूप में कृत्यकारी प्राधिकारी का उस राज्य में के किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की अपील या याचिका को ग्रहण या निबटाने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारम्भ पर लम्बित सब अपीलें और अन्य कार्यवाहियां उच्चतमन्यायालय को भेज दी जायेंगी और उस के द्वारा निबटाई जायेंगी।

(५) इस अनुच्छेद के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये संसद् विधि द्वारा और उपबन्ध बना सकेगी।

संविधान के उपबन्धों के अधीन रह कर न्यायालयों, प्राधिकारियों और पदाधिकारियों का कृत्य करते रहना.

३७५. भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यवहार, दंड और राजस्व क्षेत्राधिकार वाले सब न्यायालय तथा न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और पदाधिकारी इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने अपने कृत्यों को करते रहेंगे।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबन्ध

३७६. (१) अनुच्छेद २१७ के खंड (२) में किसी बात के होते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेंगे जैसे कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अनुच्छेद २२१ के अधीन उपबन्धित हैं।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध— अनु० ३७६-३७८

राज्य मे के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर वैसे उल्लिखित राज्य में के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा अनुच्छेद २१७ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (१) के परन्तुक के अधीन रहते हुए ऐसी कालावधि तक पदस्थ बने रहेंगे जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।

(३) इस अनुच्छेद में "न्यायाधीश" पद के अन्तर्गत कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नहीं है।

भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के बारे में उपबन्ध.

३७७. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पदस्थ भारत का महालेखा-परीक्षक, यदि वह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, ऐसे प्रारम्भ पर भारत का नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक हो जायेगा तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेगा जैसे भारत के नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के बारे में अनुच्छेद १४८ के खंड (३) के अधीन उपबन्धित हैं, तथा अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे लागू होने वाले उपबन्धों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक, पदस्थ बने रहने का हक्क रखेगा।

लोकसेवा-आयोग के बारे में उपबन्ध.

३७८. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर संघ-लोकसेवा-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू होने वाले नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त के लोकसेवा-आयोग के अथवा प्रान्तों के समूह की आवश्यकता

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३७८-३७९

के लिये सेवा करने वाले किसी लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, यथास्थिति तत्स्थानी राज्य के लोकसेवा-आयोग के सदस्य अथवा तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं के लिये सेवा करने वाले संयुक्त राज्य-लोकसेवा-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे।

अन्तर्कालीन संसद् तथा उस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबन्ध.

३७९. (१) जब तक कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन संसद् के दोनों सदन सम्यक् रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक वह निकाय, जो भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कृत्यकारी था, अन्तर्कालीन संसद् होगा तथा इस संविधान के उपबन्धों द्वारा संसद् को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनों के लिये भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के अन्तर्गत—

(१) किसी राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र का, जिन के प्रतिनिधित्व के लिये खंड (२) के अधीन उपबन्ध है, प्रतिनिधित्व करने के लिये चुने गये सदस्य, तथा

(२) उक्त सभा में आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति के लिये चुने गये सदस्य,

भी होंगे।

(२) राष्ट्रपति नियमों द्वारा—

(क) खड (१) के अधीन कृत्यकारणी अन्तर्कालीन संसद् में किसी ऐसे राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र के, जिस का प्रतिनिधित्व इस संविधान के प्रारम्भ

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३७९

से ठीक पहिले भारत डोमीनियन की संविधान-सभा में न था, प्रतिनिधित्व के लिये,

(ख) अन्तर्कालीन संसद् में ऐसे राज्यों या अन्य राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिस रीति से चुने जायेंगे उस के लिये, तथा

(ग) ऐसे प्रतिनिधियों की जो अर्हताएं चाहियें उन के लिये,

उपबन्ध कर सकेगा।

(३) यदि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा का कोई सदस्य १९४९ के अक्टूबर के छठे दिन अथवा तत्पश्चात् इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय किसी राज्यपाल-प्रान्त अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य था अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री था तो इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर संविधान-सभा में ऐसे सदस्य का स्थान, यदि उस का उस सभा का सदस्य होना इस से पहिले ही समाप्त न हो गया हो, रिक्त हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायेगी।

(४) इस बात के होते हुए भी कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा में ऐसी कोई रिक्तता, जैसी कि खंड (३) में वर्णित है, उस खंड के अधीन नहीं हुई है, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिये पग उठाया जा सकेगा किन्तु ऐसे प्रारम्भ से पहिले उस रिक्तता की पूर्ति के लिय चुने हुए किसी व्यक्ति को उक्त सभा में अपना स्थान ग्रहण करने का हक्क तब तक न होगा जब तक कि रिक्तता इस प्रकार न हो जाये।

(५) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत शासन-अधिनियम १९३५ के अधीन डोमीनियन विधान-मंडल के रूप में कृत्यकारिणी संविधान-सभा के अध्यक्ष

या उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थ था, वह ऐसे प्रारम्भ पर खंड (१) के अधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद् का यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा।

राष्ट्रपति के बारे में उपबन्ध.

३८०. (१) ऐसा व्यक्ति, जिसे उस बारे में भारत डोमीनियन की संविधान-सभा ने निर्वाचित कर लिया हो, भारत का तब तक राष्ट्रपति होगा जब तक कि भाग ५ अध्याय १ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाये तथा अपने पद को ग्रहण न कर ले।

(२) भारत डोमीनियन की संविधान-सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति के पद में, उस की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण या अन्यथा, कोई रिक्तता होने पर उस की पूर्ति अनुच्छेद ३७९ के अधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद् द्वारा उस लिये निर्वाचित व्यक्ति से की जायेगी तथा जब तक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित न हो तब तक भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्.

३८१. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राष्ट्रपति उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् के सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबन्ध.

३८२. (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के कृत्यकारी विधान-मंडल का सदन, या के सदन, इस संविधान के उपबन्धों द्वारा ऐसे राज्य के विधान-मंडल के सदन या

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३८२-३८३

सदनों को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा या करेंगे ।

(२) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के पुनर्गठन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया है वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् निर्वाचन इस प्रकार पूरा किया जा सकेगा मानो कि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं आया है तथा ऐसी पुनर्गठित सभा उस खंड के प्रयोजनों के लिये उस प्रान्त की विधान-सभा समझी जायेगी ।

(३) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अथवा विधान-परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पदस्थ था, ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित तत्स्थानी राज्य की विधान-सभा का यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा, विधान-परिषद् का यथास्थिति सभापति या उपसभापति होगा, जब तक कि वह सभा या परिषद् खंड (१) के अधीन कृत्य करती है :

परन्तु जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के पुनर्गठन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया है तथा ऐसी पुनर्गठित सभा का प्रथम अधिवेशन ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् होता है वहां इस खंड के उपबन्ध लागू न होंगे तथा ऐसी पुनर्गठित सभा अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के लिये निर्वाचित करेगी ।

प्रान्तों के राज्यपालों के बारे में उपबन्ध.

३८३. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले जो व्यक्ति किसी प्रान्त में राज्यपाल के रूप में पदस्थ है वह ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित तत्स्थानी राज्य का राज्यपाल तब तक होगा जब तक

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३८३-३८६

कि भाग ६ के अध्याय २ के उपबन्धों के अनुसार नया राज्यपाल नियुक्त न हो गया हो और उस ने अपना पद ग्रहण न कर लिया हो।

राज्यपालों की मंत्रि-परिषद्.

३८४. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य का राज्यपाल उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन राज्यपाल की मंत्रि-परिषद् के सदस्य होंगे तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन उस राज्य के राज्यपाल की मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों बारे में उपबन्ध.

३८५. जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक वह निकाय या प्राधिकारी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के विधान-मंडल के रूप में कृत्यकारी था, उस प्रकार उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को इस संविधान के उपबन्धों द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के राज्यों की मंत्रि-परिषद्.

३८६. ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य का राजप्रमुख उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख की मंत्रि-परिषद् के सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख की मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३८७-३८८

कुछ निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये जन-संख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबन्ध.

३८७. इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की कालावधि में इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन किये गये निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये भारत या उस के किसी भाग की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे तथा ऐसे आदेश द्वारा विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न उपबन्ध बनाये जा सकेंगे।

अन्तर्कालीन संसद् तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के बारे में उपबन्ध

३८८. (१) अनुच्छेद ३७९ के खंड (१) के अधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद् के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, जिस के अन्तर्गत उस अनुच्छेद के खंड (३) और (४) में निर्दिष्ट रिक्ततायें भी हैं तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से सम्बद्ध सब विषयों का (जिन के अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय करना भी है) विनियमन—

(क) राष्ट्रपति उस बारे में जो नियम बनायें, उन के अनुसार तथा

(ख) जब तक इस प्रकार नियम न बनें तब तक यथास्थिति भारत डोमीनियन की संविधान सभा में की आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के समय, अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वैसी रिक्तताओं की पूर्ति से तथा तत्संसक्त विषयों से सम्बद्ध प्रवृत्त नियमों में, वैसे प्रारम्भ से पहिले उस सभा का सभापति तथा तत्पश्चात् भारत का राष्ट्रपति जो अपवाद और रूपभेद करे उन के अधीन रह कर उन नियमों के अनुसार,

होगा :

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३८८

परन्तु जहां ऐसा कोई स्थान, जैसा कि इस खंड में वर्णित है रिक्त होने से ठीक पहिले ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित था जो अनुसूचित जातियों का अथवा मुस्लिम या सिक्ख समुदाय का है तथा यथास्थिति किसी प्रान्त का अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता रहा है वहां जब तक कि यथास्थिति संविधान-सभा का सभापति अथवा भारत का राष्ट्रपति अन्यथा उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय न समझे तब तक ऐसे स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसी समुदाय का होगा :

परन्तु यह और भी कि किसी प्रान्त या प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के स्थान में ऐसी किसी रिक्तता की पूर्ति करने के लिये निर्वाचन में यथास्थिति उस प्रान्त की या तत्स्थानी राज्य की या उस राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक सदस्य को भाग लेने और मत देने का हक्क होगा।

व्याख्या.--इस खंड के प्रयोजनों के लिये--

(क) जो सब जातियों, मूलवंश या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के जो भाग या में के जो यूथ भारत-शासन (अनुसूचित जाति) आदेश १९३६ में किसी प्रान्त के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के नाम से उल्लिखित हैं वे तब तक उस प्रान्त अथवा तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी जब तक कि उस तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३४१ के खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों को उल्लिखित करने वाली अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा न निकाल दी गई हो ;

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३८८-३९०

(ख) किसी प्रान्त या राज्य में की सब अनुसूचित जातियां एक ही समुदाय समझी जायेंगी।

(२) अनुच्छेद ३८२ या अनुच्छेद ३८५ के अधीन कृत्यकारी राज्य के विधान-मंडल के सदन में के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से संसक्त सब विषयों का (जिन के अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय भी है) विनियमन, ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति को शासित तथा ऐसे विषयों का विनियमन करने वाले ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवृत्त थे, ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे, होगा।

डोमीनियन विधान-मंडल तथा प्रांतों और देशी राज्यों के विधान-मंडलों में लम्बित विधेयकों के बारे में उपबन्ध.

३८९. कोई विधेयक, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के विधान-मंडल में अथवा किसी प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में लम्बित था, किसी ऐसे प्रतिकूल उपबन्ध के अधीन रह कर जो यथास्थिति संसद् अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस संविधान के अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाये, यथास्थित संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में इस प्रकार चालू रखा जा सकेगा, मानो कि भारत डोमीनियन के विधान-मंडल में अथवा उस प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में उस विधेयक के बारे में की गई कार्यवाहियां संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में की गई थीं।

इस संविधान के प्रारम्भ और १९५० की ३१ मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापित या व्यय किया हुआ धन.

३९०. भारत की संचित निधि से, अथवा किसी राज्य की संचित निधि से, तथा इन निधियों में से किसी से धनों के विनियोग से, सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्ध उन धनों के सम्बन्ध में लागू न होंगे जो धन कि इस संविधान के प्रारम्भ के दिन तथा १९५० की मार्च के ३१वें दिन के बीच, इन दोनों दिनों को सम्मिलित कर के, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त या उत्थापित या व्यय किये गये

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३९०-३९२

हों तथा यदि उस कालावधि में किया गया कोई व्यय, प्राधिकृत व्यय की किसी ऐसी अनुसूची में उल्लिखित है जो भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल या तत्स्थानी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अनुसार प्रमाणीकृत है अथवा राज्य के राजप्रमुख द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के राजस्वों में से व्यय ो प्राधिकृत करने के लिये लागू थे, प्राधिकृत कर दिया गया है तो वह व्यय सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया समझा जायेगा।

कुछ आकस्मिकताओं में प्रथम और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति.

३९१. (१) यदि इस संविधान के पारित होने तथा इस के प्रारम्भ के बीच में किसी समय भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अधीन कोई क्रिया की जाती है जिस के लिये राष्ट्रपति की राय में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में कोई संशोधन अपेक्षित है तो राष्ट्रपति, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उक्त अनुसूचियों में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे कि इस प्रकार की गई क्रिया को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे अनुपुरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जैसे कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे।

(२) जब प्रथम अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये तब इस संविधान में उस अनुसूची के प्रति निदेश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह इस प्रकार संशोधित वैसी अनुसूची के प्रति निदेश है।

कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति.

३९२. (१) राष्ट्रपति किन्हीं कठिनाइयों को विशेषतः भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों से इस संविधान के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश

में उल्लिखित कालावधि में, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूप-भेद या जोड़ या लोप के रूप में हों, रह कर जैसे कि वह आवश्यक या इष्टकर समझे प्रभावी होगा :

परन्तु भाग ५ के अध्याय ३ के अधीन सम्यक् रूप से गठित संसद् के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् ऐसा कोई आदेश न निकाला जायेगा ।

(२) खंड (१) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश संसद् के समक्ष रखा जायेगा ।

(३) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद ३२४, अनुच्छेद ३६७ के खंड (३) और अनुच्छेद ३९१ द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी ।

भाग २२

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन

३९३. यह संविधान भारत का संविधान के नाम से ज्ञात हो सकेगा । संक्षिप्त नाम.

३९४. यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५,६,७,८,९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, और ३९३ तुरन्त प्रवृत्त होंगे, तथा इस संविधान के अवशिष्ट उपबन्ध १९५० की २६ जनवरी के दिन प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । प्रारम्भ.

३९५. भारत स्वाधीनता-अधिनियम १९४७ और भारत-शासन-अधिनियम १९३५ पश्चादुक्त अधिनियम के प्रिवी कौन्सिल क्षेत्राधिकार अधिनियम १९४९ को छोड़ कर संशोधन या अनुपूरण करने वाली सब अधिनियमितियों के साथ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । निरसन.

प्रथम अनुसूची

(अनुच्छेद १, ४ और ३९१)

भारत के राज्य और राज्य-क्षेत्र

भाग (क)

राज्यों के नाम	तत्स्थानी प्रान्तों के नाम
१. आसाम	आसाम
२. उड़ीसा	उड़ीसा
३. पंजाब	पूर्वी पंजाब
४. पश्चिमी बंगाल	पश्चिमी बंगाल
५. बिहार	बिहार
६. मद्रास	मद्रास
७. मध्यप्रदेश	मध्य प्रान्त और बरार
८. मुम्बई	बम्बई
९ युक्त प्रदेश	युक्त प्रान्त

राज्यों के राज्य-क्षेत्र

आसाम राज्य के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले आसाम प्रान्त, खासी राज्य और आसाम आदिमजाति-क्षेत्र के राज्य-क्षेत्रों में समाविष्ट थे।

पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पश्चिमी बंगाल प्रान्त के राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट था।

इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के राज्य-क्षेत्र में तथा ऐसे राज्य-क्षेत्रों में समाविष्ट थे जो कि भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों।

प्रथम अनुसूची

भाग (ख)

राज्यों के नाम

१. जम्मू और काश्मीर

२. तिरुवांकुर-कोचीन

३. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ

४. मध्य भारत

५. मैसूर

६. राजस्थान

७. विन्ध्य प्रदेश

८. सौराष्ट्र

९. हैदराबाद

राज्यों के राज्य-क्षेत्र

इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य में समाविष्ट था तथा—

(क) राजस्थान और सौराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य की सरकार द्वारा प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम १९४७ के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रशासित थे; तथा

(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट होगा जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले पन्थ पिपलोदा के मुख्य आयुक्त प्रान्त में समाविष्ट था।

प्रथम अनुसूची

भाग (ग)

राज्यों के नाम

१. अजमेर
२. कच्छ
३. कोच बिहार
४. कोड़गु
५. त्रिपुरा
६. दिल्ली
७. विलासपुर
८. भोपाल
९. मनीपुर
१०. हिमाचल प्रदेश

राज्यों के राज्य-क्षेत्र

अजमेर, कोड़गु और दिल्ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः अजमेर-मेरवाड़ा, कोड़गु और दिल्ली के मुख्य आयुक्तों के प्रान्त में समाविष्ट था।

इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जो भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उसी नाम के मुख्यायुक्त प्रान्त रहे हों।

भाग (घ)

अन्दमान और निकोबर-द्वीप।

द्वितीय अनुसूची

[अनुच्छेद ५९ (३), ६५ (३), ७५ (६), ९७, १२५, १४८ (३), १५८ (३), १६४ (५), १८६ और २२१]

भाग (क)

राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों के लिये उपबन्ध.

१. राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धियां प्रतिमास दी जायगी अर्थात्—

राष्ट्रपति को ... ... १०,००० रुपया

राज्य के राज्यपाल को ... ... ५,५०० रुपया

२. राष्ट्रपति तथा इस प्रकार उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्ते भी दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल को तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवर्नरों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे।

३. राष्ट्रपति तथा ऐसे राज्यों के राज्यपालों को अपनी अपनी सम्पूर्ण पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः गवर्नर जनरल तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवर्नरों को था।

४. जब कि उपराष्ट्रपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अथवा उस के रूप में कार्य कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उसको वैसी ही उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसा कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल को है जिस के कृत्यों का वह निर्वहन करता है अथवा यथास्थिति जिस के रूप में वह कार्य करता है।

द्वितीय अनुसूची

भाग (ख)

संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में के राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध में उपबन्ध.

५. संघ के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे।

६. प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त या तत्स्थानी देशी राज्य के ऐसे मंत्रियों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे।

भाग (ग)

लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसी राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति के सम्बन्ध में उपबन्ध.

७. लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-परिषद् के सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के अध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे तथा लोक-सभा के उपाध्यक्ष को और राज्य-परिषद् के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के उपाध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे।

८. प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ऐसे राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः तत्स्थानी प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे, तथा जहां तत्स्थानी प्रान्त की ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कोई विधान-परिषद् न थी वहां उस राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि उस राज्य का राज्यपाल निर्धारित करे।

द्वितीय अनुसूची

भाग (घ)

उच्चतमन्यायालय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध.

९. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे मे निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा अर्थात्——

मुख्य न्यायाधिपति	...	...	...	५,००० रुपया
कोई अन्य न्यायाधीश	...	...	...	४,००० रुपया

परन्तु यदि उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उस की पूर्ववर्ती सरकारों म से किसी की अथवा राज्य की सरकार की अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहिले की गई सेवा के बारे में (निर्योग्यता या क्षत-पेन्शन से अतिरिक्त) कोई निवृत्ति-वेतन मिलता हो तो उच्चतमन्यायालय में सेवा के बारे में उस के वेतन में से निवृत्ति वेतन की राशि घटा दी जायेगी।

(२) उच्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को, बिना किराया दिये, पदावास के उपयोग का हक्क होगा।

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) में की कोई बात उस न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले——

(क) फेडरलन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण किये था, तथा जो ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७४ के खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बन गया है; अथवा

(ख) फेडरलन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के अधीन उच्चतमन्यायालय का (मुख्य न्यायाधिपति से अन्य) कोई न्यायाधीश बन गया है,

उस कालावधि में, जिस में कि वह ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, लागू न होगी, तथा प्रत्येक न्यायाधीश को, जो इस प्रकार उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति

द्वतीय अनुसूची

या अन्य न्यायाधीश हो जाता है, यथास्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तविक सेवा में विताये समय के बारे में इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन से अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(४) उच्चतमन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे युक्तियुक्त भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे।

(५) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति-छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी सम्बन्धी भत्ते भी हैं) तथा निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे।

१०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य में के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा, अर्थात्—

मुख्य न्यायाधिपति	...	...	...	४,००० रुपये
कोई अन्य न्यायाधीश	...	...	...	३,५०० रुपये

(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले—

(क) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७६ के खंड (१) के अधीन तत्स्थानी राज्य के उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बन गया है, अथवा

(ख) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के अधीन तत्स्थानी राज्य में के उच्चन्यायालय का (मुख्य न्यायाधिपति से अन्य) कोई न्यायाधीश बन गया है,

द्वितीय अनुसूची

उसको यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित दर से अधिक वेतन पाता था तो, यथास्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में उक्त उपकंडिका में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(३) उच्चन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे युक्तियुक्त भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे।

(४) किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति-छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी-भत्ते भी हैं) और निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे।

११. इस भाग में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो——

(क) "मुख्य न्यायाधिपति" पदावलि के अन्तर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति है तथा "न्यायाधीश" पद के अन्तर्गत तदर्थ न्यायाधीश है।

(ख) "वास्तविक सेवा" के अन्तर्गत है :——

(१) न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य करते हुए अथवा ऐसे अन्य कृत्यों के पालन में, जिन का कि राष्ट्रपति की आकांक्षा पर उस ने निर्वहन करने का भार लिया हो, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत समय;

(२) उस समय को न गिन कर जिस में कि वह न्यायाधीश छुट्टी ले कर अनुपस्थित है, विश्रामावकाश ; तथा

(३) उच्चन्यायालय से उच्चतमन्यायालय को अथवा एक उच्च-न्यायालय से दूसरे को बदले जाने पर योगकाल।

द्वितीय अनुसूची

भाग (ङ)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में उपबन्ध.

१२. (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चार सहस्र रुपये प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायेगा।

(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७७ के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है उस को इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(३) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से यथास्थिति शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखा परीक्षक को लागू थे तथा उन उपबन्धों में गवर्नर जनरल के प्रति सब निर्देशों का ऐसा अर्थ किया जायेगा मानो कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं।

तृतीय अनुसूची

[अनुच्छेद ७५(४), ९९, १२४ (६), १४८(२), १६४(३), १८८ और २१९]

शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र

१

संघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र:—

"मैं,...अमुक,... ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के विना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

२

संघ के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र:—

"मैं,...अमुक,... ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ-मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़ कर जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

३

संसद् के सदस्य द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र:—

"मैं,...अमुक,...जो राज्य-परिषद् (अथवा लोक-सभा) का सदस्य निर्वाचित (या नाम-निर्देशित) हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा,

तृतीय अनुसूची

तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उस के कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा ।'

४

उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रक-महालेखापरीक्षक ारा जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

"मैं,...अमुक,...जो भारत के उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या न्यायाधीश) (या भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) नियुक्त हुआ हूं $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता हूं}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं}}$ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना पालन करूंगा, तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखूंगा ।"

५

राज्य के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :—

"मैं,...अमुक,... $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता हूं}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं}}$ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा म .... राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा ।"

६

राज्य के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र :—

"मैं,...अमुक,... $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता हूं}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं}}$ कि जो विषय... राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़ कर जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना

तृतीय अनुसूची

अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।"

७

राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

"मैं, . . . अमुक, . . . जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्) के लिये सदस्य निर्वाचित (या नाम-निर्देशित) हुआ हूं, $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता हूं}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं}}$ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उस के कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा ।"

८

उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

"मैं, . . अमुक, . . . जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या न्यायाधीश) नियुक्त हुआ $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता हूं}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं}}$ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना पालन करूंगा, तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखूंगा ।"

चतुर्थ अनुसूची

[अनुच्छेद ४ (१), ८० (२) और ३९१]

राज्य-परिषद् में के स्थानों का बंटवारा

इस अनुसूची से संलग्न स्थान-सारिणी के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित प्रत्येक राज्य या राज्य-समूह को यथास्थिति उतने स्थान बांट में दिये जायेंगे जितने कि उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस राज्य या राज्य-समूह के सामने उल्लिखित हैं।

स्थान-सारिणी

राज्य-परिषद्

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि

१	२
राज्य	कुल स्थान
१. आसाम	६
२. उड़ीसा	९
३. पंजाब	८
४. पश्चिमी बंगाल	१४
५. बिहार	२१
६. मद्रास	२७
७. मध्य प्रदेश	१२
८. मुम्बई	१७
९. युक्त प्रदेश	३१
	कुल ... १४५

चतुर्थ अनुसूची

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि

१	२
राज्य	कुल स्थान
१. जम्मू और काश्मीर	४
२. तिरुवांकुर-कोचीन	६
३. पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य	३
४. मध्य भारत	६
५. मैसूर	६
६. राजस्थान	९
७. विन्ध्य प्रदेश	४
८. सौराष्ट्र	४
९. हैदराबाद	११
	कुल . . . ५३

प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि

१	२
राज्य और राज्यसमूह	कुल स्थान
१. अजमेर २. कोड़गु	१
३. कच्छ	१
४. कोच-बिहार	१
५. दिल्ली	१
६. बिलासपुर ७. हिमाचल प्रदेश	१
८. भोपाल	१
९. मनीपुर १०. त्रिपुरा	१
	कुल . . . ७

कुल स्थानों का जोड़ . . . २०५

पंचम अनुसूची

[अनुच्छेद २४४ (१)]

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में उपबन्ध

भाग (क)

साधारण

१. निर्वचन.—इस अनुसूची में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो "राज्य" पद से अभिप्रेत है प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य किन्तु इसके अन्तर्गत आसाम राज्य नहीं है।

२. अनुसूचित क्षत्रों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति.—इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस में के अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा।

३. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रतिवेदन.—प्रत्येक राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख जिस में अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष, अथवा जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करे, उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करेगा तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में निदेश देने तक विस्तृत होगी।

भाग (ख)

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

४. आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद्.—(१) प्रत्येक राज्य में, जिस में अनुसूचित क्षत्र है, तथा, यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिस में अनुसूचित आदिमजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् स्थापित की जायेगी जिसके बीस से अधिक सदस्य न होंगे जिन में कि यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान-सभा में के अनसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधि होंगे :

पंचम अनुसूची

परन्तु यदि उस राज्य की विधान-सभा में के अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन आदिमजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे ।

(२) आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य में की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बद्ध ऐसे विषयों पर मंत्रणा दे जो उस को यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा सौंपे जायें ।

(३) राज्यपाल या राजप्रमुख—

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या उन की नियुक्ति की तथा परिषद् के सभापति तथा उस के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति के;

(ख) उस के अधिवेशनों के संचालन तथा उस की साधारण प्रक्रिया के, तथा

(ग) अन्य सब प्रासंगिक विषयों के,

यथास्थिति विहित करने या विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगा ।

५. अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि.—(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में लागू न होगा अथवा राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ लागू होगा जैसा कि वह अधिसूचना में उल्लिखित करे और इस उपकंडिका के अधीन दिया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उस का भूतलक्षी प्रभाव हो ।

(२) यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख राज्य में के किसी ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा जो कि तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है ।

पंचम अनुसूची

विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले ऐसे विनियम—

(क) ऐसे क्षेत्र में की अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों द्वारा या में भूमि के हस्तान्तरण का प्रतिषेध या निर्बन्धन कर सकेंगे ;

(ख) ऐसे क्षेत्र में की आदिमजातियों के सदस्यों को भूमि बांटने का विनियमन कर सकेंगे ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(३) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जैसा कि इस कंडिका की उपकंडिका (२) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल या राजप्रमुख संसद् के या उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम को अथवा किसी वर्तमान विधि को जो प्रश्नास्पद क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसित या संशोधित कर सकेगा।

(४) इस कंडिका के अधीन बनाये गये सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति को पेश किये जायेंगे और जब तक वह उन को अनुमति न दे दे तब तक उनका कोई प्रभाव न होगा।

(५) इस कंडिका के अधीन कोई विनियम तब तक न बनाया जायेगा जब तक कि विनियम बनाने वाले राज्यपाल या राजप्रमुख ने उस राज्य के लिये आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् होने की अवस्था में ऐसी परिषद् से परामर्श न कर लिया हो।

भाग (ग)

अनुसूचित क्षेत्र

६. अनुसूचित क्षेत्र.—(१) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्रों" पदावलि से अभिप्रेत हैं ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करे।

पंचम अनुसूची

(२) राष्ट्रपति किसी समय भी आदेश द्वारा—

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उस का कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग न रहेगा ;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को बदल सकेगा, किन्तु केवल सीमाओं का शोधन कर के ही बदल सकेगा ;

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर अथवा संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर अथवा नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या उस का भाग घोषित कर सकेगा जो पहिले से किसी राज्य में समाविष्ट नहीं है ;

तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध हो सकेंगे जैसे कि राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु उपर्युक्त रीति से अन्यथा इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन निकाला गया आदेश किसी अनुगामी आदेश से परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

भाग (घ)

अनुसूची का संशोधन

७. अनुसूची का संशोधन.—(१) संसद्, समय समय पर विधि द्वारा जोड़, फेरफार या निरसन कर के, इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन कर सकेगी तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित हो जाये तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह निर्देश इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति है।

(२) ऐसी कोई विधि जैसी कि इस कंडिका की उपकंडिका (१) में वर्णित है इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

षष्ठ अनुसूची

[अनुच्छेद २४४ (२) और २७५ (१)]

आसाम में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध

१. स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी क्षेत्र.—(१) इस कंडिका के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अनुसूची की कंडिका (२०) से संलग्न सारिणी के भाग (क) के प्रत्येक पद में के आदिमजाति-क्षेत्रों का एक स्वायत्तशासी जिला होगा।

(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित आदिमजातियां हैं तो राज्यपाल, लोक-अधिसूचना द्वारा, इन से बसे हुए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्तशासी प्रदेशों में बांट सकेगा।

(३) राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा—

(क) उक्त सारिणी के भाग (क) में किसी क्षेत्र को डाल सकेगा;

(ख) उक्त सारिणी के भाग (क) में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगा;

(ग) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा;

(घ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा;

(ङ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा;

(च) दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों या उन के भागों को मिला कर एक स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा;

(छ) किसी स्वायत्तशासी जिले की सीमाएं परिभाषित कर सकेगा :

परन्तु राज्यपाल इस उपकंडिका के खंड (ग), (घ), (ङ) और (च) के अधीन कोई आदेश इस अनुसूची की कंडिका १४ की उपकंडिका (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही निकालेगा।

षष्ठ अनुसूची

२. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन.—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये चौबीस से अनधिक सदस्यों की एक जिला-परिषद् होगी जिन में से तीन चौथाई से अन्यून सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे ।

(२) इस अनुसूची की कंडिका (१) की उपकंडिका (२) के अधीन स्वायत्तशासी प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक पृथक् प्रादेशिक परिषद् होगी ।

(३) प्रत्येक जिला-परिषद् और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमशः "(जिला का नाम) की जिला-परिषद्" और "(प्रदेश का नाम) की प्रादेशिक परिषद्" के नाम से निगम-निकाय होगी, उस का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उस की एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उक्त नाम से वह व्यवहार-वाद चलायेगी अथवा उस पर व्यवहार-वाद चलाया जायेगा ।

(४) इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन ऐसे जिले की जिला-परिषद् में वहां तक निहित होगा जहां तक कि वह ऐसे जिले में की किसी प्रादेशिक परिषद् में इस अनुसूची के अधीन निहित नहीं है, तथा स्वायत्तशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् में निहित होगा ।

(५) प्रादेशिक परिषद् वाले स्वायत्तशासी जिले में प्रादेशिक परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के बारे में जिला-परिषद् की इस अनुसूची द्वारा ऐसे क्षेत्रों के बारे में दी गई शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी शक्तियां और होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद् प्रत्यायोजित करे ।

(६) राज्यपाल, सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों या प्रदेशों के अन्तर्गत वर्तमान आदिमजाति-परिषदों अथवा प्रतिनिधान रखने वाले अन्य आदिमजाति संघटनों से परामर्श कर के, जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिये नियम बनायेगा तथा ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिये उपबन्ध होंगे—

(क) जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की रचना तथा उन में स्थानों का बंटवारा;

षष्ठ अनुसूची

(ख) उन परिषदों के लिये निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन;

(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान के लिये अर्हताएं तथा उन के लिये निर्वाचक नामावलियों का तैयार कराना;

(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य चुने जाने के लिये अर्हताएं;

(ङ) ऐसी परिषदों के सदस्यों की पदावधि;

(च) ऐसी परिषदों के लिये निर्वाचन या नाम-निर्देशन से सम्बद्ध या संसक्त कोई अन्य विषय;

(छ) जिला और प्रादेशिक परिषदों में प्रक्रिया और कार्य-संचालन;

(ज) जिला और प्रादेशिक परिषदों के पदाधिकारियों और कर्मचारी-वृन्द की नियुक्ति।

(७) अपने प्रथम गठन के पश्चात् जिला या प्रादेशिक परिषद् इस कंडिका की उपकंडिका (६) में उल्लिखित विषयों के बारे में नियम बना सकेगी, तथा—

(क) निचली स्थानीय परिषदों या मंडलियों की रचना तथा उन की प्रक्रिया और उन के कार्य-संचालन का; तथा

(ख) यथास्थिति जिले या प्रदेश के प्रशासन विषयक कार्य-सम्पादन से सम्बद्ध समस्त साधारण विषयों का,

विनियमन करने वाले नियम भी बना सकेगी:

परन्तु जब तक जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस उप-कंडिका के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद् के लिये निर्वाचनों के, उस के पदाधिकारियों और कर्मचारी-वृन्द के तथा प्रक्रिया और कार्य-संचालन के बारे में इस कंडिका की उपकंडिका (६) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे।

षष्ठ अनुसूची

परन्तु यह और भी कि इस अनुसूची की कंडिका (२०) से संलग्न सारिणी के भाग (क) में के; क्रमशः पद ५ और ६ में के अन्तर्गत क्षेत्रों के बारे में उत्तर कछार और मिकिर पहाड़ियों का यथास्थिति मंडलायुक्त या उपविभागीय पदाधिकारी पदेन जिला-परिषद् का सभापति होगा, तथा जिला-परिषद् के प्रथम गठन के पश्चात् छ वर्ष की कालावधि तक राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसे, जिला-परिषद् के किसी संकल्प या निर्णय को रद्द या रूपभेद करने की अथवा जिला-परिषद् को, जैसी वह उचित समझे, वैसी हिदायतें देने की शक्ति होगी तथा जिला-परिषद् ऐसी दी हुई प्रत्येक हिदायत का अनुवर्त्तन करेगी।

३. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि बनाने की शक्ति.—(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के भीतर के सब क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर उस जिले के भीतर के अन्य सब क्षेत्रों के बारे में, निम्नलिखित विषयों के लिये विधियां बनाने की शक्ति होगी—

(क) किसी रक्षित वन की भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि को, कृषि या चराई के प्रयोजन के लिये अथवा निवास या कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये जिस से किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की उन्नति सम्भावनीय हो, बंटन, दखल या उपयोग अथवा अलग रखना :

परन्तु ऐसी विधियों की किसी बात से अनिवार्य अर्जन प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार आसाम राज्य को, किसी भूमि के, चाहे वह दखल में हो या न हो, लोक-प्रयोजनार्थ अनिवार्य अर्जन पर रुकावट न होगी;

(ख) रक्षित वन न होने वाले किसी वन का प्रबन्ध;

(ग) कृषि प्रयोजनार्थ किसी नहर या जलधारा का उपयोग;

(घ) झूम की प्रथा का अथवा अन्य प्रकारों की स्थानान्तरणशील कृषि की प्रथा का विनियमन;

षष्ठ अनुसूची

(ङ) ग्राम अथवा नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियां;

(च) ग्राम या नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिन के अन्तर्गत ग्राम या नगर आरक्षी और लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता भी है;

(छ) प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार;

(ज) सम्पत्ति का दायभाग;

(झ) विवाह;

(ञ) सामाजिक रूढ़ियां।

(२) इस कंडिका में "रक्षित वन" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो आसाम-वन-विनियम १८९१ के अधीन, अथवा प्रश्नास्पद क्षेत्र में किसी दूसरी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, रक्षित वन है।

(३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विधियां तुरन्त राज्यपाल के समक्ष रखी जायेंगी और जब तक वह उन को अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगी।

४. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों में न्याय-प्रशासन.—(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों से उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के बारे में, ऐसे व्यवहार-वादों और मामलों के परीक्षण के लिये जिन के सभी पक्ष ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित आदिमजातियों के ही हैं तथा जो उन व्यवहार-वादों से भिन्न हैं जिन्हें इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध लागू होते हैं, उस राज्य के प्रत्येक न्यायालय का अपवर्जन कर के ग्राम-परिषदें या न्यायालय गठित कर सकेंगी तथा उचित व्यक्तियों को ऐसी ग्राम-परिषदों के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर सकेंगी, तथा ऐसे पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकेंगी, जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के अधीन बनाई हुई विधियों के प्रशासन के लिये आवश्यक हों।

षष्ठ अनुसूची

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् अथवा उस प्रादेशिक परिषद् द्वारा उस लिये गठित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद् न हो तो ऐसे जिले की जिला-परिषद् अथवा उस जिला-परिषद् द्वारा उस लिये गठित कोई न्यायालय, इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध जिन व्यवहार-वादों और मामलों को लागू होते हों उन को छोड़ कर, इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन यथास्थिति ऐसे प्रदेश अथवा क्षेत्र के अन्तर्गत गठित ग्राम-परिषद् अथवा न्यायालय द्वारा परीक्षणीय समस्त व्यवहार-वादों और मामलों में अपीलीय न्यायालय की शक्तियां प्रयोग में लायेगा तथा उच्चन्यायालय और उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे व्यवहार-वादों अथवा मामलों में क्षेत्राधिकार न होगा।

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के उपबन्ध जिन व्यवहार-वादों और मामलों पर लागू होते हैं उन पर आसाम का उच्चन्यायालय ऐसा क्षेत्राधिकार रखेगा और प्रयोग करेगा जैसा कि समय समय पर राज्यपाल आदेश द्वारा उल्लिखित करे।

(४) यथास्थिति प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् राज्यपाल के पूर्व अनमोदन से—

(क) ग्राम-परिषदों और न्यायालयों के गठन तथा इस कंडिका के अधीन प्रयोक्तव्य उन की शक्तियों के;

(ख) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन व्यवहार-वादों और मामलों के परीक्षण में परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के;

(ग) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला-परिषद् अथवा ऐसी परिषद् द्वारा संगठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के;

(घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों के परिपालन के;

षष्ठ अनुसूची

(ङ) इस कंडिका की उपकंडिका (१) और (२) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये अन्य सब सहायक विषयों के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगी।

५. कुछ वादों, मामलों और अपराधों के परीक्षण के लिये प्रादेशिक और जिला-परिषदों को तथा किन्हीं न्यायालयों और पदाधिकारियों को व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता १८९८ के अधीन शक्तियों का प्रदान.—(१) राज्यपाल किसी स्वायत्तशासी जिले या प्रदेश में किसी ऐसी प्रवृत्त विधि से, जिस का उल्लेख राज्यपाल ने उस लिये किया है, पैदा हुए व्यवहार-वादों या मामलों के परीक्षण के लिये, अथवा भारतीय दण्ड-संहिता के अधीन अथवा ऐसे जिले या प्रदेश में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन कालापानी या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिये कारावास से दंडनीय अपराधों के परीक्षण के लिये ऐसे जिले अथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को अथवा ऐसी जिला-परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा इस लिये नियुक्त किसी पदाधिकारी को यथास्थिति व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ के या दंड-प्रक्रिया-संहिता १८९८ के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जैसी कि वह समुचित समझे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्, न्यायालय या पदाधिकारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में व्यवहार-वादों, मामलों या अपराधों का परीक्षण करेगा।

(२) राज्यपाल किसी जिला-परिषद्, प्रादेशिक परिषद्, न्यायालय या पदाधिकारी को इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों में से किसी को वापस ले सकेगा या रूपभेद कर सकेगा।

(३) इस कंडिका में स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित दशा के अतिरिक्त व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ और दंड-प्रक्रिया-संहिता १८९८ किसी स्वायत्तशासी जिले में या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में, जिस को इस कंडिका के उपबन्ध लागू होते हैं, किन्हीं व्यवहार-वादों, मामलों या अपराधों के परीक्षण में लागू न होगी

षष्ठ अनुसूची

६. प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला-परिषद् की शक्ति.—स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, कांजीहौस, नौघाट, मीन-क्षेत्र, सड़कों और जल-पथों की स्थापना, निर्माण और प्रबन्ध कर सकेगी तथा विशेषतया जिले में के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में और जिस रीति से दी जाये, इसका निर्धारण कर सकेगी।

७. जिला और प्रादेशिक निधियां.—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-निधि तथा प्रत्यक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक निधि गठित की जायेगी जिस में क्रमशः उस जिले की जिला-परिषद् द्वारा तथा उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् द्वारा यथास्थिति उस जिले या प्रदेश के इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन करने में प्राप्त सब धनों को जमा किया जायेगा।

(२) यथास्थिति जिला-निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबन्ध के लिये जिला-परिषद् और प्रादेशिक परिषद् राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बना सकेंगी तथा इस प्रकार बने हुए नियम, उक्त निधि में धन के डालने के, उस में से धन को निकालने के, उस में धन की अभिरक्षा के, तथा उपरोक्त विषयों से संसक्त या इन के सहायक किसी अन्य विषय के, सम्बन्ध में अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगे।

८. भू-राजस्व निर्धारित करन तथा संग्रह करने और कर-आरोपण की शक्ति.—(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत सब भूमियों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हो तो उसके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ कर जिलान्तर्गत अन्य सब भूमियों के बारे में, स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को ऐसी भूमियों के बारे में, उन सिद्धान्तों के अनुसार भू-राजस्व निर्धारण करने और संग्रह करने की शक्ति होगी जो सामान्यतया आसाम राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजनार्थ भूमियों के परिगणन में आसाम सरकार द्वारा तत्समय अनुसरण किये जाते हैं।

षष्ठ अनुसूची

(२) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को, ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हो तो उन के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर जिलों में के अन्य सब क्षेत्रों के बारे में स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को, भूमि और इमारतों पर करों को, तथा ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों पर पथ-कर को, उद्ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति होगी ।

(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को ऐसे जिले के भीतर निम्न करों में से सब को या किसी को उद्ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति होगी, अर्थात्––

(क) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर;

(ख) पशुओं, यानों और नावों पर कर;

(ग) किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा नावों से जाने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं पर पथ-कर;

(घ) पाठशालाओं, औषधालाओं या सड़कों के बनाये रखने के लिये कर ।

(४) इस कंडिका की उपकंडिका (२) और (३) में उल्लिखित करों में से किसी के उद्ग्रहण और संग्रह को उपबन्धित करने के लिये यथास्थिति प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् विनियम बना सकेगी ।

९. <u>खनिजों के खोजने या निकालने के लिये अनुज्ञप्तियां या पट्टे</u>.––(१) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में आसाम सरकार द्वारा खनिजों के खोजने या निकालने के लिये दी गई अनुज्ञप्तियों या पट्टों से प्रति वर्ष प्रोद्भूत होने वाले स्वामिस्व का ऐसा अंश उस जिला-परिषद् को दे दिया जायेगा जैसा कि आसाम सरकार और ऐसे जिले की जिला-परिषद् के बीच करार पाये ।

(२) जिला-परिषद् को दिये जाने वाले ऐसे स्वामिस्व के अंश के बारे में यदि कोई विवाद पैदा हो तो वह राज्यपाल को निर्धारण

षष्ठ अनुसूची

के लिये सौंपा जायेगा तथा स्वविवेक से राज्यपाल द्वारा निर्धारित राशि इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन जिला-परिषद् को देय राशि समझी जायेगी तथा राज्यपाल का विनिश्चय अन्तिम होगा।

१०. आदिमजातियों से भिन्न लोगों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिये जिला-परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति--(१) स्वायत्त-शासी जिले की जिला-परिषद् उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उस में निवास करने वाली आदिमजातियों से भिन्न हैं, साहूकारी और व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिये विनियम बना सकेगी।

(२) विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले ऐसे विनियम--

(क) विहित कर सकेंगे कि उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति रखने वाले के अतिरिक्त और कोई साहूकारी का कारबार न करेगा;

(ख) साहूकार द्वारा लगाई जाने या वसूल की जाने वाली ब्याज की अधिकतम दर विहित कर सकेंगे;

(ग) साहूकारों द्वारा लेखा रखने का तथा जिला-परिषदों द्वारा उस लिये नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखे के निरीक्षण का उपबन्ध कर सकेंगे;

(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवास करने वाली अनुसूचित आदिमजातियों में का नहीं है, जिला-परिषद् द्वारा उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति के बिना किसी वस्तु में थोक या फुटकर कारबार न करेगा:

परन्तु इस कंडिका के अधीन ऐसे विनियम तब तक न बन सकेंगे जब तक कि वे जिला-परिषद् की समस्त सदस्य संख्या के तीन चौथाई से अन्यून बहुमत से पारित न किये जायें:

परन्तु यह और भी कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन यह क्षमता न होगी कि जो साहूकार या व्यापारी ऐसे विनियमों के बनने के समय

स पूर्व जिले के अन्दर व्यापार करता रहा है, उस को अनुज्ञप्ति देना अस्वीकृत कर दिया जाये ।

(३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राज्यपाल के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उन को अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे ।

११. इस अनुसूची के अधीन बनी हुई विधियों, नियमों और विनियमों का प्रकाशन.—जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस अनुसूची के अधीन बनाई हुई सब विधियां, नियम और विनियम राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में तुरन्त प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन पर वे विधिमम प्रभावी होंगे ।

१२. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों पर संसद् और राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना.—(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों के बारे में है जिन को इस अनुसूची की कंडिका ३ में ऐसा विषय होना उल्लिखित किया गया है जिन के बारे में जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधि बना सकेगी तथा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो किसी अनासुत सौषविक पान के उपभोग का प्रतिषेध या निर्बन्धन करता है, किसी स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तशासी प्रदेश को तब तक लागू न होगा जब तक कि दोनों में से प्रत्येक स्थिति में ऐसे जिले की, अथवा ऐसे प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखने वाली, जिला-परिषद् न लोक-अधिसूचना द्वारा उस प्रकार निदेश न दे तथा जिला-परिषद् किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देने में यह निदेश भी दे सकेगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उस के किसी भाग पर लागू होने में अधिनियम ऐसे अपवादों या रूपभेदों के साथ प्रभावी होगा जैसे कि वह उचित समझे,

(ख) राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का अथवा राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम जिसे इस उपकंडिका के खंड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होते, किसी

षष्ठ अनुसूची

स्वायत्तशासी जिले या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को लागू न होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश अथवा उस के किसी भाग को ऐसे अपवादों या रूपभेदों के साथ लागू होगा जैसे कि वह उस अधिसूचना में उल्लिखित करे ।

(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन दिया हुआ कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि इसका भूतलक्षी प्रभाव भी हो ।

१३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक-वित्त-विवरण में पृथक् दिखाया जाना.——स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय जो आसाम राज्य की संचित निधि में जमा होनी, या से की जानी, हैं पहिले जिला-परिषद् के सामने चर्चा के लिये रखी जायेंगी तथा ऐसी चर्चा के पश्चात् इस संविधान के अनुच्छेद २०२ के अधीन राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक-वित्त-विवरण में पृथक् दिखाई जायेंगी ।

१४. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति.——(१) राज्यपाल राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन से सम्बद्ध उस के द्वारा उल्लिखित किसी विषय की, जिस के अन्तर्गत इस अनुसूची की कंडिका (१) की उपकंडिका (३) के खंड (ग),(घ),(ङ) और (च) में उल्लिखित विषय भी हैं, जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये किसी समय भी आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के साधारणतया प्रशासन की और विशेषतया——

(क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं और संचार के उपबन्धों की ;

(ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के बारे में किसी नये या विशेष विधान की आवश्यकता की; तथा

(ग) जिला और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों के प्रशासन की, समय समय पर जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये आयोग नियुक्त कर सकेगा

षष्ठ अनुसूची

तथा आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया को परिभाषित कर सकेगा ।

(२) प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को राज्यपाल की तद्विषयक सिपारिशों के साथ, सम्बन्धित मंत्री उस पर आसाम सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, राज्य के विधान-मंडल के सामने रखेगा ।

(३) शासन के कार्य को अपने मंत्रियों में बांटते समय आसाम का राज्यपाल अपने मंत्रियों में से विशेषतया एक को राज्य के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के कल्याण का भार-साधक बना सकेगा ।

१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों का रद्द या निलम्बन करना.—(१) यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् के किसी काम या संकल्प से भारत के क्षेम का संकट में पड़ना सम्भाव्य है तो वह ऐसे काम या संकल्प को रद्द या निलम्बित कर सकेगा तथा ऐसी कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत परिषद् का निलम्बन और परिषद् में निहित या उस से प्रयोक्तव्य शक्तियों में से सब या किन्हीं को अपने हाथ में ले लेना भी है) कर सकेगा जैसी वह ऐसे काम को किये जाने से या चालू रखे जाने से अथवा ऐसे संकल्प को प्रभावी किये जाने से रोकने के लिये आवश्यक समझे ।

(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेश को, उस के कारणों सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष यथासम्भव शीघ्र रखा जायेगा तथा, यदि आदेश विधान-मंडल द्वारा प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो तो वह उस प्रकार दिये जाने की तारीख से १२ मास की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा :

परन्तु यदि, और जितनी बार, राज्य के विधान-मंडल द्वारा ऐसे आदेश के चालू रखने के लिये अनुमोदन का संकल्प पारित होता है तो आदेश, यदि राज्यपाल द्वारा प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो तो, उस तारीख से बारह मास की और कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जिस तारीख को कि इस कंडिका के अधीन वह अन्यथा प्रवर्तनशून्य होता ।

षष्ठ अनुसूची

१६. जिला या प्रादेशिक परिषद् का विघटन.—इस अनुसूची की कंडिका १४ के अधीन नियुक्त आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा किसी प्रादेशिक या जिला-परिषद् का विघटन कर सकेगा, तथा—

(क) परिषद् के पुनर्गठन के लिये तुरन्त ही नया साधारण निर्वाचन करने के लिये निदेश दे सकेगा, अथवा

(ख) राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्र के प्रशासन को राज्यपाल अपने हाथ में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र के प्रशासन को ऐसे आयोग के, जो उक्त कंडिका के अधीन नियुक्त हुआ है, अथवा अन्य किसी निकाय के, जिसे वह समुपयुक्त समझता है, हाथ में १२ से अनधिक मास की कालावधि के लिये दे सकेगा :

परन्तु जब इस कंडिका के खंड (क) के अधीन कोई आदेश दे दिया गया हो तब राज्यपाल प्रश्नास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में साधारण निर्वाचन होने पर परिषद् के पुनर्गठन के प्रश्न के लम्बित रहने तक इस कंडिका के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यथास्थिति जिला या प्रादेशिक परिषद् को, राज्य के विधान-मंडल के सामने अपने विचारों को रखने का अवसर दिये बिना इस कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी।

१७. स्वायत्तशासी जिलों में निर्वाचन-क्षेत्रों के बनाने के हेतु ऐसे जिलों से क्षेत्रों का अपवर्जन.—आसाम की विधान-सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिये राज्यपाल आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्दर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिये सभा में रक्षित स्थान या स्थानों के भरने के लिये किसी निर्वाचन-क्षेत्र का भाग न होगा, किन्तु इस प्रकार रक्षित न हुए सभा में के स्थान या स्थानों के भरने के लिये आदेश में उल्लिखित निर्वाचन-क्षेत्र का भाग होगा।

१८. कंडिका २० से संलग्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों

षष्ठ अनुसूची

पर इस अनुसूची के उपबन्धों का लागू होना.--(१) राज्यपाल--

(क) राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से लोक-अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची के पूर्वगामी सब अथवा किन्हीं उपबन्धों को कंडिका २० से संलग्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिमजाति-क्षेत्र को, अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को, लागू कर सकेगा तथा ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र या भाग का प्रशासन ऐसे उपबन्धों के अनुसार होगा, तथा

(ख) ऐसे ही अनुमोदन से लोक-अधिसूचना द्वारा, उक्त सारिणी से उस सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिमजाति-क्षेत्र को अथवा उस के किसी भाग को अपवर्जित कर सकेगा ।

(२) उक्त सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिम-जाति-क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के बारे में जब तक इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन अधिसूचना नहीं निकाली जाती तब तक यथास्थिति ऐसे क्षेत्र अथवा उस के भाग का प्रशासन राष्ट्रपति, आसाम के राज्यपाल द्वारा, जो उसके अभिकर्ता के रूप में होगा, करेगा तथा इस संविधान के भाग ९ के उपबन्ध उस में इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा क्षेत्र या उसका भाग प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्र है ।

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन में राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य करेगा ।

१९. अन्तर्कालीन उपबन्ध.--(१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र इस अनुसूची के अधीन राज्यपाल राज्य में के प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-परिषद् के गठन के लिये अग्रसर होगा तथा जब तक किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-परिषद् इस प्रकार गठित न हो तब तक ऐसे जिले का प्रशासन राज्यपाल में निहित होगा तथा ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस अनुसूची में दिये पूर्वगामी उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् :--

अनुसूची

(क) संसद् का अथवा उस राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र में तब तक लागू न होगा जब तक कि राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा ऐसा होने का निदेश न दे, तथा किसी अधिनियम के बारे में राज्यपाल ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिनियम किसी क्षेत्र अथवा उस के किसी उल्लिखित भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित लागू होगा जिन को वह उचित समझे ;

(ख) ऐसे किसी क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये राज्यपाल विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बने विनियम ऐसे क्षेत्र में तत्समय लागू होने वाले संसद् के, अथवा उस राज्य के विधान-मंडल के, किसी अधिनियम को, या किसी वर्तमान विधि को, निरसित या संशोधित कर सकेंगे।

(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (क) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिया हुआ कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि उस का भूतलक्षी प्रभाव भी हो।

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (ख) के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उन को अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे।

२०. आदिमजाति-क्षेत्र.—(१) निम्न सारिणी के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भीतर आदिमजाति-क्षेत्र होंगे।

(२) शिलौंग, कटक और नगर-क्षेत्र के अन्तर्गत तत्समय समाविष्ट किन्हीं क्षेत्रों को अपवर्जित कर के, किन्तु शिलौंग के नगर-क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट इतने क्षेत्र को, जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग **था**, सम्मिलित कर के खासी राज्य तथा खासी और जयंतीया पहाड़ी जिले के नाम से इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ज्ञात क्षेत्रों से मिल कर संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिला बनेगा :

परन्तु इस अनुसूची की कंडिका ३ की उपकंडिका (१) के खंड (ङ) और (च), कंडिका ४, कंडिका ५, कंडिका ६, कंडिका ८

षष्ठ अनुसूची

का उपकंडिका (२), उपकंडिका (३) के खंड (क), (ख) और (घ) और उपकंडिका (४) तथा कंडिका १० की उपकंडिका (२) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये शिलौंग के नगर-क्षेत्र में समाविष्ट कोई क्षत्र उस जिले के अन्दर नहीं समझे जायेंगे।

(३). निम्न सारिणी में (संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले से अन्य) किसी जिले के या प्रशासी क्षेत्र के प्रति कोई निर्देश उस जिले या प्रदेश के प्रति इस संविधान के प्रारम्भ पर निर्देश समझा जायेगा :

परन्तु निम्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित आदिमजाति-क्षेत्रों के अन्तर्गत, मैदानों में के, कोई ऐसे क्षेत्र न होंगे जैसे कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से आसाम का राज्यपाल उस लिये अधिसूचित करे।

सारिणी

भाग (क)

१. संयुक्त खासी-जयंतीया पहाड़ी जिला।
२. गारो पहाड़ी जिला।
३. लुसाई पहाड़ी जिला।
४. नगा पहाड़ी जिला।
५. उत्तरी कछार पहाड़ियां।
६. मिकिर पहाड़ियां।

भाग (ख)

१. उत्तरी पूर्वीय सीमान्त इलाका जिस के अन्तर्गत बालिपारा सीमान्त इलाका, तिराप सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी जिला भी हैं।

२. नगा आदिमजाति-क्षेत्र।

२१. अनुसूची का संशोधन.—(१) संसद् समय सयय पर विधि द्वारा जोड़, परिवर्तन, या निरसन कर के इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन कर सकेगी, तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये, तब

षष्ठ अनुसूची

इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देश इस प्रकार संशोधित अनुसूची के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।

(२) कोई ऐसी विधि जो इस कंडिका की उपकंडिका (१) में वर्णित है इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी ।

सप्तम अनुसूची

(अनुच्छेद २४६)

सूची १.—संघ-सूची

१. भारत की तथा उस के प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिस के अन्तर्गत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो युद्ध-काल में युद्ध को चलाने और उस की समाप्ति के पश्चात् सफलता पूर्वक सैन्य-वियोजन में सहायक हों।

२. नौ, स्थल और विमान बल; संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल।

३. कटक-क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तशासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह-वासन का विनियमन (जिस के अन्तर्गत किराये का नियन्त्रण भी है)।

४. नौ, स्थल और विमान-बल की कर्मशालायें।

५. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, युद्धोपकरण और विस्फोटक।

६. अणुशक्ति तथा उस के उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज सम्पत्।

७. संसद्-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा यद्ध चलाने क लिये आवश्यक घोषित किये गये उद्योग।

८. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग।

९. भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवारक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति।

१०. विदेशीय कार्य; सब विषय जिन के द्वारा संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता है।

११. राजनयिक, वाणिज्य-दूतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व।

१२. संयुक्त राष्ट्र-संघटन।

सप्तम अनुसूची

१३. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग लेना तथा उन में किये गये विनिश्चयों की अभिपूर्ति।

१४. विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति।

१५. युद्ध और शान्ति।

१६. विदेशीय क्षेत्राधिकार।

१७. नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्यदेशीय।

१८. प्रत्यर्पण।

१९. भारत में प्रवेश और उस में से उत्प्रवासन और निर्वासन; पार-पत्र और दृष्टांक।

२०. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं।

२१. महा-समुद्र या वायु में की गई जलदस्युता और अपराध; स्थल या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध।

२२. रेल।

२३. राज-पथ जिन्हें संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्य-पथ घोषित किया गया है।

२४. यंत्र-चालित जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जल-पथों में नौ-वहन और नौ-परिवहन जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जल-पथ घोषित किये गये हैं; तथा ऐसे जल-पथों के पथ नियम।

२५. समुद्र-नौवहन और नौ-परिवहन जिस के अन्तर्गत ज्वार-जल नौवहन और नौ-परिवहन भी है; वणिक्-पोतीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।

२६. प्रकाशस्तम्भ, जिन के अन्तर्गत प्रकाशपोत, आकाशदीप तथा नौवहन और विमानों की सुरक्षितता के लिये अन्य उपबन्ध भी हैं।

सप्तम अनुसूची

२७. वे पत्तन जिन को संसद्-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिस के अन्तर्गत उन का परिसीमन तथा उन में पत्तन-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां भी हैं ।

२८. पत्तन-निरोधा, जिस के अन्तर्गत उस से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं; नाविक और समुद्रीय चिकित्सालय ।

२९. वायु-पथ; विमान और विमान-परिवहन, विमान-क्षेत्र के उपबन्ध; विमान-यातायात और विमान-क्षेत्रों का विनियमन और संघटन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।

३०. रेल-पथ, समुद्र या वायु से अथवा यंत्रचालित यानों में राष्ट्रीय जल-पथों से यात्रियों और वस्तुओं का वहन ।

३१. डाक और तार; दूरभाष, बेतार, प्रसारण और अन्य समरूप संचार ।

३२. संघ की सम्पत्ति और उस से उत्थित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के विषय में, जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए ।

३३. संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण ।

३४. देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण ।

३५. संघ का लोक-ऋण ।

३६. चलार्थ, टंकण और विधिमान्य; विदेशीय विनिमय ।

३७. विदेशीय ऋण ।

३८. भारत का रक्षित बैंक ।

३९. डाकघर बचत बैंक ।

४०. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित लाटरी ।

सप्तम अनुसूची

४१. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; शुल्क-सीमान्तों को पार करने वाले आयात और निर्यात; शुल्क सीमान्तों की परिभाषा ।

४२. अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।

४३. व्यापारिक निगमों का, जिन के अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम भी हैं किन्तु सहकारी संस्थाएं नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन ।

४४. विश्वविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापारिक हों या नहीं, जिन के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन ।

४५. महाजनी ।

४६. विनिमय-पत्र, चेक, वचन-पत्र तथा ऐसी अन्य लिखतें ।

४७. बीमा ।

४८. श्रेष्ठि-चत्वर और वायदा बाजार ।

४९. एकस्व; आविष्कार और रूपांकन; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार-चिह्न और पण्य चिह्न ।

५०. बाटों और मापों का मान स्थापन ।

५१. भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन ।

५२. वे उद्योग जिन के लिये संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोक-हित के लिये उन पर संघ का नियंत्रण इष्टकर है ।

५३. तैल-क्षेत्रों और खनिज तैल सम्पत् का विनियमन और विकास; पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद; संसद् से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालाग्रही घोषित अन्य तरल और द्रव्य ।

५४. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास; जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे ।

सप्तम अनुसूची

५५. श्रम का विनियमन तथा खानों और तैल-क्षेत्रों में सुरक्षितता।

५६. उस सीमा तक अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी-दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे।

५७. जलप्रांगण से परे मछली पकड़ना और मीन-क्षेत्र।

५८. संघ-अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, सम्भरण और वितरण का विनियमन और नियंत्रण।

५९. अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिये विक्रय।

६०. प्रदर्शन के लिये चल-चित्रों की मंजूरी।

६१. संघ के नौकरों से संपृक्त औद्योगिक विवाद।

६२. इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, साम्राज्यिक युद्ध-संग्रहालय, विक्टोरिया-स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित ऐसी कोई अन्य तद्रूप संस्था।

६३. इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित कोई अन्य संस्था।

६४. भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित वैज्ञानिक या शिल्पिक शिक्षा-संस्थाएं।

६५. संघ-अभिकरण और संस्थाएं जो—

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्प-प्रशिक्षण, जिन के अन्तर्गत आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है, के लिये हैं; अथवा

सप्तम अनुसूची

(ख) विशेष अध्ययनों या गवेषणा की उन्नति के लिये हैं ; अथवा

(ग) अपराध के अनुसन्धान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पिक सहायता के लिये है।

६६. उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक-संस्थाओं में एकसूत्रता लाना और मानों का निर्धारण।

६७. संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्त्वीय स्थान और अवशेष।

६८. भारतीय भूपरिमाप, भूतत्त्वीय, वानस्पतिक, नरतत्त्वीय, प्राणकीय परिमाप ; अन्तरिक्ष-शास्त्रीय संस्थाएं।

६९. जनगणना।

७०. संघ-लोकसेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ-लोकसेवा-आयोग।

७१. संघ-निवृत्ति-वेतन, अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन।

७२. संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन ; निर्वाचन-आयोग।

७३. संसद् के सदस्यों, राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

७४. संसद् के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ; संसद् की समितियों अथवा संसद् द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना।

७५. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के बारे में अधिकार ; संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते; नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति-छुट्टी के बारे में अधिकार तथा अन्य सेवा-शर्तें।

सप्तम अनुसूची

७६. संघ के और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

७७. उच्चतमन्यायालय का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार और शक्तियां (जिस के अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान भी है) तथा उस में ली जाने वाली फीसें ; उच्चतमन्यायालय के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक्क रखने वाले व्यक्ति।

७८. उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और भृत्यों के बारे के उपबन्धों को छोड़ कर उच्चन्यायालयों का गठन और संघटन ; उच्चन्यायालयों के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक्क रखने वाले व्यक्ति।

७९. किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्चन्यायालय क क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अपवर्जन।

८०. किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र में विना उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिस में कि ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियां और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकें; किसी राज्य की आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर रेल-क्षेत्रों पर विस्तार।

८१. अन्तर्राज्यीय प्रव्रजन ; अन्तर्राज्यीय निरोधा।

८२. कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर।

८३. सीमा-शुल्क जिस के अन्तर्गत निर्यात-शुल्क भी है।

८४. भारत में निर्मित या उत्पादित तमाकू तथा—

(क) मानव उपभोग के मद्य सारिक पानों ;

(ख) अफीम, भांग और अन्य पिनक लाने वाली ओषधियों तथा स्वापकों,

को छोड़कर, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री को अन्तर्गत कर के कि जिन में मद्यसार अथवा उक्त प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क।

सप्तम अनुसूची

८५. निगम-कर ।

८६. व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से कृषि-भूमि को छोड़ कर उस के मूलधन-मूल्य पर कर ; समवायों के मूल-धन पर कर ।

८७. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क ।

८८. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क ।

८९. रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर, रेल के जन-भाड़े और वस्तु-भाड़े पर कर ।

९०. मुद्रांक-शुल्क को छोड़ कर श्रेष्टि-चत्वर और वादा बाजार के सौदों पर कर ।

९१. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा-पत्रों, अंशों के हस्तान्तरण, ऋण-पत्रों, प्रतिपत्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने वाले मुद्रांक-शुल्क की दर ।

९२. समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उन में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर ।

९३. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध ।

९४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच, परिमाप और सांख्यकी ।

९५. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और शक्तियां ; नावाधिकरण-क्षेत्राधिकार ।

९६. किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों को छोड़ कर इस सूची में के विषयों से किसी के बारे में फीस ।

सप्तम अनुसची

९७. सूची (२) या (३) में से किसी मं अवर्णित किसी कर के सहित उन सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय ।

सूची २.—राज्यसूची

१. सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु असैनिक शक्ति की सहायता क लिय संघ के नौ, स्थल या विमान बलों या किन्हीं अन्य बलों के प्रयोग को अन्तर्गत न करते हुए) ।

२. आरक्षी, जिस कं अन्तर्गत रेलवे और ग्राम आरक्षी भी हे ।

३. न्याय-प्रशासन ; उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का गठन और संघठन ; उच्चन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक ; भाटक और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें ।

४. कारागार, सुधारालय, वोरस्टल संस्थायें और तद्रूप अन्य संस्थाएं और उन में निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिय अन्य राज्यों से प्रबन्ध ।

५. स्थानीय शासन अर्थात् नगर-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिला-मंडलों, खनिज-वसिति प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन के प्रयोजन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां ।

६. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; चिकित्सालय और औषधालय ।

७. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थ यात्राएं ।

८. मादक पानों अर्थात् मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय ।

९. अंगहीनों ओर नोकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता ।

१०. शव गाड़ना ओर कबरस्थान; शव दाह और श्मशान ।

११. सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिस के अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं ।

सप्तम अनुसूची

३७. संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन ।

३८. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद् है तो, उस के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ।

३९. विधान-सभा और उस के सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान-परिषद् हो तो, उस परिषद् और उस के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, राज्य के विधान-मंडल की समितियों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना ।

४०. राज्य के मन्त्रियों के वेतन और भत्ते ।

४१. राज्य-लोक सेवाएं, राज्य-लोकसेवा-आयोग

४२. राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात् राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि में से देय निवृत्ति-वेतन

४३. राज्य का लोक-ऋण ।

४४. निखात निधि ।

४५. भूराजस्व जिस के अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेखों का बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिये और स्वत्व-अभिलेखों के लिये परिमाप और राजस्व का अन्य-संक्रामण भी है ।

४६. कृषि-आय पर कर ।

४७. कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क ।

४८. कृषि-भूमि के विषय में सम्पत्ति-शुल्क ।

४९. भूमि और भवनों पर कर ।

५०. संसद् से, विधि द्वारा, खनिज-विकास के सम्बन्ध में लगाई गई परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकार पर कर ।

सप्तम अनुसूची

५१. राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर से प्रतिशुल्क—

(क) मानव उपभोग के लिये मद्यसारिक पान ;

(ख) अफीम, भांग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियां और स्वापक किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ कर जिन में मद्यसार अथवा इस प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट हो।

५२. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर।

५३. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर।

५४ समाचार-पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर।

५५. समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़ कर अन्य विज्ञापनों पर कर।

५६. सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर कर

५७. सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यंत्रचालित हों या न हों तथा जिन में सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन ट्रामगाड़ियां भी अन्तर्गत हैं, कर।

५८. पशुओं और नौकाओं पर कर।

५९. पथ-कर।

६०. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर।

६१. प्रतिव्यक्ति-कर।

सप्तम अनुसूची

१८. खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण।

१९. अफीम विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५९ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए औषधि और विष।

२०. आर्थिक और सामाजिक योजना।

२१. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, गुट्ट और न्यास।

२२. व्यापार-संघ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद।

२३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नौकरी और बेकारी।

२४. श्रमिकों का कल्याण जिस के अन्तर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य-निधि, नियोजक-उत्तरवादिता, कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति-वेतन और प्रसूति-सुविधाएं भी हैं।

२५. श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्षण।

२६. विधि-वृत्तियां, वैद्यक वृत्तियां और अन्य वृत्तियां।

२७. भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

२८. पूर्त और पूर्त-संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक धर्मस्व और धार्मिक संस्थाएं।

२९. मानवों पशुओं और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रामिक और सांसर्गिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फैलने का निवारण।

३०. जीवन सम्बन्धी सांख्यकी, जिस के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीयन भी है।

३१. संसद्-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन।

३२. राष्ट्रीय जल-पथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तर्देशीय जल-पथों पर यंत्र-चालित यानों विषयक नौ-वहन

सप्तम अनुसूची

और नौ-परिवहन तथा ऐसे जल-पथों पर पथ-नियम, तथा अन्तर्देशीय जल-पथों पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन।

३३. जहां संसद् से विधि द्वारा किन्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण लोक-हित में इष्टकर घोषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य तथा उन का उत्पादन, सम्भरण और वितरण।

३४. मूल्य-नियंत्रण।

३५. यंत्र-चालित यान जिन के अन्तर्गत वे सिद्धान्त भी हैं जिन के अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है।

३६. कारखाने

३७. वाष्पयंत्र।

३८ विद्युत।

३९. समाचार-पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय।

४०. संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित से भिन्न पुरातत्त्व सम्बन्धी स्थान और अवशेष।

४१. विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति की कृषि भूमि सहित अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन।

४२. संघ के या राज्य के या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जित या अधिगृहीत सम्पत्ति के लिये प्रतिकर निर्धारण करने के सिद्धान्त तथा वैसे प्रतिकर के दिये जाने का रूप और रीति।

४३. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की, जिस के अन्तर्गत भूराजस्व बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली।

४४. न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों को छोड़ कर अन्य मुद्रांक-शुल्क, किन्तु इस के अन्तर्गत मुद्रांक-शुल्क की दरें नहीं हैं।

सप्तम अनुसूची

४५. सूची २ या सूची ३ में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच और सांख्यकी।

४६. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां।

४७. इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इन के अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं।

अष्टम अनुसूची

[अनुच्छेद ३४४ (१) और ३५१]

भाषाएं

१. असमिया
२. उड़िया
३. उर्दू
४. कन्नड
५. कश्मीरी
६. गुजराती
७. तामिल
८ तेलुगु
९. पंजाबी
१०. बंगला
११. मराठी
१२. मलयालम
१३. संस्कृत
१४. हिन्दी

भारत के संविधान

का

पारिभाषिक-शब्दावलि-कोष

भारत की संविधान-सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्मित

अखिल-भारत-भाषा-विशेषज्ञ-सम्मेलन द्वारा स्वीकृत

List of the Members of the Language Conference

1. The Honourable Shri G.S. Gupta—*Chairman.*

2.	Shri Tirathnath Sharma.	Assamese.
3.	Dr. B.K. Barua.	
4.	Shri Patanjali Bhattacharyya.	Bengali.
5.	Shri Chapala Kant Bhattacharyya.	
6.	Shri Kikubhai Desai.	Gujarati.
7.	Shri Muni Jina Vijai Ji.	
8.	Shri Gopal Chandra Sinha.	Hindi.
9.	Dr. Raghuvira, M.C.A.	
10.	Shri Lakshmi Narayan Sudhansu.	
11.	Shri Yadunandan Bharadwaj.	
12.	Shri Ram Chandra Varma.	
13.	Shri Kaka Sahib Kalelkar.	Kanada, Marathi & Gujarati.
14.	Shri T.N. Shrikanthiah.	Kanada.
15.	The Honourable Shri R.R. Diwakar.	
16.	Prof. Jia Lal Kaul.	Kashmiri.
17.	Shri Mirza Arif.	
18.	Shri Achyutha Menon.	Malayalam.
19.	Shri Godeverma.	
20.	Shri S.N. Banhatti.	Marathi.
21.	Dr. M.G. Deshmukh.	
22.	Prof. Artaballabh Mahanty.	Oriya.
23.	Sjt. Chintamani Acharya.	
24.	Principal Teja Singh.	Punjabi.
25.	Gyani Gurmukh Singh Musafir, M.C.A.	
26.	Shri K. Balasubrahmanya Iyer.	Sanskrit.
27.	Dr. Kunhan Raja.	
28.	Mahamahopadhyaya Giridhar Sharma.	
29.	Dr. Mangal Deva Sastri.	
30.	Dr. Babu Ram Saxena.	
31.	Shri. L.K. Bharathi, M.C.A.	Tamil.
32.	Shri Sethu Pillai.	
33.	Shri Lakshmi Narayana Rao.	Telugu.
34.	Shri Ramanujam.	
35.	Qazi Abdul Ghaffar.	Urdu.
36.	Prof. Abdul Qadir Sarwari.	
37.	Shri M. Satyanarayana, M.C.A.	Expert Translation Committee.
38.	Shri Jaichandra Vidyalankar.	
39.	Shri Rahul Sankrityayan.	
40.	Shri Y.R. Date.	
41.	Dr. Suniti Kumar Chatterji.	

NOTE ON ROMAN TRANSLITERATION

1. All स्वरs have been denoted by short vowels.
2. (*a*) All nasals except at the end of the word have been represented by *m*.
   (*b*) At the end of the word nasal has been represented by *n*.
3. विसर्जनीय has been represented by *h*.
4. टवर्ग and तवर्ग have been represented in the same way, that is, by *t*, *th*, *d*, *dh* and *n* respectively.
5. (a) ऋ has been represented by *r*,
   (b) क्ष has been represented by *ksh*,
   (c) च has been represented by *c*,
   (d) छ has been represented by *ch*,
   (e) ज्ञ has been represented by *jn*,
   (f) ड़ has been represented by *r*,
   (g) श and स have been represented by *s*, and
   (h) ष has been represented by *sh*.

CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA

Equivalents for Terms used in the Constitution of India

English Terms with Equivalents in Devanagari Characters 1	Equivalents in Roman Characters 2	Alternatives Accepted 3

A

Abandonment.—परित्यजन,	*Parityajana*	परित्याग, *Parityaga*
Abridge.—न्यूनन	*Nyunana*	
Abrogate.—निराकरण	*Nirakarana*	
Access.—प्रवेश	*Pravesa*	
Account.—लेखा	*Lekha*	१, गणना, *Ganana* २, कणकु, *Kanaku*
Accrue.—प्रापण	*Prapana*	प्रोद्भवन, *Prodbhav-ana*
Accrued.—प्राप्त	*Prapta*	१ प्रोद्भूत, *Prodbhuta* उपार्जि *Uparjita*
Accusation.—अभियोग	*Abhiyoga*	
Accused.—अभियुक्त	*Abhiyukta*	
Acquisition.—अर्जन	*Arjana*	
Act (n.).—अधिनियम	*Adhiniyama*	चट्टम, *Cattama*
Acting (*e.g.* Chairman).—कार्यकारी	*Karyakari*	
Actionable wrong.—अभियोज्य दोष	*Abhiyojya dosha*	
Adaptation.—अनुकलन	*Anukulana*	
Addressed.—सम्बोधित	*Sambodhita*	
Adherence.—अनुषक्ति	*Anushakti*	
Ad hoc.—तदर्थ	*Tadartha*	
Adjourn.— १ स्थगन २ स्थगित करना	*1 Sthagana* *2 Sthagita karana*	१ अवधिदान, *Avadhi-dana* २ कालदान, *Kaladana*

1	2	3
Administer.—प्रशासन	*Prasasana*	
Administered.—प्रशासित	*Prasasita*	
Administration.—प्रशासन	*Prasasana*	
Administrative.—प्रशासनीय	*Prasasaniya*	
Administrative functions.—प्रशासनीय कृत्य	*Prasasaniya krtya*	
Administrator-General.—महाप्रशासक	*Maha-prasasaka*	
Admiralty.—नौकाधिकरण	*Naukadhi-karana*	नावधिकरण, *Nava-dhikarana*
Admissible.—ग्राह्य	*Grahya*	
Adoption.—दत्तक-ग्रहण	*Dattaka-grahana*	दत्तक-स्वीकरण, *Dattaka-svikarana*
Adulteration.—अपमिश्रण	*Apamisrana*	
Adult suffrage.—वयस्क मताधिकार	*Vayaska-mata-dhikara*	
Advance.—अग्रिम धन	*Agrima dhana*	पेशगी, *Pesagi*
Advice.—मंत्रणा	*Mantrana*	उपदेश, *Upadesa* सलाह, *Salaha*
Advise.—मंत्रणा देना	*Mantrana dena*	
Advisory Council.—मंत्रणा परिषद्	*Mantrana Parishad*	
Advocate.—अधिवक्ता	*Adhivakta*	
Advocate-General.—महाधिवक्ता	*Mahadhivakta*	
Affect prejudicially.—प्रतिकूल प्रभाव डालना	*Pratikula prabhava dalana*	प्रतिकूल असर डालना, *Pratikula asara dalana*
Affirmation.—प्रतिज्ञान	*Pratijnana*	
Agency.—अभिकरण	*Abhikarana*	
Agent.—अभिकर्त्ता	*Abhikartta*	
Agreement.—करार	*Karara*	चुकती, *Cukati*
Air force.—विमान बल	*Vimana bala*	
Air navigation.—विमान परिवहन	*Vimana pari-vahana*	
Air traffic.—विमान यातायात	*Vimana yata-yata*	

1	2	3
Airways.—वायु पथ	*Vayu patha*	
Alien.—अन्यदेशीय	*Anyadesiya*	
Alienate—अन्य-संक्रामण	*Anya-samkramana*	
Alienation.—अन्य-संक्रामण	*Anya-samkramana*	परकीकरण, *Parakikarana*
Allegation.—अभिकथन	*Abhikathana*	आरोप, *Aropa*
Allegiance.—निष्ठा	*Nishtha*	
Allocation.—बटवारा	*Batavara*	
Allot.—वंटन	*Vamtana*	
Allotment.—बांट	*Bamta*	
Allowances.—भत्ता	*Bhatta*	
Amendment.—संशोधन	*Samsodhana*	
Amnesty.—सर्वक्षमा	*Sarvakshama*	
Amount.—राशि	*Rasi*	
Ancillary.—सहायक	*Sahayaka*	
Annual.—वार्षिक	*Varshika*	
Annual Financial Statement.—वार्षिक-वित्त-विवरण	*Varshika-vitta-vivarana*	
Annuities.—वार्षिकी	*Varshiki*	
Annulment.—रद्द करना	*Radda karana*	
Appeal.—अपील	*Apila*	
Appear.—उपस्थित होना	*Upasthita hona*	
Appended.—संलग्न	*Samlagna*	
Application.—१. प्रयुक्ति, २. लागू होना, ३. आवेदनपत्र	1. *Prayukti,* 2. *Lagu hona,* 3. *Avedanapatra*	
Appointment.—नियुक्ति	*Niyukti*	
Appropriation.—विनियोग	*Viniyoga*	
Appropriation bill.—विनियोग विधेयक	*Viniyoga vidheyaka*	
Approve.—अनुमोदन करना	*Anumodana karana*	
Approval.—अनुमोदन	*Anumodana*	

1	2	3
Arbitral tribunal.—मध्यस्थ-न्यायाधिकरण	*Madhyastha-nyayadhikarana*	
Arbitration.—मध्यस्थ-निर्णय	*Madhyastha-nirnaya*	
Arbitrator.—मध्यस्थ	*Madhyastha*	
Area.—क्षेत्र	*Kshetra*	
Armed Forces.—सशस्त्र बल	*Sasastra bala*	
Arrest.—बन्दी करना	*Bandi karana*	प्रग्रहण, *Pragrahana*
Article.—अनुच्छेद	*Anuccheda*	
Assemble.- समवेत होना	*Samaveta hona*	सम्मिलित होना, *Sammilita hona*
Assembly.—सभा	*Sabha*	
Assent.—अनुमति	*Anumati*	
Assessment.— निर्धारण	*Nirdharana*	तीर्व, *Tirva*
Assignment.—सौंपना	*Saumpana*	
Association.- सन्था	*Samtha*	
Assurance of property.—संपत्ति हस्तान्तरण-पत्र	*Sampatti hastantarana-patra*	
As the case may be.—यथास्थिति	*Yatha sthiti*	यथाप्रसंग, *Yathaprasamga*
Attach.—कुर्की	*Kurki*	टांच, *Tamca*
Attorney-General.—महा-न्यायवादी	*Maha-nyaya-vadi*	
Audit.—लेखा-परीक्षा	*Lekha-pariksha*	गणना-परीक्षा, *Gana-na pariksha*
Auditor-General.—महा-लेखा-परीक्षक	*Maha-Lekha-parikshaka*	
Authentication.—प्रमाणीकरण	*Pramani-karana*	
Authorise.—प्राधिकृत	*Pradhikrta*	
Authority.—प्राधिकारी	*Pradhikari*	
Autonomous. स्वायत्त	*Svayatta*	
Autonomy. - स्वायत्तता	*Suayattata*	
Award.—पंचाट	*amcata*	

B

Bail.—जामिन	*Jamin*	
Ballot.—१. शलाका, २. शलाका-पद्धति	*1. Salaka, 2. Salakapaddhati*	गूढ़-पत्र, *Gudha-patra*

1	2	3
Bank.—बैंक	*Baimka*	
Banking.—महाजनी	*Mahajani*	
Bankruptcy.—दिवाला	*Divala*	
Bar.—रुकावट	*Rukavata*	
Benefit.—हित	*Hita*	
Betting.—पण लगाना, पणक्रिया	*Pana lagana, Panakriya*	
Bi-cameral.—दो ए	*Doghara*	द्विगृही, *Dvigrhi*
Bill.—विधेयक	*Vidheyaka*	बिल, *Bila*
Bill of exchange.—विनिमय-पत्र	*Vinimaya-patra*	
Bill of indemnity.—परिहार-विधेयक	*Parihara-vidheyaka*	क्षतिपूर्ति-बिल, *Kshatipurtti-bila*
Bill of lading.—वहन-पत्र	*Vahana-patra*	
Board.—मंडली	*Mandali*	बोर्ड, *Borda*
Body.—निकाय	*Nikaya*	
Body, corporate.—निगमनि ाय	*Nigama-nikaya*	
Body, governing.—शासीनिकाय	*Sasinikaya*	
Bona vacancia.—स्वामिहीनत्व	*Svami-hinatva*	
Borrowing.—उधार-ग्रहण	*Udhara-grahana*	
Boundary.—सीमा	*Sima*	
Broadcasting.—प्रसारण	*Prasarana*	
Business.—कारबार	*Karabara*	
Bye-election.—उपनिर्वाचन	*Upanirvacana*	
Bye-law.—उपविध	*Upavidhi*	

C

Calling.—आजीविका	*Ajivika*	
Camp.—शिविर	*Sivira*	
Candidates.—अभ्यर्थी	*Abhyarthi*	उम्मेदवार *Ummedavara*
Cantonment.—कटक	*Kataka*	छावनी, *Chavani*
Capacity.—सामर्थ्य	*Samarthya*	

1	2	3
Capital.—मूलधन	*Muladhana*	पूंजी, *Pumji*
Capital value.—मूलधन-मूल्य	*Muladhana-mulya*	
Capitation tax.—प्रतिव्यक्तिकर	*Prativyakti-kara*	
Carriage.—परिवहन	*Parivahana*	
Casting vote.—निर्णायक मत	*Nirnayaka mata*	—
Cattle pound.—पशु-अवरोध	*Pasu-avarodha*	कांजी हौस, *Kamji hausa*
Cause.—वाद	*Vada*	
Cause of Action.—वाद-मूल	*Vada-mula*	
Census.—जन-गणना	*Jana-ganana*	
Central Intelligence Bureau.—केन्द्रीय गप्त वार्त्ता विभाग	*Kendriya guptavartta-vibhaga*	
Certificate.—प्रमाण-पत्र	*Pramana-patra*	
Certiorari.—उत्प्रेषण-लेख	*Utpreshana-lekha*	
Cess.—उपकर	*Upakara*	
Chairman.—सभापति	*Sabhapati*	
Charge.—भार, भारित करना	*Bhara, Bharita karana*	
Charge (Cr.).—दोषारोप	*Dosharopa*	अभियुक्ति, *Abhiyukti*
Charity.—पूर्त	*Purta*	दातव्य, *Datavya*
Charitable and religious endowments.—पूर्त, धार्मिक धर्मस्व	*Purta-dharmika dharmasva*	
Charitable institutions.—पूर्त-संस्था	*Purta-Samstha*	
Cheque.—चेक	*Ceka*	
Chief.—मुख्य	*Mukhya*	
Chief-Commissioner.—मुख्य आयुक्त	*Mukhya Ayukta*	
Chief-Election-Commissioner.—मुख्य निर्वाचन आयुक्त	*Mukhya Nirvacana Ayukta*	
Chief-Judge.—मुख्य न्यायाधीश	*Mukhya Nyayadhisa*	

1	2	3
Chief Justice.—मुख्य न्यायाधिपति	*Mukhya Nyayadhipati*	
Chief Minister.—मुख्यमंत्री	*Mukhya-mantri*	
Citizenship.—नागरिकता	*Nagarikata*	पौरत्व, *Pauratva*
Civil.—१. व्यवहार, २. असैनिक	1. *Vyavahara,* 2. *Asainika*	
Civil Court.—१. व्यवहार न्यायालय २. व्यवहारालय	1. *Vyavahara Nyayalaya* 2. *Vyavaharalaya*	दीवानी, *Diwani* व्यवहार अदालत, *Vyavahara Adalata*
Civil power.—१. व्यवहार-शक्ति २. असैनिक-शक्ति	1. *Vyavahara-sakti* 2. *Asainik-sakti*	
Civil wrong.—व्यवहार-विषयक अपकृत्य	*Vyavahara-vishayaka apakrtya*	व्यवहार-विषयक दोष, *Vyavahara-vishayaka dosha*
Claim.—दावा	*Dava*	
Clarification.—स्पष्टीकरण	*(Spashti-karana)*	
Clause.—खण्ड	*Khamda*	
Code.—संहिता	*Samhita*	
Coinage.—टंकण	*Tamkana*	
Colonization.—उपनिवेशन	*Upanivesana*	
Commerce.—वाणिज्य	*Vanijya*	
Commercial.—वाणिज्य-सम्बन्धी	*Vanijya-sambandhi*	
Commission.—आयोग	*Ayoga*	
Commissioner.—आयुक्त	*Ayukta*	
Committee.—समिति	*Samiti*	
Committee, Select.—प्रवर-समिति	*Pravara-samiti*	
Committee, Standing.—स्थायी समिति	*Sthayi samiti*	
Common good.—सार्वजनिक कल्याण	*Sarvajanika kalyana*	
Common Seal.—सामान्य मुद्रा	*Samanya mudra*	सामान्य मुहर, *Samanya muhara*
Communicate.—संचार करना	*Samcara-karana*	

1	2	3
Communication, means of.—संचार साधन	Samcara-sadhana	
Community.—१. लोक समाज २. समुदाय	Loka-samaja, Samudaya	
Commute.—लघूकरण	Laghukarana	
Company.—समवाय	Samavaya	कम्पनी, Kampani
Compensation.—प्रतिकर	Pratikara	
Competent.—सक्षम	Sakshama	क्षमताशील, Kshamatasila
Complaint.—फरियाद	Fariyada	
Comptroller and Auditor General.—नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक	Niyantraka-Maha-lekha-parikshaka	
Compute.—संगणना	Samganana	
Concurrence.—सहमति	Sahamati	
Concurrent List.—समवर्ती सूची	Samavarti Suci	
Condition.—शर्त	Sarta	
Conditions of service.—सेवा की शर्तें	Seva ki sarten	
Conference.—सम्मेलन	Sammelana	
Confidence, want of.—विश्वास का अभाव	Visvasa ka abhava	
Conscience.—अन्तःकरण	Antahkarana	
Consent.—सम्मति	Sammati	
Consent, previous.—पूर्व सम्मति	Purva sammati	
Consequential.—आनुषंगिक	Anushamgika	
Consideration.—विचार	Vicara	
Consolidated Fund.—संचित निधि	Samcita Nidhi	
Constituency.—निर्वाचन-क्षेत्र	Nirvacana-kshetra	
Constituency, territorial.—प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र	Pradeshika nirvacana-kshetra	
Constituent Assembly.—संविधान-सभा	Samvidhana-Sabha	
Constitution.—संविधान	Samvidhana	

1	2	3
Consul.— वाणिज्य-दूत	*Vanijya-duta*	
Consultation.—परामर्श	*Paramarsa*	
Construe.—अर्थ करना	*Artha karana*	
Consumption. उपभोग	*Upabhoga*	
Contact.—संपर्क	*Samparka*	
Contagious.— सांसर्गिक	*Samsargika*	
Contempt.—अवमान	*Avamana*	
Contempt of court.— न्यायालय-अवमान	*Nyayalaya-avamana*	
Context.— संदर्भ	*Samdarbha*	प्रसंग, *Prasamga*
Contingency Fund.—आकस्मिकता-निधि	*Akasmikata-nidhi*	
Contract.—संविदा	*Samvida*	
Contravention.—प्रतिकूलता	*Pratikulta*	उल्लंघन, *Ullamghana*
Contribution.—अंशदान	*Amsadana*	
Control.—नियंत्रण	*Niyamtrana*	
Controversy.—प्रतिवाद	*Prativada*	
Convention.—अभिसमय	*Abhisamaya*	
Conveyance.—हस्तान्तरपत्र	*Hastantara-patra*	
Convicted.—सिद्ध-दोष	*Siddha-dosh*	दोषप्रमाणित, *Dosha-pramanita* अभिशस्त, *Abhisasta*
Conviction.—दोषसिद्धि	*Doshasiddhi*	अभिशस्ति, *Abhisasti*
Cooperative society.—सहकारी संस्था	*Sahakari Samstha*	समवाय संस्था, *Samavaya-samstha*
Copy.—प्रतिलिपि	*Pratilipi*	प्रतिकृति, *Pratikrti*
Copyright.—प्रतिलिप्यधिकार	*Pratilipya-dhikara*	कृतिस्वाम्य, *Krti-svamya*
Corporation.—निगम	*Nigama*	
Corporation, Sole.—एकल निगम	*Ekala nigama*	
Corporation, tax.— निगम-कर	*Nigama-kara*	
Corresponding.—तत्स्थानी	*Tatsthani*	
Corrupt.— भ्रष्ट	*Bhrashta*	
Cost. —परिव्यय	*Parivyaya*	खर्च, *Kharca* लागत, *Lagata*
Council.—परिषद्	*Parishadd*	

1	2	3
Council of Ministers—मंत्रि-परिषद्	*Mantri-parishad*	
Council of States.—राज्य-परिषद्	*Rajya-parishad*	
Council, Regional.—प्रादेशिक-परिषद्	*Pradesika-parishad*	
Council, Tribal.—जनजाति-परिषद्	*Janajati-parishad*	
Countervailing duty.—प्रति-शुल्क	*Prati-sulka*	
Court.—न्यायालय	*Nyayalaya*	
Court of Appeal.—पुनर्विचार-न्यायालय	*Punarvicara-nyayalaya*	अपील-न्यायालय, *Apila-nyayalaya*
Court, Civil.—व्यवहार-न्यायालय	*Vyavahara-nyayalaya*	
Court, Criminal.—दंड-न्यायालय	*Danda-nyayalaya*	
Court, District.—जिला-न्यायालय	*Jila-nyayalaya*	मंडल-न्यायालय, *Mandala-nyayalaya*
Court, Federal.—फेडरल-न्यायालय	*Fedaral-nyayalaya*	
Court, High.—उच्च-न्यायालय	*Uccanyayalaya*	
Court, Magistrate.—दंडाधिकारी-न्यायालय	*Dandadhikari-nyayalaya*	
Court Martial.—सेना-न्यायालय	*Sena-nyayalaya*	
Court of wards.—प्रतिपालक-अधिकरण	*Pratipalaka-adhikarana*	
Court, Revenue.—राजस्व-न्यायालय	*Rajasva-nyayalaya*	
Court, Session.—सत्त्र-न्यायालय	*Sattra-nyayalaya*	
Court, subordinate.—अधीन न्यायालय	*Adhina nyayalaya*	
Court, Supreme.—उच्चतम-न्यायालय	*Uccatama-nyayalaya*	
Credit.—प्रत्यय	*Pratyaya*	साख, *Sakha*; पत्त, *Pata*
Credit.—आकलन	*Akalana*	
Crime.—अपराध	*Apuradha*	

1	2	3
Criminal.—१. अपराधी, २. आपराधिक	*Aparadhi, Aparadhika*	दंड सम्बन्धी, *Danda sambandhi*
Criminal law.—दंड-विधि	*Danda-vidhi*	
Currency.—चल अर्थ	*Cala artha*	चलावणी, *Calavani*
Custody.—अभिरक्षा	*Abhiraksha*	निरोध, *Nirodha*; कावल, *Kavala*
Custom duty.—बहिःशुल्क	*Bahihsulka*	सीमा-शुल्क, *Sima-sulka*
Custom, frontier.—शुल्क-सीमान्त	*Sulka-simanta*	
Custom.—रूढ़ि	*Rudhi*	आचार, *Acara*

D

Dealings.—व्यवहार	*Vyavahara*	लेना देना, *Lena dena*
Debate.—वाद-विवाद	*Vada-vivada*	
Debentures.—ऋण-पत्र	*Rna-patra*	
Debit.—विकलन	*Vikalana*	
Debt.—ऋण	*Rna*	
Decision.—विनिश्चय	*Viniscaya*	
Declaration. घोषणा	*Goshana*	
Decree.—आज्ञप्ति	*Ajnapti*	डिक्री, *Dikri*
Dedicate.—समर्पण	*Samarpana*	
Deed.—विलेख	*Vilekha*	
Defamation.—मानहानि	*Manahani*	
Defence.—प्रतिरक्षा	*Pratiraksha*	
Deliberate.—पर्यालोचन	*Paryalocana*	
Delimitation.—परिसीमन	*Parisimana*	
Demand.—मांग	*Mamga*	अभियाचना, *Abhiyacana*
Demarcation.—सीमांकन	*Simamkana*	
Demobilisation.—सैन्य वियोजन	*Sainya-viyojana*	
Deprived.—वंचित करना	*Vamcita karana*	वियुक्त करना, *Viyukta karana*
Deputy Chairman.—उपसभापति	*Upasabhapati*	
Deputy Commissioner.—उपायुक्त	*Upayukta*	मण्डलायुक्त, *Mandalayukta*

1	2	3
Deputy President.—उपराष्ट्रपति	*Uparashtra-pati*	
Deputy Speaker.—उपाध्यक्ष	*Upadhyaksha*	
Descent.—उद्भव	*Udbhava*	
Derogation.—अल्पीकरण	*Alpikarana*	
Design.—रूपांकण	*Rupamkana*	नक्श, *Naksh*
Detrimental.—अहितकारी	*Ahitakari*	
Diplomacy.—राजनय	*Rajanaya*	
Direction.—निदेश	*Nidesa*	
Disability.—निर्योग्यता	*Niryogyata*	
Discharge.—निर्वहन	*Nirvahana*	
Discipline.—अनुशासन	*Anusasana*	
Disciplinary.—अनुशासन सम्बन्धी	*Anusasana sambandhi*	शिस्त, *Sista*
Discovery.—प्रकट करना	*Prakata karana*	
Discretion.—स्वविवेक	*Svaviveka*	
Discrimination.—विभद	*Vibheda*	
Discussion.—चर्चा	*Carca*	
Dismiss.—पदच्युत करना	*Padacyuta karana*	
Disperse.—विसर्जन	*Visarjana*	
Dispute.—विवाद	*Vivada*	
Disqualification.—अनर्हता	*Anarhata*	
Disqualify.—अनर्हीकरण	*Anarhikarana*	
Dissent.—विमति	*Vima*	
Dissolution.—विघटन	*Vighatana*	
Distribution.—वितरण	*Vitarana*	विभाजन, *Vibhajana*
District.—जिला	*Jila*	मण्डल, *Mandala*
District Board.—जिला-मंडली	*Jila-mandali*	
District Council.—जिला-परिषद्	*Jila-parishad*	
District Fund.—जिला निधि	*Jilanidhi*	
Dividend.—लाभांश	*Labhamsa*	

1	2	3
Divorce.—विवाह-विच्छेद	*Vivaha-viccheda*	
Documents.—लेख्य	*Lekhya*	दस्तावेज, *Dastaveja*
Domicile.—अधिवास	*Adhivasa*	
Domiciled.—अधिवासी	*Adhivasi*	
Dulness.—मतिमान्द्य	*Matimandya*	
During good behaviour.—सदाचार पर्यन्त	*Sadacara paryanta*	
During the pleasure of the President.—राष्ट्रपति प्रसाद पर्यन्त	*Rastrapati prasada paryanta*	
Duty.—१. शुल्क, २. कर्तव्य	1. *Sulka,* 2. *Kartavya*	वरी, *Vari*
Duty, custom.—सीमा-शुल्क	*Sima-sulka*	
Duty, death.—मरण-शुल्क	*Marana-sulka*	
Duty, estate.—सम्पत्ति-शुल्क	*Sampatti-sulka*	
Duty, excise.—उत्पादन-शुल्क	*Utpadana-sulka*	
Duty, export.—निर्यात-शुल्क	*Niryata-sulka*	
Duty, import.—आयात-शुल्क	*Ayata-sulka*	
Duty, stamp. मुद्रांक-शुल्क	*Mudramka-sulka*	
Duty, succession.—उत्तराधिकार-शुल्क	*Uttaradhikara-sulka*	

E

Economic.—आर्थिक	*Arthika*	
Education.—शिक्षा	*Siksha*	
Efficiency of administration.—प्रशासन-कार्यक्षमता	*Prasasana-karyakshamata*	प्रशासन कार्यपटुता, *Prasasana karyapatuta*
Elect.—निर्वाचन (v.)	*Nirvacana*	
Elected.—निर्वाचित	*Nirvacita*	चुने हुए, *Cune hue*
Election.—निर्वाचन	*Nirvacana*	
Election Commissioner.—निर्वाचन-आयुक्त	*Nirvacana-Ayukta*	
Election, direct.—प्रत्यक्ष निर्वाचन	*Pratyaksha nirvacana*	

1	2	3
Election, general.—साधारण निर्वाचन	*Sadharana nirvacana*	
Election, indirect.—परोक्ष निर्वाचन	*Paroksha nirvacana*	
Election tribunal.—निर्वाचन अधिकरण	*Nirvacana adhikarana*	
Electoral roll.—निर्वाचक-नामावली	*Nirvacaka-namavali*	
Electoral rolls.—निर्वाचक-गण	*Nirvacaka gana*	
Eligibility.—पात्रता	*Patrata*	
Eligible.—पात्र होना	*Patra hona*	
Emergency.—आपात	*Apata*	
Emergent.—आपाती	*Apati*	
Emigration.—उत्प्रवास	*Utpravasa*	
Emoluments.—उपलब्धियां	*Upalabdhiyan*	
Employer's liability.—नियोजक-दातव्य	*Niyojaka-datavya*	नियोजक-उत्तरवादिता, *Niyojaka-uttara-vadita*
Enact.—अधिनियम	*Adhiniyama*	
Encumbered estate—भारग्रस्त-सम्पदा	*Bharagrasta sampada*	
Endorse.—१. पृष्ठांकन, २. अंकन	*1. Prshthamkana* *2. Amkana*	
Endorsed.—१. पृष्ठांकित, २. अंकित	*1. Prshthamkita,* *2. Amkita*	
Endowment.—धर्मस्व	*Dharmasva*	
Engagements.—वचन-बन्ध	*Vacana-bandha*	
Engineering.—यन्त्र-शास्त्र	*Yantra-sastra*	
Enterprise.—उद्यम	*Udyama*	
Entitled.—हक्क होना	*Hakka hona*	
Entrust.—न्यस्त	*Nyasta*	सौंपना, *Saumpana*
Entry.—प्रविष्टि	*Pravishti*	दाखला, *Dakhala*
Equality.—समता	*Samata*	
Equal Protection of Laws.—विधियों का समान संरक्षण	*Vidhiyon ka samana samrakshana*	
Escheat.—राजगामी	*Rajagami*	
Establishment.—१. स्थापना, २. स्थापन करना	*1. Sthapana,* *2. Sthapana karana*	संस्थापन, *Samsthapana*
Estates.—संपदा	*Sampada*	

1	2	3
Estimates.—आंक	*Amka*	प्राक्कलन *Prakkalana*
Evidence.—साक्ष्य	*Sakshya*	
Excess profit.—अतिरिक्त लाभ	*Atirikta labha*	
Exclude—अपवर्जन करना	*Apavarjana karana*	
Exclusion.—अपवर्जन	*Apavarjana*	
Exclusive jurisdiction.—अनन्य क्षेत्राधिकार	*Ananya kshetradhikara*	
Executive.—कार्यपालिका	*Karyapalika*	
Executive power.—कार्यपालिका-शक्ति	*Karyapalika-sakti*	
Exempt.—मुक्त	*Mukta*	
Exercise.—प्रयोग	*Prayoga*	अनुष्ठान, *Anushthana*
Ex officio.—पदेन	*Padena*	
Expenditure.—व्यय	*Vyaya*	
Explanation.—व्याख्या	*Vyakhya*	स्पष्टीकरण, *Spashtikarana*
Explosives.—विस्फोटक	*Visphotaka*	
Export.—निर्यात	*Niryata*	
Extend.—विस्तार	*Vistara*	
External Affairs.—वैदेशिक कार्य	*Vaidesika Karya*	
Extradition.—प्रत्यर्पण	*Pratyarpana*	राज्यक्षेत्रातीत वर्तन, *Rajya kshetrati-ta vartana*
Extra territorial operations.—राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन	*Rajyakshetra-titapravart-ana*	

F

Factory.—कारखाना	*Karakhana*	
Faith.—धर्म	*Dharma*	श्रद्धा, *Sraddha*
Fare.—भाड़ा	*Bhara*	किराया, *Kiraya*
Federal Court.—फेडरलन्यायालय	*Fedaral nyaya-laya*	

1	2	3
Fees.—देय	*Deya*	फीस *Fis*
Finance.—वित्त	*Vitta*	
Finance bill.—वित्त-विधेयक	*Vitta-vidheyaka*	
Finance Commission.—वित्तायोग	*Vittayoga*	
Financial.—वित्तीय	*Vittiya*	
Financial obligation.—वित्तीय भार	*Vittiya bhara*	
Financial statement.—वित्तीय विवरण	*Vittiya vivarana*	
Fine.—अर्थ-दण्ड	*Artha-danda*	जुर्माना किया, *Jurmana Kiyc*
Fishery.—मीन-क्षेत्र	*Mina-kshetra*	मीन-पण्णै *Mina-pannai*
Forbid.—निषेध	*Nishedha*	
Forbidden.—निषिद्ध	*Nishiddha*	
Forces.—बल	*Bala*	
Foreign Affairs.—विदेशीय कार्य	*Videsiya Karya*	
Foreign exchange.—विदेशीय विनिमय	*Videsiya vinimaya*	
Form.—१. रूप २. प्रपत्र	1. *Rupa* 2. *Prapatra*	फारम, *Farama*
Formula.—सूत्र	*Sutra*	
Formulated.—सूत्रित	*Sutrit*	
For the time being.—तत्समय	*Tatsamaya*	
Freedom.—१. स्वतन्त्रता २. स्वातन्त्र्य	1. *Svatantrata* 2. *Svatantrya*	आज़ादी, *Azadi*
Freights.—वस्तु भाड़ा	*Vastu-bhara*	
Frontiers.—सीमान्त	*Simanta*	

1	2	3
Function.—कृत्य	*Krtya*	
Functioh, administrative.—प्रशासनीय कृत्य	*Prasasaniya krtya*	
Fund.—निधि	*Nidhi*	
Fund, sinking.—निक्षेप-निधि	*Nikshepa-nidhi*	
Future market.—वायदा बाजार	*Vayada bazara*	

G

1	2	3
Gambling.—द्यूत	*Dyuta*	जुआ, *Jua*
Gazette.—सूचना-पत्र	*Sucana-patra*	गजट, *Gajata*
General Election.—साधारण निर्वाचन	*Sadharana Nirvacana*	
Govern.—शासन करना	*Sasana karana*	
Governance.—शासन	*Sasana*	
Government.— १. सरकार २. शासन	1. *Sarakara,* 2. *Sasana*	
Government of a State.—राज्य की सरकार	*Rajya ki Sarakara*	
Government of India.—भारत सरकार	*Bharata Sarakara*	
Governor.- राज्यपाल	*Rajyapala*	
Grant.—अनुदान	*Anudana*	
Grant-in-aid.—सहायक अनुदान	*Sahayaka anudana*	
Gratuity.—उपदान	*Upadana*	
Guarantee.—प्रत्याभूति	*Pratyabhu'i*	
Guardian. संरक्षक	*Samrakshaka*	
Guidance.—मार्ग-प्रदर्शन	*Marga-pradarsana*	

1	2	3
H		
Habeas Corpus.—बन्दी प्रत्यक्षीकरण	*Bandi Pratya-kshikarana*	
Handicrafts.—हस्तशिल्प	*Hasta-silpa*	दस्तकारी, *Dastakari*
Hazardous.—संकटमय	*Samkatamaya*	
Headman.—मुखिया	*Mukhiya*	
High Court.—उच्चन्यायालय	*Uccanyayalaya*	
Honorarium.—मानदेय	*Manadeya*	संभावना, *Sambhavana*
House.—सदन	*Sadana*	
House of People.—लोक-सभा	*Loka-Sabha*	
I		
Illegal.—अवैध	*Avaidha*	
Illegal Practice.—अवैधाचरण	*Avaidhacarana*	
Immunity.—उन्मुक्ति	*Unmukti*	
Impeachment.—महाभियोग	*Mahabhiyoga*	
Implementing.—परिपालन	*Paripalana*	
Impose.—आरोपण	*Aropana*	लगाना, *Lagana*
Imprisonment.—कारावास	*Karavasa*	कैद, *Kaida*
Improvement trust.—सुधार-प्रन्यास	*Sudhara pranyasa*	
Incapacity.—असमर्थता	*Asamarthata*	
Incidental.—प्रासंगिक	*Prasamgika*	
Incompetency.—अक्षमता	*Akshamata*	
Incompetent.—अक्षम	*Akshama*	
Incorporation.—निगमन	*Nigamana*	
Incumbent of an office.—पदधारी	*Padadhari*	
Indebtedness.—ऋण ग्रस्तता	*Rna grastata*	
Industry.—उद्योग	*Udyoga*	
Ineligible.—अपात्र	*Apatra*	
Ineligibility.—अपात्रता	*Apatrata*	
Infants.—शिशु	*Sisu*	
Infectious.—सांक्रामिक	*Samkramika*	

1	2	3
Influence.—प्रभाव	*Prabhava*	
Influence undue.—अयुक्त प्रभाव	*Ayukta prabhava*	
Inheritance.—दाय	*Daya*	
Initiate.—उपक्रमण	*Upakramana*	
Injury.—क्षति	*Kshati*	
Inland waterways.—अन्तर्देशीय जलपथ	*Antardesiya jalapatha*	
Inoperative.—अप्रवृत्त	*Apravrtta*	
Inquiry.—परिप्रश्न	*Pariprasna*	जांच, *Jamca*
Insolvency.—दिवाला	*Divala*	
Inspection.—पर्यवेक्षण	*Paryavekshana*	
Institution.—संस्था	*Samstha*	
Instruction.—१. शिक्षा २. अनुदेश	1. *Siksha* 2. *Anudesha*	हिदायतें, *Hidayaten*
Instrument.—लिखत	*Likhata*	
Insurance.—बीमा	*Bima*	
Intercourse.—समागम	*Samagama*	
Interest.—व्याज	*Vyaja*	वृद्धि, *Vrddhi* सूद, *Suda*
International.—अन्तर्राष्ट्रीय	*Antarrashtriya*	
Interpretation.—निर्वचन	*Nirvacana*	
Intestacy—इच्छापत्रहीनत्व	*Icchapatra-hinatva*	निर्वसीयता, *Nirvasiyata*
Intestate.—इच्छापत्रहीन	*Icchapatrahina*	निर्वसीयता, *Nirvasiyata*
Introduce.—पुरःस्थापन	*Purahsthapana*	
Introduction.—पुरःस्थापना	*Purahsthapana*	
Invalid. अमान्य	*Amanya*	
Invalidity pensions.—असमर्थता-निवृत्ति वेतन	*Asamarthata-nivrttivetana*	
Investigation.—अनुसंधान	*Anusamdhana*	
Involve.—अन्तर्ग्र	*Antargrasana*	
Involved.—अन्तर्ग्रस्त	*Antargrasta*	
Irregularity— अनियमिता	*Aniyamita*	
Issue.—वाद-पद	*Vada-pada*	

1	2	3
J		
Joining Time.—योगकाल	*Yogakala*	
Joint family.—अविभक्त कुटुम्ब	*Avibhakta kutumba*	अविभक्त परिवार, *Avibhakta parivara*
Judge.—न्यायाधीश	*Nyayadhisa*	
Judge, Additional.—अपर न्यायाधीश	*Apara Nyayadhisa*	
Judge, extra.—अतिरिक्त न्यायाधीश	*Atirikta nyayadhisa*	
Judgment. निर्णय	*Nirnaya*	
Judicial power.—न्यायिक शक्ति	*Nyayika sakti*	
Judicial proceeding—न्यायिक कार्यवाही	*Nyayika karyavahi*	न्यायिक कार्यरीति, *Nyayika karyariti*
Judicial stamp.—न्यायिक मुद्रांक	*Nyayika mudramka*	
Judiciary. न्यायपालिका	*Nyayapalika*	
Jurisdiction.—क्षेत्राधिकार	*Kshetradhikara*	
Justice, Chief.—मुख्य न्यायाधिपति	*Mukhya Nyayadhipati*	
L		
Labour.—श्रम	*Srama*	
Labour Union.—श्रमिक संघ	*Sramika samgha*	
Land records. भू-अभिलेख	*Bhu-abhilekha*	
Land revenue. -भू-राजस्व	*Bhu-rajasva*	
Land tenures.— भू-धृति	*Bhu-dhrti*	
Law.—विधि	*Vidhi*	
Law of Nations.—राष्ट्रों की विधि	*Rashtron ki Vidhi*	
Legal.—विधि सम्बन्धी	*Vidhi sambandhi*	कानून सम्बन्धी, *Kanuna sambandhi*
Legislation.—विधान	*Vidhana*	
Legislative power.—विधायिनी शक्ति	*Vidhayini sakti*	
Legislative Assembly.—विधान-सभा	*Vidhana-Sabha*	
Legislative Council.—विधान-परिषद्	*Vidhana-Parishad*	
Legislature.— विधान-मंडल	*Vidhana-mandala*	

1	2	3
Letters of credit.—प्रत्यय-पत्र	*Pratyaya-patra*	
Levy.—१. आरोपण २. उद्ग्रहण	1. *Aropana* 2. *Udgrahana*	उगाहना, *Ugahana*
Liability.—दायित्व	*Dayitva*	
Libel.—अपमान-लेख	*Apamana-lekha*	
Liberty.—स्वाधीनता	*Svadhinata*	
Licences.—अनुज्ञप्ति	*Anujnapti*	लाइसेंस, *Licence*
Lieutenant Governor.—उपराज्यपाल	*Uparajyapal*	
Limitation.—परिसीमा	*Parisima*	
List.—सूची	*Suci*	
List Concurrent.—समवर्ती सूची	*Samavartti suci*	
List, State.—राज्य-सूची	*Rajya-suci*	
List, Union.—संघ-सूची	*Samgha-suci*	
Livelihood.—जीविका	*Jivika*	
Loans.—उधार	*Udhara*	
Local area.—स्थानीय क्षेत्र	*Sthaniya kshetra*	
Local authorities.—स्थानीय प्राधिकारी	*Sthaniya pradhikari*	
Local board.—स्थानीय-मंडली	*Sthaniya mandali*	स्थानीय गण, *Sthaniya Gana*
Local body.—स्थानीय निकाय	*Sthaniya nikaya*	
Local Government.—स्थानीय शासन	*Sthaniya Sasana*	
Local Self Government.—स्थानीय स्वशासन	*Sthaniya Svasasana*	
Lock up.—बन्दीखाना	*Bandikhana*	
Lower House.—प्रथम सदन	*Prathama Sadana*	
Lunacy.—उन्माद	*Unmada*	
Lunatic.—उन्मत्त	*Unmatta*	

M

Maintain.—१. पोषण २. बनाये रखना	1. *Poshana* 2. *Banae rakhana*	
Maintenance.—पोषण	*Poshana*	

1	2	3
Major.—वयस्क	*Vayaska*	
Majority.—बहुमत	*Bahumata*	
Mandamus.—परमादेश	*Paramadesa*	
Manufacture.—निर्माण	*Nirmana*	
Maritime shipping.- समुद्र-नौवहन	*Samudra-nauvahana*	
Maternity relief.—प्रसूति-सहायता	*Prasuti-sahayata*	प्रसूति-साहाय्य, *Prasuti sahayya*
Member.—सदस्य	*Sadasya*	
Memo.—ज्ञाप	*Jnapa*	
Memorandum.—ज्ञापन	*Jnapana*	
Memorial.—स्मारक	*Smaraka*	
Mental deficiency.—मनो-वैकल्य	*Mano-vaikalya*	
Mental weakness.—मनो-दौर्बल्य	*Mano-daurbalya*	
Merchandise marks.—पण्य चिह्न	*Panya cihna*	
Merchandise marine.- वणिक-पोत	*Vanik-pota*	
Message.—संदेश	*Samdesa*	
Migration.—प्रव्रजन	*Pravrajana*	
Military.—१. सेना २. सैनिक	1. *Sena* 2. *Sainika*	
Mind, unsound.—विकृत-चित्त	*Vikrt-citta*	
Mineral.—खनिज	*Khanija*	
Mineral resources.—खनिज-सम्पत्	*Khanija-sampat*	
Mining settlement.—खनिवसति	*Khani-vasati*	
Minister.—मंत्री	*Mantri*	
Minor.—अवयस्क	*Avayaska*	
Minority.—अल्पसंख्यक-वर्ग	*Alpasamkhyaka-varga*	
Misbehaviour.—कदाचार	*Kadacara*	
Modification.—रूपभेद	*Rupabheda*	
Money.—धन	*Dhana*	
Money bill.—धन विधेयक	*Dhana vidheyaka*	

1	2	3
Money-lender.—साहूकार	*Sahukara*	
Money lending.—साहूकारी	*Sahukari*	
Morality.—सदाचार	*Sadacara*	
Mortgage.—बन्धक	*Bandhaka*	
Motion. —प्रस्ताव	*Prastava*	
Motion for Consideration.—विचारार्थ प्रस्ताव	*Vicarartha prastava*	
Motion of Confidence.—विश्वास प्रस्ताव	*Visvasa-prastava*	
Motion of No-confidence.—अविश्वास-प्रस्ताव	*Avisvasa-prastava*	
Municipal area.—नगर-क्षेत्र	*Nagara-kshetra*	
Municipal Committee.—नगर-समिति	*Nagara-samiti*	
Municipal Corporation. नगर-निगम	*Nagara-nigama*	
Municipality.—नगर-पालिका	*Nagara palika*	
Municipal tramways.—नगर-रथ्यायान	*Nagara-rathya-yana*	नगर-ट्रांवे, *Nagara-tramve*

N

1	2	3
Nation.—राष्ट्र	*Rastra*	
National highways.—राष्ट्रीय राजपथ	*Rashtriya rajapatha*	
Naturalisation.—देशीयकरण	*Desiyakarana*	
Naval.—नौसेना सम्बन्धी	*Nausena sambandhi*	
Navigation.—नौ-परिवहन	*Nau-parivahana*	
Newspapers.—समाचार-पत्र	*Samacara-patr*	
Nominate.—नामनिर्देशन	*Namanirdesan*	मनोनयन, *Manonayana*
Notice.—१. सूचना २. सूचनापत्र	1. *Sucana,* 2. *Sucana-patra*	
Notice in writing.— लिखित सूचना	*Likhita sucana*	
Notification.—अधिसूचना	*Adhisucana*	

1	2	3
O		
Obligation.—आभार	*Abhara*	
Occupation.—उपजीविका	*Upajivika*	धंधा, *Dhamdha*
Octroi.—चुंगी	*Cumgi*	
Offence.—अपराध	*Aparadha*	
Office.—पद	*Pada*	
Officer.—पदाधिकारी	*Padadhikari*	
Official residence.—पदावास	*Padavasa*	
Opinion.—अभिप्राय	*Abhipraya*	राय, *Raya*
Order.— १.आदेश २.व्यवस्था	1. *Adesa* 2. *Vyavastha*	
Order in Council.- परिषद् आदेश	*Parishad-adesa*	
Order standing.- स्थायी आदेश	*Sthayi Adesa*	
Ordinance.—अध्यादेश	*Adhyadesa*	
Organization.—संघटन	*Samghatana*	
Own.—स्वामी होना	*Svami hona*	
Owner.—स्वामी	*Svami*	
Ownership.—स्वामित्व	*Svamitva*	
P		
Pardon.—क्षमा	*Kshama*	
Parliament.—संसद्	*Samsad*	
Party.—पक्ष	*Paksha*	
Partnership.—भागिता	*Bhagita*	
Pass.—पारण	*Parana*	
Passed.— पारित	*Parita*	तीर्ण, *Tirna*
Passport.—पारपत्र	*Para-patra*	
Patents.—एकस्व	*Ekasva*	
Pay.—वेतन	*Vetana*	
Peace.—शान्ति	*Santi*	
Pecuniary jurisdiction.—आर्थिक क्षेत्राधिकार	*Arthika kshetradhikara*	
Penalty.—शास्ति	*Sasti*	
Pending—१. लम्बित २. लम्बमान	1. *Lambita,* 2 *Lambamana*	

1	2	3
Pension.—निवृत्ति वेतन	*Nivrtti vetana*	
People.—लोक	*Loka*	जनता, *Janata*
Permission.—अनुज्ञा	*Anujna*	
Permit.—अनुज्ञा	*Anujna*	परमट, *Permat*
Perpetual succession.—शाश्वत उत्तराधिकार	*Sasvata Uttara dhikara*	
Perquisite.—परिलब्धि	*Parilabdhi*	
Person.—व्यक्ति	*Vyakti*	
Personal law.—स्वीय विधि	*Sviya vidhi*	
Petition.—याचिका	*Yacika*	अर्जी, *Arji*
Piracy.—जल-दस्युता	*Jala-dasyuta*	
Plead.—वकालत करना	*Vakalata karana*	
Pleader.—वकील	*Vakila*	
Police.—आरक्षक	*Arakshaka*	
Police Force.—आरक्षक बल	*Arakshaka Bala*	
Police Station.—थाना	*Thana*	
Policy of insurance.—बीमा-पत्र	*Bima-patra*	
Port quarantine.—पत्तन निरोधा	*Pattana nirodha*	
Possession.—स्ववश	*Svavasa*	कब्जा, *Kabja*
Posts.—{ १. पद २. स्थान	1. *Pada* 2. *Sthana*	 जगह, *Jagaha*
Power.—शक्ति	*Sakti*	
Preamble.—प्रस्तावना	*Prastavana*	
Preference.—अधिमान	*Adhi mana*	
Prejudice.—प्रतिकूल प्रभाव	*Pratikula prabhava*	
Preside.—पीठासीन	*Pithasina*	अध्यासीन, *Adhyasina*
President.—राष्ट्रपति	*Rashtrpati*	
Presiding officer.—अधिष्ठाता	*Adhishthata*	
Preventive detention.—निवारक निरोध	*Nivaraka nirodha*	
Prime Minister.—प्रधान मंत्री	*Pradhana Mantri*	

1	2	3
Prison.—कारावास	*Karavasa*	जेल, *Jela*
Prisoner.—काराबन्दी	*Karabandi*	कैदी, *Kaidi*
Privileges.—विशेषाधिकार	*Viseshadhikara*	
Procedure.—प्रक्रिया	*Prakriya*	
Process.—आदेशिका	*Adesika*	
Proclamation.—उद्घोषणा	*Udghoshana*	
Proclamation of Emergency.—आपात की उद्घोषणा	*Apata ki udghoshana*	
Production.—उत्पादन	*Utpadana*	
Profession.—वृत्ति	*Vrtti*	पेशा, *Pesa*
Profit.—लाभ	*Labha*	
Prohibited.—प्रतिषिद्ध	*Pratishiddha*	
Prohibition.—प्रतिषेध	*Pratishedha*	
Prohibition, writ of.—प्रतिषेध-लेख	*Pratisheda-lekha*	
Promissory note.—प्रमसरी नोट	*Pramisari nota*	वचन-पत्र, *Vacana-patra*
Promulgate.—प्रख्यापन	*Prakhyapana*	
Propagate.—प्रचार करना	*Pracara karana*	
Property.—१. सम्पत्ति; २. रिक्थ	*1. Sampatti* *2. Riktha*	आस्ति, *Asti*
Proportional representation.—अनुपाती प्रतिनिधित्व	*Anupati pratinidhitva*	
Proposal.—प्रस्थापना	*Prasthapana*	
Prorogue.—सत्रावसान	*Sattravasana*	
Prosecution.—१. अभियोजन २. अभियुक्ति	*1. Abhiyojana,* *2. Abhiyukti*	
Provided.—परन्तु	*Parantu*	
Provident fund.—भविष्य निधि	*Bhavishya nidhi*	
Province.—प्रान्त	*Pranta*	
provision—उपबन्ध	*Upabandha*	
Proxy.—प्रतिपत्री	*Pratipatri*	
Publication.—प्रकाशन	*Prakasana*	

1	2	3
Public debt.—राष्ट्र-ऋण	*Rashtra-rna*	
Public demands.—सार्वजनिक अभियाचना	*Sarvajanika abhiyacana*	सरकारी अभियाचना, *Sarakari abhiyacana*
Public health.—लोक स्वास्थ्य	*Loka-svasthya*	
Public notification.—सार्वजनिक अधिसूचना	*Sarvajanika adhisucana*	लोक-अधिसूचना *Loka adhisucana*
Public Order.— सावजनिक व्यवस्था	*Sarvajanika vyavastha*	
Public Service.—Commission लोक-सेवायोग	*Loka-sevayoga*	
Public Services.—लोक सेवाएं	*Loka-sevayen*	
Punish.—दंड देना	*Danda dena*	
Purporting to be done.—कर्तुमभिप्रेत	*Kartumabhi-preta*	
Qualification.— अर्हता	*Arhata*	
Quarantine.—निरोधा	*Nirodha*	
Question of Law.—विधि प्रश्न	*Vidhi-prasna*	
Quorum.—गणपूर्ति	*Ganapurti*	
Quo warranto.—अधिकार-पृच्छा	*Adhikara-prccha*	

R

Railway.—रेल	*Rela*	
Ratification.—अनुसमर्थन	*Anusamarthana*	
Ratify.—अनसमर्थन	*Anusamarthana*	
Reading, first.—प्रथम पठन	*Prathama pathana*	
Reading, second.—द्वितीय पठन	*Dvitiya pathana*	
Reading, third.—तृतीय पठन	*Trtiya pathana*	
Receipt.—प्राप्ति	*Prapti*	

1	2	3
Receipt (paper).—पावती	*Pavati*	रसीद, *Rasida*
Recommend.—सिपारिश करना	*Siparisa karana*	
Recommendation.—सिपारिश	*Siparisa*	
Record.—अभिलेख	*Abhilekha*	
Record, court of.—अभिलेख-न्यायालय	*Abhilekha-nyayalaya*	
Record of rights.—अधिकार अभिलेख	*Adhikara abhilekha*	
Recruitment.—भर्ती	*Bharti*	
Recurring.—आवर्त्तक	*Avarttaka*	
Redemption.—विमोचन	*Vimocana*	
Redemption charges.—विमोचनभार	*Vimocana bhara*	
Reference.—निर्देश	*Nirdesa*	
Reformatory.—सुधारालय	*Sudharalaya*	
to.—लौटाये जाने वाली	*Lautaye jane-vali*	
Regional Commissioners.—प्रादेशिक आयुक्त	*Pradesika Ayukta*	
Regional Councils.—प्रादेशिक-परिषद्	*Pradesika parishad*	
Regional Fund.—प्रादेशिक निधि	*Pradesika Ni*	
Register.—पंजी	*Pamji*	
Registered.—१. पंजीबद्ध २. निबद्ध	1. *Panjibaddha* 2. *Nibaddha*	नौंदना, *Naundanc*
Registration.—१. पंजीयन २. पंजीबन्धन ३. निबन्धन	1. *Panjiyan* 2. *Panjibandhan* 3. *Nibandhana*	
Regulate.—विनियमन	*Viniyamana*	
Regulation.—विनियम	*Viniyama*	
Relevancy.—सुसंगति	*Susamgati*	
Relevant.—सुसंगत	*Susamgata*	
Remedy.—उपचार	*Upacara*	
Reminder.—अनुस्मारक	*Anusmaraka*	
Remission.—परिहार	*Parihara*	
Removal.—हटाना	*Hatana*	
Remuneration.—पारिश्रमिक	*Parisramika*	
Rent.—भाटक		*ag ana*

1	2	3
Repeal.—निरसन	*Nirasana*	
Report.—प्रतिवेदन	*Prativedana*	
Representation.—प्रतिनिधित्व	*Pratinidhitva*	
Representative.—प्रतिनिधि	*Pratinidhi*	
Reprieve.—प्रविलम्बन	*Pravilambana*	
Repugnance.—विरोध	*Virodha*	
Repugnancy.—विरोध	*Virodha*	
Repugnant.—विरुद्ध	*Viruddha*	
Requisition.—अधिग्रहण	*Adhigrahana*	
Research.—गवेषणा	*Gaveshana*	शोधन, *Sodhana*
Reservation.—रक्षण	*Rakshana*	
Reserved forest.—रक्षित वन	*Rakshita vana*	
Resignation—पदत्याग	*Padatyaga*	
Resolution.—संकल्प	*Samkalpa*	
Respites.—विराम	*Virama*	
Restriction.—निर्बन्धन	*Nirbandhana*	
Retire.—निवृत्त होना	*Nivrtta hona*	
Retirement.—निवृत्ति	*Nivrtti*	
Revenue.—राजस्व	*Rajasva*	आगम, *Agama*
Review.—पुनर्विलोकन	*Punarvilokana*	
Revision.—पुनरीक्षण	*Punarikshana*	
Revoke.—प्रतिसंहरण	*Pratisamharana*	
Reward. पारितोषिक	*Paritoshika*	
Rights.—अधिकार	*Adhikara*	
Rule.—नियम	*Niyama*	
Rule of the road.—पथ-नियम	*Patha-niyama*	
Ruler.—शासक	*Sasaka*	

S

Safeguard. रक्षा-कवच	*Raksha-kavaca*	परित्राण, *Paritrana*
Salary.—वेतन	*Vetana*	
Sale.—विक्रय	*Vikraya*	
Sanction.—मंजूरी	*Manjuri*	
Sanction, previous.—पूर्व मंजूरी	*Purva manjuri*	

1	2	3
Savings.—व्यावृत्ति	*Vyavrtti*	
Schedule.—अनुसूची	*Anusuci*	
Scheduled area.—अनुसूचित क्षेत्र	*Anusucita Kshetra*	
Scheduled Caste.—अनुसूचित जाति	*Anusucita Jati,*	
Scheduled Tribes.—अनुसूचित जनजाति	*Anusucit-Jana jati*	अनुसूचित आदिमजाति *Anusucita adima-jati*
Seal.—मुद्रा	*Mudra*	
Seats.—स्थान	*Sthana*	
Sections.—विभाग	*Vibhaga*	
Security.—प्रतिभूति	*Pratibhuti*	
Sentence.—दंडादेश	*Dandadesa*	
Service.—सेवा	*Seva*	
Service charges.—सेवा-भार	*Seva-bhara*	
Session.—सत्र	*Sattra*	
Share.—अंश	*Amsa*	
Sheriff.—शेरीफ	*Serif*	
Single transferable vote.—एकल संक्रमणीय मत	*Ekala samkra-maniya mata*	
Sinking Fund.—निक्षेपनिधि	*Nikshepa nidhi*	
Sitting.—उपवेशन	*Upavesana*	बैठक, *Baithaka*
Slander.—अपमान-वचन	*Apamana-vacana*	
Social custom.—सामाजिक रूढ़ि	*Samajika rudhi*	
Social Insurance.—सामाजिक बीमा	*Samajika bima*	
Social Service.—सामाजिक सेवा	*Samajika seva*	
Sovereign.—प्रभु	*Prbhu*	
Sovereign Democratic Republic.—सपूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	*Sampurna Prabhutva Sampann Lokatantratmaka Ganarajya*	
Sovereignty.—प्रभुता	*Parbhuta*	
Speaker.—अध्यक्ष	*Adhyaksh*	
Speech, freedom of.—वाक्-स्वातन्त्र्य	*Vak-svatantrya*	
Staff.—कर्मचारी-वृन्द	*Karmacari vrnda*	
Stamp duties.—मुद्रांक-शुल्क	*Mudramka-sulka*	

1	2	3
Standing orders.—स्थायी आदेश	*Sthayi adesa*	
State.—राज्य	*Rajya*	
State funds.—राज्य-निधि	*Rajya-nidhi*	
Stock exchange. श्रेष्ठि-चत्वर	*Sreshthi-catvara*	
Sub-division.—उपविभाग	*Upa-vibhaga*	
Subject.—१. अधीन, २. विषय	*1. Adhina, 2. Vishaya*	
Subject matter.—वाद विषय	*Vada vishaya*	
Subordinate officer.—अधीन अधिकारी	*Adhina adhikari*	
Succession.—उत्तराधिकार	***Uttaradhikara***	
Successor.—उत्तराधिकारी	***Uttaradhikari***	
Sue.—व्यवहार लाना	***Vyavahara lana***	
Suffrage.—मताधिकार	***Matadhikara***	
Suit, Civil.—व्यवहार वाद	***Vyavahara vada***	
Summon.—आह्वान	***Ahvana***	
Superintendence.—अधीक्षण	*Adhikshana*	
Superintendent.—अधीक्षक	*Adhikshaka*	
Supplementary.—अनुपूरक	*Anupuraka*	
Supplementary grant.—अनुपूरक अनुदान	*Anupuraka anudana*	
Supreme Command.—सर्वोच्च समादेश	*Sarvocca samadesa*	
Supreme Court.—उच्चतमन्यायालय	*Uccatama-nyayalaya*	
Suspend.—निलम्बन	*Nilambana*	
Suspension.—निलम्बन	*Nilambana*	

T

Taxes.—कर	***Kara***	
Tax, Callings.—आजीविका-कर	***Ajivika-kara***	
Tax, Capitation.—प्रतिव्यक्ति-कर	***Prativyakti-kara***	
Tax, Corporation.—निगम-कर	***Nigama-kara***	
Tax, Employment.—नौकरी-कर	***Naukari-kara***	

1	2	3
Tax, Entertainment.—प्रमोद-कर	*Pramoda-kara*	
Tax, Export.—निर्यात कर	*Niryata Kara*	
Tax, Profession.—वृत्ति-कर	*Vriti-kara*	
Tax, Income.—आय-कर	*Aya-kara*	
Tax, Sales.—विक्रय-कर	*Vikraya-kara*	
Tax, Terminal.—सीमा-कर	*Sima-kara*	
Tax, Trades.—व्यापार-कर	*Vyapara-kara*	
Technical training.—शिल्पी प्रशिक्षण	*Silpi-prasi-kshana*	
Tenant.—किसान	*Kisana*	
Tender, legal.—विधि-मान्य	*Vidhi-manya*	
Tenure.—पदावधि	*Padavadhi*	
Term.—निबन्धन	*Nibandhana*	
Territorial charges.—प्रादेशिक भार	*Pradesika bhara*	
Territorial Jurisdiction.—प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	*Pradesika kshetradhikara*	
Territorial Waters.—जल-प्रांगण	*Jala-pramgana*	
Territory.—राज्य-क्षेत्र	*Rajya-kshetra*	
Tidal waters.—वेला-जल	*Vela-jala*	ज्वार जल, *Jwara jala*
Title.—हक्क	*Hakka*	
Tolls.—पथ-कर	*Patha-kara*	
Trade.—व्यापार	*Vyapara*	
Trademarks.—व्यापार चिह्न	*Vyapar china*	
Trade Union.—कार्मिक संघ	*Karmika Samgha*	व्यापार संघ, *Vyapara Samgha*
Traffic.—यातायात	*Yatayata*	
Traffic in human beings.—मानव-पणन	*Manava-pan-ana*	
Training.—प्रशिक्षण	*Prasikshana*	
Tramcar.—रथ्यायान	*Rathyayana*	
Tramway.—ट्राम	*Trama*	ट्रामगाड़ी, *Tramagadi*
Tranquillity.—प्रशान्ति	*Prasanti*	
Transfer.—१ स्थानांतरण, २ हस्तान्तरण	1 *Sthanantarana* 2 *Hastantarana*	

1	2	3
Transition.—संक्रमण	*Samkramana*	
Transport.—परिवहन	*Parivahana*	
Transportation.—निर्वासन	*Nirvasana*	
Treasure troves.—निखात-निधि	*Nikhata-nidhi*	
Treaty.–सन्धि	*Samdhi*	
Tribal Area.—जनजाति-क्षेत्र	*Janajati-kshetra*	
Tribe.—जन-जाति	*Jana-jati*	
Tribunal.—न्यायाधिकरण	*Nyayadhi-karana*	
Triennial.—त्रैवार्षिक	*Traivarshika*	
Trust.—न्यास	*Nyasa*	

U

Undischarged.—अनुन्मुक्त	*Anunmukta*	
Unemployment.—बेकारी	*Bekari*	
Union.—संघ	*Samgha*	
Unit.—एकक	*Ekaka*	
Unsoundness of mind.—चित्त-विकृति	*Citta-vikrti*	

V

Vacancies.—रिक्त स्थान	*Rikta sthana*	
Vacancy.—१. रिक्ति, २. रिक्तता	*1. Rikti, 2. Riktata*	
Vagrancy.—आहिंडन	*Ahindana*	आवारागर्दी, *Avaragardi*
Validity.—मान्यता	*Manyata*	
Vice-President.—उपराष्ट्रपति	*Uparashtrapat*	
Village Councils.—ग्राम-परिषद्	*Grama-parishad*	
Violation.—अतिक्रमण	*Atikramana*	

1	2	3
Visas.—द्रष्टांक	*Drshtamka*	वीसा, *Visa*
Vocation.—व्यवसाय	*Vyavasaya*	
Void.—शून्य	*Sunya*	
Vote.—मत	*Mata*	
Vote, casting.—निर्णायक मत	*Nirnayaka mata*	
Voter.—मतदाता	*Matadata*	वोट-दाता, *Vota-data*
Votes on account.—लेखानुदान	*Lekhanudana*	गणनानुदान, *Gananudana*
Votes of credit.—प्रत्ययानुदान	*Pratyaya-nudana*	

W

Wage.—मजूरी	*Majuri*	
Wage, living.—निर्वाह-मजूरी	*Nirvaha-majuri*	
Warrant.—अधिपत्र	*Adhipatra*	
Will.—इच्छा-पत्र	*Iccha-patra*	विल, *Wil*; वसीयत, *Vasiyata*
Winding up.—समापन	*Samapana*	
Writ.—लेख	*Lekha*	

अ

अक्षम.—Incompetent
अक्षमता.— Incompetency
अग्रिम धन.—Advance
अतिक्रमण.—Violation
अतिरिक्त न्यायाधीश .—Judge, extra
अतिरिक्त लाभ. Excess profit
अधिकरण.—Tribunal
अधिकार.—Right
अधिकार-अभिलेख.—Record of rights
अधिकार-पृच्छा .—Quo warranto
अधिग्रहण.—Requisition
अधिनियमन(n).—Act
अधिनियम (v.).—Enact
अधिपत्र.—Warrant
अधिभार.—Sur-charge
अधिमान.—Preference
अधिवक्ता.—Advocate
अधिवास.—Domicile
अधिवासी.—Domiciled
अधिष्ठाता.—Presiding officer
अधिसूचना.—Notification
अधीक्षक.—Superintendent
अधीक्षण.—Superintendence
अधीन.—Subject
अधीन अधिकारी.—Subordinate Officer
अधीन न्यायालय.—Subordinate Court
अध्यक्ष.—Speaker
अध्यादेश.—Ordinance
अध्यासीन होना.—Preside
अनन्य क्षेत्राधिकार.—Exclusive Jurisdiction
अनर्हता.—Disqualification
अनर्हकरण.—Disqualify
अनियमिता.—Irregulaty
अनुकूलन.—Adaptation
अनुच्छेद.—Article
अनुज्ञप्ति.—Licence
अनुज्ञा (v.)—Permit,
अनुज्ञा (n.).—Permission
अनुदान.—Grant
अनुदेश.—Instruction
अनुन्मुक्त.—Undischarged
अनुपाती प्रतिनिधित्व.—Proportional representation
अनुपूरक.—Supplementary
अनुपूरक अनुदान.—Supplementary grant
अनुमति. —Assent
अनुमोदन (v.).—Approve
अनुमोदन (n.).—Approval
अनुशासन .—Discipline
अनुशासन सम्बन्धी.—Disciplinary
अनुषक्ति.— Adherence
अनुष्ठान. - Exercise
अनुसमर्थन (n.)—Ratification
अनुसमर्थन (v.)—Ratify
अनुसंधान (v.)—Investigate
अनुसंधान (n.)—Investigation
अनुस्मारक.—Reminder
अनुसूचित क्षेत्र.—Scheduled area
अनुसूचित जनजाति.—Scheduled Tribe
अनुसूचित जाति.—Scheduled Caste
अनुसूची.—Schedule
अन्तर्ग्रसन.—Involve
अन्तर्ग्रस्त.—Involved
अन्तर्देशीय जलपथ.—Inland waterway
अन्तर्राष्ट्रीय.—International
अन्तःकरण.— Conscience
अन्य-देशीय.—Aliens
अन्य-संक्रामण (v.)—Alienate

अन्य-संक्रामण (n.).—Alienation
अपमान लेख.—Libel
अपमान-वचन.—Slander
अपमिश्रण.— Adulteration
अपर-न्यायाधीश — Additional-judge
अपराध.– Crime
अपराध.– Offence
अपराधी. Criminal
अपवर्जन (v.).—Exclude
अपवर्जन (n.).—Exclusion
अपात्र —Ineligible
अपात्रता.—Ineligibility
अपील.—Appeal
अपील न्यायालय.—Court of Appeal
अप्रवृत्त. Inoperative
अभिकथन.— Allegation
अभिकरण.— Agency
अभिकर्ता.— Agent
अभिप्राय.—Opinion
अभियाचना.—Demand
अभियुक्त.—Accused
अभियुक्ति.— Charge
अभियुक्ति.—Prosecution
अभियोग.—Accusation
अभियोजन.—Prosecution
अभियोज्य दोष.—Actionable wrong
अभिरक्षा.—Custody
अभिलेख.—Record
अभिलेख न्यायालय.—Court of record
अभिशस्त.—Convicted
अभिशस्ति.—Conviction
अभिसमय.— Convention
अभ्यर्थी.—Candidate
अमान्य. Invalid
अयुक्त प्रभाव.—Undue influence
अर्जन.— Acquisition
अर्जी. —Petition
अर्थ करना.—Construe
अर्थ दण्ड.—Fine
अर्हता.—Qualification
अल्पसंख्यक वर्ग.— Minority
अल्पीकरण. —Derogation
अवधिदान.—Adjourn
अवमान.—Contempt
अवयस्क.—Minor
अविभक्त कुटुम्ब.—Joint family
अविभक्त परिवार.—Joint family
अविश्वास-प्रस्ताव.—Motion of no confidence
अवैध.— Illegal
अवैधाचरण.— Illegal practice
असमर्थता.—Incapacity
असमर्थता-निवृत्ति वेतन.— Invalidity pension
असैनिक.— Civil
असैनिक शक्ति.—Civil power
अहितकारी.— Detrimental
अंकन. —Endorse
अंकित.—Endorsed
अंग.—Unit
अंश.—Share
अंशदान.— Contribution

आ

आकलन (v).—Credit
आकस्मिकता निधि.—Contingency Fund
आचार.— Custom
आजादी.—Freedom
आजीविका.—Callings
आजीविका-कर.—Callings tax
आज्ञप्ति.—Decree
आदेश.—Order
आदेशिका.— Process
आनुषंगिक.— Consequential
आपराधिक.— Criminal

आपात.—Emergency
आपाती.—Emergent
आपात की उद्घोषणा.—Proclamation of omergency
आभार.—Obligation
आय-कर.—Income tax
आयात-शुल्क.—Import duty
आयुक्त.—Commissioner
आयोग.—Commission
आरक्षक.—Police
आरक्षक बल.—Police Force
आरोप.—Allegation
आरोपण करना.—Imposo
आरोपण.—Levy
आर्थिक.—Economic
आर्थिक क्षेत्राधिकार.—Pecuniary jurisdiction
आवर्त्तक.—Recurring
आवारागरदी.—Vagrancy
आवेदन-पत्र.—Application
आस्ति.—Property
आहिंडन.—Vagrancy
आह्वान.—Summon
आंक.—Estimate

इ

इच्छा-पत्र.—Will
इच्छा-पत्रहीन.—Intestate
इच्छा-पत्र हीनत्व.—Intostacy

उ

उगाहना.—Levy (v)
उच्चतमन्यायालय.—Suprome Court
उच्चन्यायालय.—High Court
उत्तराधिकार.—Succession
उत्तराधिकार-शुल्क.—Succession duty
उत्तराधिकारी.—Successor
उत्तरवादिता.—Liability
उत्पादन.—Production
उत्पादन-शुल्क.—Exciso duty
उत्प्रवास.—Emigration
उत्प्रेषण-लेख.—Certiorari
उद्ग्रहण.—Levy (n.)
उद्घोषणा.—Proclamation
उद्भव.—Descent
उद्यम.—Enterprise
उद्योग.—Industry
उधार.—Loan
उधार-ग्रहण.—Borrowing
उन्मत्त.—Lunatic
उन्माद.—Lunacy
उन्मुक्ति.—Immunity
उपकर.—Cess
उपक्रमण.—Initiato
उपचार.—Remedy
उपजीविका.—Occupation
उपदान.—Gratuity
उपदेश.—Advisory
उपनिर्वाचन.—Byo-election
उपनिवेशन.—Colonization
उपबन्ध.—Provision
उपभोग.—Consumption
उपराज्यपाल.—Lieutonant Governor
उपराष्ट्रपति.—Deputy Prosident
उपराष्ट्रपति.—Vice Prosident
उपलब्धि.—Emolument
उपविभाग.—Sub-division
उपवेशन.—Sitting
उपविधि.—Byo-law
उपसभापति.—Deputy Chairman
उपस्थित होना.—Appear
उपाध्यक्ष.—Deputy Speaker
उपायुक्त.—Deputy Commissionor
उपायोजन.—Employment
उपार्जित.—Accrued

उम्मेदवार.— Candidate
उल्लंघन.— Contravention

ऋ

ऋण.— Debt
ऋणग्रस्तता.— Indebtedness
ऋण-पत्र.—Debenture

ए

एकक.—Unit
एकल निगम.— Corporation, Sole
एकल संक्रमणीय मत.—Single transferable vote
एकस्व.— Patent

क

कटक.—Cantonment
कणकु.— Account
कदाचार.—Misbehaviour
कब्जा.—Possession
कम्पनी.—Company
कर.—Tax
करार.— Agreement
कर्तव्य.—Duty
कर्त्तुमभिप्रेत.— Purporting to be done

कर्मचारी-वृन्द—Staff
कानून सम्बन्धी.— Legal
कारखाना.— Factory
कारबार.— Business
कारागार.— Prison
कारावन्दी.— Prisoner
कारावास.—Imprisonment
कार्मिक संघ.—Trade Union
कार्य.— Business
कार्यकारी.— Acting
कार्यपालिका शक्ति.—Executive power
कार्यपालिका.— Executive

कालदान.—Adjourn
कावल.—Custody
कांजी हौस.— Cattle pound
किराया.— Fare
किसान.—Tenant
कुर्की—Attach.

कृति स्वाम्य.— Copyright
कृत्य.—Function
केन्द्रीय गुप्त-वार्त्ता विभाग.—Central Intelligence Bureau
कैद.— Imprisonment
कैदी.—Prisoner

क्षति.— Injury
क्षतिपूर्ति बिल.—Bill of indemnity

क्षमताशाली.— Competent
क्षमा.—Pardon
क्षेत्र.—Area
क्षेत्राधिकार.— Jurisdiction

ख

खनिज.—Mineral
खनि-वसति.— Mining settlement
खनिज-सम्पत्.— Mineral resources
खर्च.— Cost
खंड.—Clause

ग

गजट.—Gazette
गणना.— Account
गणनानुदान—Vote on account
गणना-परीक्षा.— Audit
गणपूर्त्ति.—Quorum
गवेषणा.— Research
गूढ़ पत्र.—Ballot

ग्राम-परिषद्.—Village Council
ग्राह्य.—Admissible

घ

घोषणा.—Declaration

च

चट्टम.—Act (n.)
चर्चा.—Discussion
चल अर्थ.—Currency
चलावणी.—Currency
चित्तविकृत्ति.—Unsoundness of mind
चिन्ह.—Mark
चुकती.—Agreement
चुने हुए.—Elected
चुंगी.—Octroi
चैक.—Cheque

छ

छावनी.—Cantonment

ज

जगह.—Post
जनगणना.—Census
जन-जाति.—Tribe
जनजाति-क्षेत्र.—Tribal Area
जनजाति-परिषद्.—Tribal Council
जल-दस्युता.—Piracy
जल-प्रांगण.—Territorial waters
जामिन.—Bail
जांच करना.—Inquire
जिला.—District
जिला-गण.—District Board
जिला-निधि.—District Fund
जिला-न्यायालय.—District Court
जिला-परिषद्.—District Council
जिला-मंडली.—District Board

जीविका.—Livelihood
जुआ.—Gambling
जुर्माना किया.—Fined
जेल.—Prison
ज्वार-जल.—Tidal waters

झ

झाप—Memo
झापन.—Memorandum

ट

टंकण.—Coinage
टांच.—Attach

ट्राम.—Tramway
ट्रामगाड़ी.—Tramcar

ड

डिक्री.—Decree

त

तत्समय.—For the time being
तत्स्थानी.—Corresponding
तदर्थ.—Ad hoc
तीर्ण.—Passed
तीर्व.—Assessment
तृतीय पठन.—Third reading
त्रैवार्षिक.—Triennial

थ

थाना.—Police Station

द

दत्तक-ग्रहण.—Adoption
दत्तक-स्वीकरण.—Adoption
दस्तकारी.—Handicraft
दस्तावेज.—Document
दंड देना.—Punish
दंड-न्यायालय.—Criminal Court

दंड-विधि.—Criminal law
दंड-सम्बन्धी.—Criminal
दंडादेश.—Sentence
दंडाधिकारी-न्यायालय.—Magistrate's Court
दाखला.—Entry
दातव्य.—Charities
दाय.—Inheritance
दायित्व.—Liability
दावा.—Claim
दिवाला.—Bankruptcy
दिवाला.—Insolvency
दीवानी.—Civil
दीवानी-अदालत.—Civil Court
दृष्टांक.—Visas
देय.—Fee
देशीयकरण.—Naturalisation
दोघरा.—Bi-cameral
दोष-प्रमाणित.—Convicted
दोष-सिद्धि.—Conviction
दोषारोप.—Charge (Cr.)
द्यूत.—Gambling
द्विगृही.—Bi-cameral
द्वितीय-पठन.—Second reading

ध

धन.—Money
धन-विधयक.—Money-bill
धर्म.—Faith
धर्मस्व.—Endowments
धंधा.—Occupation

न

नक्ष.—Design
नगरक्षेत्र.—Municipal area
नगर-ट्रामवे.—Municipal Tramway
नगर-निगम.—Municipal Corporation
नगर-पालिका.—Municipality
नगर-रथ्यायान—Municipal Tram
नगर-समिति.—Municipal Committee
नागरिकता.—Citizenship
नाम-निदर्शन.—Nominate
नावधिकरण.—Admiralty
निकाय.—Body
निक्षेप-निधि.—Sinking Fund
निखात-निधि.—Treasure trove
निगम.—Corporation
निगम-कर.—Corporation tax
निगमन.—Incorporation
निगम-निकाय.—Body, Corporate
निदेश.—Direction
निधि.—Fund
निबद्ध.—Registered
निबन्धन.—Registration
निबन्धन.—Term
नियन्त्रक महालेखापरीक्षक.—Comptroller and Auditor-General
नियन्त्रण.—Control
नियम.—Rule
नियुक्ति.—Appointment
नियोजक-उत्तरदायिता.—Employer's liability
नियोजक-दातव्य.—Employer's liability
निरसन.—Repeal
निराकरण करना.—Abrogate
निरोध.—Custody
निरोधा.—Quarantine
निर्णय.—Judgment
निर्णायक मत.—Casting vote
निर्देश.—Reference
निर्धारण.—Assessment

निर्बन्धन.—Restriction
निर्माण.—Manufacture
निर्यात.—Export
निर्यात-कर.—Export tax
निर्यात-शुल्क.—Export duty
निर्योग्यता.—Disability
निर्वचन.—Interpretation
निर्वसीयत.—Intestate
निर्वसीयता.—Intestacy
निर्वहन.—Discharge
निर्वाचक-गण.—Electoral college
निर्वाचक नामावली.—Electoral rolls
निर्वाचन (v.).—Elect
निर्वाचन (n.).—Election
निर्वाचन-अधिकरण.—Election Tribunal
निर्वाचन-आयुक्त.—Election Commissioner
निर्वाचन-क्षेत्र.—Constituency
निर्वाचित.—Elected
निर्वासन.—Transportation
निर्वाह मजूरी.—Living wage
निलम्बन (v.).—Suspend
निलम्बन(n.).—Suspension
निवारक-निरोध.—Preventive detention
निवृत्त होना.—Retire
निवृत्ति.—Retirement
निवृत्ति-वेतन.—Pension
निषेध.—Forbid
निषिद्ध.—Forbidden
निष्ठा.—Allegiance
नौंदना.—Register (v.)
नौकरी.—Employment
नौकरी-कर.—Employment-tax
नौकाधिकरण.—Admiralty
नौ-परिवहन.—Navigation
नौ-सेना सम्बन्धी.—Naval
न्यस्त करना.—Entrust
न्यायपालिका.—Judiciary
न्यायाधिकरण.—Tribunal
न्यायाधिपति.—Justice
न्यायाधीश.—Judge
न्यायालय.—Court
न्यायालय-अवमान.—Contempt of court
न्यायिक-कार्यरीति.—Judicial proceeding
न्यायिक-कार्यवाही.—Judicial proceeding.
न्यायिक मुद्रांक.—Judicial stamps
न्यायिक शक्ति.—Judicial power
न्यास.—Trust
न्यूनन.—Abridge

प

पक्ष.—Party
पण लगाना.—Bet
पण क्रिया.—Betting
पण्य चिह्न.—Merchandise Mark
पत.—Credit (n.)
पत्तन-निरोधा.—Port quarantine
पथ-कर.—Toll
पथ-नियम.—Rule of the road
पद.—Post
पद.—Office
पदच्युत करना.—Dismiss
पदत्याग.—Resignation
पदधारी.—Incumbent of an office
पदाधिकारी.—Officer
पदावधि.—Tenure
पदावास.—Official residence
पदेन.—Ex-officio
परकीकरण.—Alienation
परमादेश.—Mandamus
परन्तु.—Provided
परमट.—Permit (n.)

परामर्श.— Consultation
परित्यजन. Abandonment
परित्याग.— Abandonment
परित्राण.—Safeguard
परिपालन.— Implement
परिप्रश्न.— Inquiry
परिलब्धि.—Perquisite
परिवहन.— Transport
परिवहन.— Carriage
परिव्यय.—Cost
परिषद्.— Council
परिषद्-आदेश.—Order in Council
परिसीमन. —Delimitation
परिसीमा.— Limitation
परिहार.-- Remission
परिहार विधेयक.— Bill of Indemnity
परोक्ष निर्वाचन.—Indirect election
पर्यवेक्षण.—Inspection
पर्यालोचन.—Deliberate
पशु-अवरोध.— Cattle Pounds
पंचाट.—Award
पंजी.—Register
पंजी.—Registered
पंजीबन्धन.— Registration
पंजीयन.—Registration
पात्रता.— Eligibility
पात्र.—Eligible
पार-पत्र.—Passport
पारण.— Pass
पारित.— Passed
पारितोषिक.—Reward
पारिश्रमिक.— Remuneration
पावती.—Receipt (paper)
पीठासीन होना.—Preside
पीठासीनपदाधिकारी.—Presiding officer
पुनरीक्षण.—Revision
पुनर्विचार-न्यायालय.—Court of Appeal
पुनर्विलोकन.—Review
पुरःस्थापन.- Introduce
पुरःस्थापना.—Introduction
पूर्त.—Charity
पूर्त धार्मिक धर्मस्व.— Charitable and religious endowment
पूर्त संस्था.— Charitable institution
पूर्व मंजूरी.— Previous sanction
पूर्व सम्मति.—Previous consent
पूंजी.— Capital
पृष्ठांकन.— Endorse
पृष्ठांकित.—Endorsed
पेशगी.— Advance
पेशा.—Profession
पोषण.— Maintenance
पोषण करना.— Maintain
पौरत्व.—Citizenship
प्रकट करना.—Discovery
प्रकाशन.— Publication
प्रक्रिया.— Procedure
प्रख्यापन. -Promulgate
प्रग्रहण.— Arrest
प्रचलित.—Current
प्रचार करना.— Propagate
प्रतिकर.—Compensation
प्रतिकूल असर डालना.—Affect prejudicially
प्रतिकूलता.-- Contravention
प्रतिकूल प्रभाव.-- Prejudice
प्रतिकूल प्रभाव डालना.— Affect prejudicially
प्रति-कृति.—Copy
प्रतिज्ञान.—Affirmation
प्रतिनिधि.—Representative
प्रतिनिधित्व.—Representation
प्रतिपत्री— Proxy

प्रतिपालक अधिकरण.—Court of wards
प्रतिभूति.—Security
प्रतिरक्षा.—Defence
प्रतिलिपि.—Copy
प्रतिलिप्यधिकार.—Copyright
प्रतिवेदन.—Report
प्रतिव्यक्ति-कर.—Capitation tax
प्रतिषिद्ध.—Prohibited
प्रतिषेध.—Prohibition
प्रति-शुल्क.—Countervailing duties
प्रतिषेध लेख.—Writ of prohibition
प्रतिसंहरण.—Revoke
प्रत्यक्ष निर्वाचन.—Direct election
प्रत्यय.—Credit
प्रत्यय-पत्र.—Letters of credit
प्रत्ययानुदान.—Votes of credit
प्रत्यर्पण.—Extradition
प्रत्याभूति.—Guarantee
प्रथम पठन.—First reading
प्रथम-सदन.—Lower House
प्रधान-मंत्री.—Prime Minister
प्रपत्र.—Form
प्रभाव.—Influence
प्रभु.—Sovereign
प्रभुता.—Sovereignty
प्रमाण-पत्र.—Certificate
प्रमाणीकरण.—Authentication
प्रमोद-कर.—Entertainment tax
प्रयुक्ति.—Application
प्रयोग.—Application
प्रयोग.—Exercise
प्रविलम्बन.—Reprieve
प्रवर-समिति.—Select Committee
प्रविष्टि.—Entry
प्रवेश.—Access
प्रवेशन.—Accession
प्रव्रजन.—Migration
प्रशान्ति.—Tranquillity
प्रशासन.—Administration
प्रशासन.—Administer
प्रशासन कार्यक्षमता.—Efficiency of administration
प्रशासन कार्यपटुता.—Efficiency of administration
प्रशासनीय.—Administrative
प्रशासनीय कृत्य.—Administrative functions
प्रशासित.—Administered
प्रशिक्षण.—Training
प्रसंग.—Context
प्रसारण.—Broadcasting
प्रसूति साहाय्य.—Maternity relief
प्रसूति सहायता.—Maternity relief
प्रस्ताव.—Motion
प्रस्तावना.—Preamble
प्रस्थापना.—Proposal
प्राक्कलन.—Estimate
प्रादेशिक आयुक्त.—Regional Commissioner
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार.—Territorial jurisdiction
प्रादेशिक निधि.—Regional Fund
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र.—Territorial constituency
प्रादेशिक परिषद्.—Regional Council
प्रादेशिक भार.—Territorial charges
प्राधिकार.—Authority (ab.)
प्राधिकारी.—Authority (con.)
प्राधिकृत.—Authorised
प्रान्त.—Province
प्रापण.—Accrue
प्राप्त होना.—Accrue

प्राप्ति.—Receipt
प्रामिसरी नोट.—Promissory note
प्रासंगिक.—Incidental
प्रोद्भवन.—Accrue
प्रोद्भूत.—Accrued

फ

फरियाद.—Complaint
फारम.—Form
फीस.—Fees
फेडरलन्यायालय.—Federal Court

ब

बंटवारा.—Allocation
बनाये रखना.—Maintain (v.)
बनाये रखना.—Maintenance (v.)
बन्दी करना.—Arrest
बन्दी प्रत्यक्षीकरण.—Habeas Corpus
बन्धक.—Mortgage
बल.—Forces
बहिःशुल्क.—Custom duty
बहुमत.—Majority
बांट.—Allotment
बिल.—Bill
बीमा.—Insurance
बीमा-पत्र.—Policy of insurance

बेकारी.—Unemployment
बैठक.—Sitting
बैंक.—Bank
बोर्ड—Board

भ

भत्ता.—Allowance
भविष्य-निधि.—Provident Fund
भर्ती.—Recruitment
भागिता.—Partnership
भाटक.—Rent
भाड़ा.—Fare
भार.—Charge
भारग्रस्त सम्पदा.—Encumbered estates
भारत सरकार.—Government of India
भारित करना.—Charge
भू-अभिलख.—Land Records
भू-धृति.—Land tenures
भू-राजस्व.—Land Revenue
भ्रष्ट.—Corrupt

म

मजूरी.—Wage
मण्डल.—District
मण्डल न्यायालय.—Court, District
मण्डलाधीश.—Deputy Commissioner
मण्डलायुक्त.—Deputy Commissioner
मण्डली.—Board
मत.—Vote
मतदाता.—Voter
मतदान.—Voting
मताधिकार.—Suffrage
मतिमान्द्य.—Dullness
मध्यस्थ-न्यायाधिकरण.—Arbitral tribunal
मध्यस्थ.—Arbitrator
मध्यस्थ-निर्णय.—Arbitration
मनोदौर्बल्य.—Mental weakness
मनोनयन.—Nominate
मनोवैकल्य.—Mental defficiency
मन्त्रणा.—Advice
मन्त्रणा देना.—Advise
मन्त्रणा-परिषद्.—Advisory Council

मन्त्रि-परिषद्.—Council of Ministers
मन्त्री.—Minister
मरण-शुल्क.—Death duty
महाजनी.—Banking
महाधिवक्ता.—Advocate-General
महान्यायवादी.—Attorney-General
महाप्रशासक.—Administrator General
महालेखापरीक्षक.—Auditor-General
महाभियोग.—Impeachment
मंजूरी.—Sanction
मानदेय.—Honorarium
मानव-पण्य.—Traffic in human beings
मान-हानि.—Defamation
मान्यता.—Validity
मार्ग-प्रदर्शन.—Guidance
मांग.—Demand
मीन क्षेत्र—Fishery
मीन-पण्य.—Fishery
मुक्त.—Exempt
मुखिया.—Headman
मुख्य—Chief
मुख्य-आयुक्त.—Chief Commissioner
मुख्य-निर्वाचन-आयुक्त.—Chief Election-Commissioner
मुख्य-न्यायाधिपति.—Chief Justice
मुख्य-न्यायाधीश.—Chief Judge
मुख्य-मंत्री.—Chief Minister
मुद्रा.—Seal
मुद्रांक-शुल्क.—Stamp duty
मूलधन.—Capital
मूलधन-मूल्य.—Capital value

य

यथास्थिति.—As the case may be
यन्त्र-शास्त्र.—Engineering
याचिका.—Petition
यातायात.—Traffic
योगकाल.—Joining time

र

रक्षण.—Reservation
रक्षाकवच.—Safeguard
रक्षित वन.—Reserved forest
रथ्यायान.—Tramcar
रद्द करना.—Annulment
रसीद.—Receipt
राजगामी.—Escheat
राजनय.—Diplomacy
राजस्व.—Revenue
राजस्व-न्यायालय.—Revenue Court
राज्य.—State
राज्य की सरकार.—Government of a State
राज्य-क्षेत्र.—Territory
राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन—Extra territorial operation
राज्य-निधि.—State Fund
राज्य-परिषद्.—Council of States
राज्यपाल.—Governor
राज्य-सूची.—State-List
राय.—Opinion
राशि.—Amount
राष्ट्र.—Nation
राष्ट्र-ऋण.—Public debt
राष्ट्रपति.—President
राष्ट्रपति-प्रसाद पर्यन्त.—During the pleasure of the President
राष्ट्रीय-राजपथ.—National highways
राष्ट्रों की विधि.—Laws of Nations

रिक्तता.—Vacancy
रिक्त स्थान.—Vacancy
रिक्ति.—Vacancy
रिक्थ —Property
रुकावट.—Bar
रूढ़ि.—Custom
रूप.—Form
रूपभेद.—Modification
रूपांकन.—Design
रेल.—Railway

ल

लगान.—Rent
लगाना.—Impose
लघूकरण.—Commute
लम्बमान.—Pending
लम्बित.—Pending
लाइसेंस.—Licence
लागत.—Cost
लागू होना.—Application (n)
लाभ.—Profit
लाभांश.—Dividend
लिखत.—Instrument
लिखित सूचना.—Notice in writing
लेख.—Writ
लेखा.—Account
लेखा-परीक्षा.—Audit
लेखानुदान.—Votes on accounts
लेख्य.—Document
लेना देना.—Dealings
लोक.—People
लोक-अधिसूचना.—Public notification
लोकसभा.—House of the People
लोक-समाज.—Community
लोक-सेवायें.—Public Services
लोक-सेवायोग.—Public Service Commission
लोक स्वास्थ्य.—Public health

व

वकालत करना.—Plead
वकील.—Pleader
वचन-पत्र.—Promissory note
वचन-बन्ध.—Engagement
वणिक्-पोत.—Merchant marine
वयस्क.—Major
वयस्क-मताधिकार.—Adult suffrage
वरी.—Duty
वसीयत.—Will
वस्तु-भाड़ा.—Freight
वहन-पत्र.—Bill of lading
बंटन.—Allot
वाक्-स्वातन्त्र्य.—Freedom of speech
वाणिज्य.—Commerce
वाणिज्य-दूत.—Consul
वाणिज्य सम्बन्धी.—Commercial
वाद.—Cause
वाद-पद Issue
वाद-प्रतिवाद.—Controversy
वाद-मूल.—Cause of action
वाद-विवाद.—Debate
वाद-विषय.—Subject matter
वायदा बाजार.—Future market
वायु-पथ.—Airways
वार्षिक.—Annual
वार्षिक-वित्त-विवरण.—Annual financial statement
वार्षिकी.—Annuities
विकलन.—Debit (v.)
विकृत-चित्त.—Unsound mind
विक्रय.—Sale
विक्रय-कर.—Sales tax
विघटन.—Dissolution
विचार.—Consideration
विचारार्थ प्रस्ताव.—Motion for consideration

वितरण.—Distribution
वित्त.—Finance
वित्त-विधेयक.—Finance bill
वित्तायोग.—Finance-Commission
वित्तीय.—Financial
वित्तीय भार.—Financial obligation
वित्तीय विवरण.—Financial statement
विदेशीय कार्य.—Foreign Affairs
विदेशीय विनिमय.—Foreign exchange
विधान.—Legislation
विधान-परिषद्.—Legislative Council
विधान-मंडल.—Legislature
विधान-सभा.—Legislative Assembly
विधायिनी शक्ति.—Legislative power
विधि.—Law
विधि-प्रश्न.—Question of law
विधि-मान्य.—Legal tender
विधियों का समान संरक्षण.—Equal protection of law.
विधि सम्बन्धी.—Legal
विधेयक.—Bill
विनियम.—Regulation
विनियमन.—Regulate
विनिमय-पत्र.—Bill of exchange
विनियोग.—Appropriation
विनियोग-विधेयक.—Appropriation bill
विनिश्चय.—Decision
विभाग.—Section
विभाजन.—Distribution
विभेद.—Discrimination
विमति.—Dissent
विमान-परिवहन.—Air navigation
विमान-यातायात.—Air traffic
विमान-बल.—Air Forces
विमोचन.—Redemption
विमोचन-भार.—Redemption charges
वियुक्त.—Deprive
विराम.—Respite
विरुद्ध.—Repugnant
विरोध.—Repugnance
विरोध.—Repugnancy
विल.—Will
विलेख.—Deed
विवरणी.—Return
विवाद.—Dispute
विवाह-विच्छेद.—Divorce
विशेषाधिकार.—Privilege
विश्वास-प्रस्ताव.—Motion of confidence
विश्वास का अभाव.—Want of confidence
विषय.—Subject
विसर्जन.—Disperse
विसंगत.—Irrelevant
विस्तार.—Extend
विस्फोटक.—Explosive
वीसा.—Visas
वृत्ति.—Profession
वृत्ति-कर.—Profession tax
वृद्धि.—Interest
वेतन.—Pay
वेतन.—Salary
वेलई.—Employment
वेला-जल.—Tidal waters
वैदेशिक कार्य.—External Affairs
वोटदाता.—Voter
वंचित करना.—Deprive
व्यक्ति.—Person

व्यपगत होना.— Lapse
व्यय.— Expenditure
व्यवसाय.— Vocation
व्यवस्था.—Order
व्यवहार.—Civil
व्यवहार.—Dealings
व्यवहार-अदालत.—Civil Court
व्यवहारालय.—Civil Court
व्यवहार न्यायालय.—Civil Court
व्यवहार प्रक्रिया.—Civil Procedure
व्यवहार प्रक्रिया संहिता.— Civil Procedure Code
व्यवहार लाना.—Sue
व्यवहार-वाद.—Civil Suit
व्यवहार-विषयक अपकृत्य.—Civil wrong
व्यवहार-विषयक दोष.—Civil wrongs
व्यवहार-शक्ति.—Civil power
व्याख्या.—Explanation
व्यापार.—Trade
व्यापार कर.—Trades Tax
व्यापार-चिह्न.—Trademark
व्यापार-संघ.— Trade Union
व्यावृत्ति.—Savings

श

शक्ति. —Power
शर्त.—Condition
शलाका.—Ballot
शलाका-पद्धति.—Ballot
शान्ति.—Peace
शाश्वत उत्तराधिकार.—Perpetual succession
शासक.—Ruler
शासन.—Governance
शासन.—Govern
शासन .—Government
शासी निकाय.—Governing body
शास्ति.—Penalty
शिक्षा.—Education
शिक्षा.—Instruction
शिल्पी-प्रशिक्षण.—Technical training
शिविर.—Camp
शिशु.—Infant
शिस्त.—Disciplinary
शुल्क.—Duty
शुल्क-सीमान्त.—Custom Frontiers
शून्य.—Void
शेरिफ.—Sheriff
शोधना.—Research

श्र

श्रद्धा.—Faith
श्रम.—Labour
श्रमिक संघ.—Labour Union
श्रेष्ठि चत्वर.—Stock-Exchange

स

सक्षम.—Competent
सत्त.—Session
सत्र-न्यायालय.—Session Court
सत्रावसान.—Prorogue
सदन.—House
सदस्य.—Member
सदाचरण-पर्यन्त.—During good behaviour
सदाचार. —Morality
सन्था.—Association
सन्धि.—Treaty
सभा.—Assembly
सभापति.—Chairman
समता.—Equality
समर्पण.—Dedicate
समवर्ती सूची.—Concurrent List
समवाय.—Company
समवाय संस्था.—Co-operative Society

समवेत होना.—Assemble
समागम.—Intercourse
समाचार-पत्र.—News paper
समापन.—Winding up
समिति.—Committee
समुदाय.—Community
समुद्र-नौवहन.—Maritime shipping
सम्पदा.—Estate
सम्पदा-शुल्क.—Estate-duty
सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य.—Sovereign Democratic Republic
सम्मेलन.—Conference
सरकार.—Government
सरकारी अभियाचना.—Public demand
सर्वक्षमा.—Amnesty
सर्वोच्च समादेश.—Supreme Command
सलाह.—Advise
सशस्त्र बल.—Armed forces
सहकारी संस्था.—Co-operative society
सहमति.—Concurrence
सहायक.—Ancillary
सहायक अनुदान.—Grants-in-aid
संकटमय.—Hazardous
संकल्प.—Resolution
संक्रमण.—Transition
संगणना.—Compute
संघ.—Union
संघटन.—Organization
संघ-सूची.—Union List
संचार.—Communication
संचार करना.—Communicate
संचार-साधन.—Means of Communications
संचित निधि.—Consolidated fund
संदर्भ.—Context
संदेश.—Message
संबोधित.—Addressed
सम्पत्ति.—Property
सम्पत्ति-हस्तान्तरण-पत्र.—Assurances of property
सम्पर्क.—Contact
सम्मति.—Consent
सम्भावना.—Honorarium
संरक्षक.—Guardian
संलग्न.—Append
संविदा.—Contract
संविधान.—Constitution
संविधान-सभा.—Constituent Assembly
संशोधन.—Amendment
संसद्.—Parliament
संस्था.—Institution
संस्थापन.—Establishment
संहिता.—Code
साक्ष्य.—Evidence
साख.—Credit
साधारण निर्वाचन.—General Election
सामर्थ्य.—Capacity
सामाजिक-बीमा.—Social insurance
सामाजिक रूढ़ि.—Social custom
सामाजिक सेवा.—Social service
सामान्य मुद्रा.—Common seal
सामान्य मुहर.—Common seal
सार्वजनिक अधिसूचना.—Public Notification
सार्वजनिक अभियाचना.—Public demand
सार्वजनिक कल्याण.—Common good
सार्वजनिक व्यवस्था.—Public order
साहूकार.—Moneylender

साहूकारी .—Money lending
सांसर्गिक.—Contaguous
सांक्रामिक.—Infectious
सिद्ध-दोष.—Convicted
सिपारिश.—Recommendation
सिपारिश करना.—Recommend
सीमा.—Boundary
सीमा-कर.—Terminal tax
सीमान्त.—Frontiers
सीमा-शुल्क.—Custom duty
सीमांकन.—Demarcation
सुधार-प्रन्यास.—Improvement Trust
सुधारालय.—Reformatory
सुसंगत.—Relevant
सुसंगति .—Relevancy
सूचना.—Notice
सूचना-पत्र.—Gazette
सूचना-पत्र .—Notice
सूची.—List
सूद.—Interest
सूत्र.—Formula
सूत्रित.—Formulated
सेना.—Military
सेना-न्यायालय.—Court Martial
सेवा.—Service
सेवा की शर्त.—Condition of service
सेवा-नियोजन.—Employment
सेवा-भार.—Service charges
सैनिक.—Military
सैन्य-वियोजन.—Demobilization
सौंपना.—Assign
सौंपना.—Entrust
स्थगन.—Adjourn
स्थगित करना.—Adjourn

स्थान.—Post.
स्थान.—Seat
स्थानान्तरण.—Transfer (n.)
स्थानीय क्षेत्र.—Local area
स्थानीय गण.—Local Board
स्थानीय निकाय.—Local body
स्थानीय प्राधिकारी.—Local authority
स्थानीय मंडली.—Local Board
स्थानीय शासन.—Local Government
स्थानीय स्वशासन.—Local Self Government
स्थापना.—Establishment
स्थापित करना.—Establish
स्थायी आदेश.—Standing Orders
स्थायी समिति.—Standing Committee
स्पष्टीकरण.—Clarification
स्पष्टीकरण.—Explanation
स्मारक.—Memorial
स्वतन्त्रता.—Freedom
स्ववश.—Possession
स्वविवेक.—Discretion
स्वातन्त्र्य.—Freedom
स्वाधीनता.—Liberty
स्वामित्व.—Ownership
स्वामिलभ्य.—Royalties
स्वामिस्व.—Royalties
स्वामी.—Owner
स्वामिहीनत्व.—Bona vacancia
स्वामी होना.—Own
स्वायत्तता.—Autonomy
स्वीय विधि.—Personal law

ह

हक़.—Title
हक होना.—Entitled
हटाना.—Removal
हस्त-शिल्प.—Handicraft
हस्तान्तर-पत्र.—Conveyance
हस्तान्तरण.—Transfer (n.)
हिदायतें.—Instructions